खण्ड-131, अंक-4
गुरूवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1875
(11 मार्च, 1954 ई0)

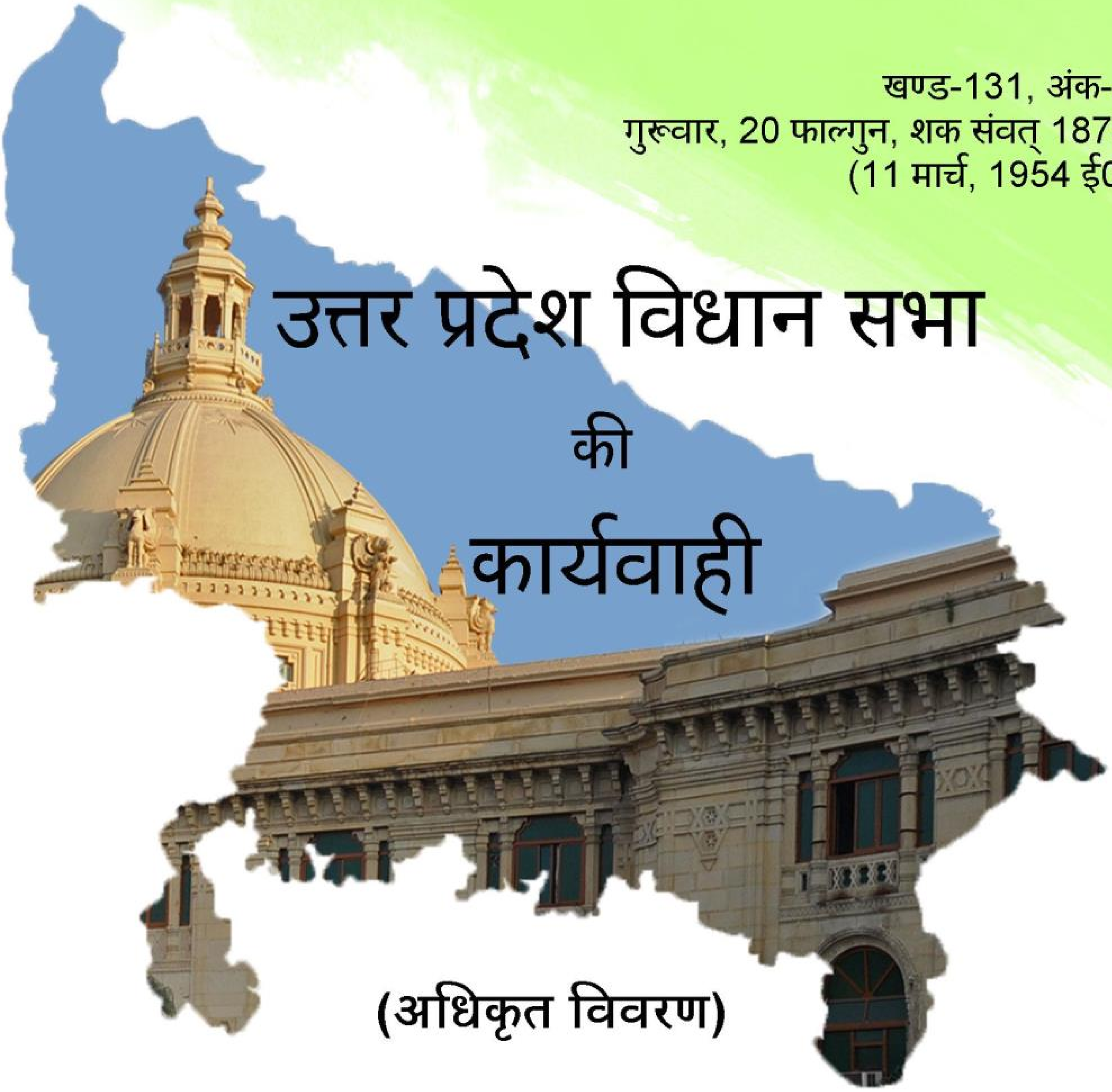

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 131 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ११ मार्च, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराइल हक, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री

बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खाँ, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद फारूख चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती

रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्री
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

शाहजहांपुर जिला बोर्ड का रिवाइज्ड बजट

*१—श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बोर्ड शाहजहांपुर का revised बजट जिला मैजिस्ट्रेट के रिमार्क पर बोर्ड द्वारा पास होने के तीन मास पश्चात् L. S. G. Department द्वारा recast करके पुनः भेजने के लिए २ मार्च, सन् ५४ को बोर्ड के पास वापस भेजा गया है, जब कि Financial year समाप्ति पर है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जिला बोर्डों के आय-व्ययक को स्वीकार करने अथवा उनपर अन्य आवश्यक आज्ञा प्रदान करने का अधिकार सरकार ने जिलाधीशों को दे रखा है। चूंकि बोर्ड का संशोधित आय-व्ययक नियमानुसार संतुलित न था, जिलाधीश ने उसे जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही बोर्ड को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया था। परन्तु बोर्ड ने उसकी प्रार्थना की अवज्ञा की। अतः उसने मामले को सरकार की आज्ञाहेतु प्रस्तुत किया। जिलाधीश की इस रिपोर्ट पर सरकार ने बोर्ड को अपना बजट रिकास्ट करने के लिए २०-२-५४ को पुनः आज्ञा दी जो सम्भवतः उसके पास २ मार्च को पहुंची है।

श्री प्रतिपाल सिंह—क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि पुनर्विचार के उपरान्त जब यह बजट दोबारा रिसबमिट किया गया तो जिला मैजिस्ट्रेट और सरकार के मध्य यह कितने दिनों तक पड़ा रहा ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह तारीखें इसी जवाब में दी जा चुकी हैं।

श्री प्रतिपाल सिंह—मेरे कहने का मतलब यह है कि जब दोबारा यह रिसबमिट हुआ और उस पर दोबारा जब गवर्नमेंट का आर्डर हुआ, उसमें कितना अर्सा लगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—करीब कुछ हफ्तों का।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय स्वशासन मन्त्री ऐसी परिस्थितियों के लिए भविष्य में, इस बात का आदेश देंगे कि बजट की ऐडवान्स कापियां प्रान्तीय सरकार को उसी वक्त जिलाधीश भेज दिया करें, जबकि वह बोर्ड को भेजते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को परिस्थिति का ज्ञान नहीं है। सवाल यह है कि ओरिजिनल बजट तो पहले ही २७ फरवरी, १९५३ को पास हो चुका था, उसी के अनुसार खर्चा हो रहा है और उसकी कापी यहां आ गयी है, लेकिन नवम्बर में जब रिवाइज्ड बजट पास हुआ, तो उसमें करीब १,७२,००० रु० का खर्चा बढ़ा दिया गया। इसलिए १,७२,००० रु० जो खर्च में बढ़ गया उसके अनुसार आमदनी तो बढ़ी नहीं। इसी लिए यह कहा गया कि यह बैलेंस्ड बजट नहीं है। इसको रिवाइज किया जाय। ओरिजिनल बजट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को खर्चा करना चाहिए। रिवाइज्ड बजट के अनुसार जो

खर्चा ज्यादा है, उसी पर यहां बहस है, वैसे ओरिजिनल बजट पास हो गया है, और बाकायदा काम हो रहा है।

श्री प्रतिपाल सिंह---क्या माननीय मन्त्री जी दफा १६१, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के अन्दर जो अनियमिततायें हुई हैं, उनको बतलाने की और दफा १६१ की व्याख्या करने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---दफा १६१ की व्याख्या तो मैं लीगल ओपिनियन लेकर ही कर सकता हूं। लेकिन क्या क्या अनियमिततायें हुई हैं, इसके लिए अगर नोटिस दी जायगी तो मैं बता दूंगा।

तारांकित प्रश्न

नैनीताल जिले के फारेस्ट डिवीजनों में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति

*१---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल जिले के अलग-अलग डिवीजनों में कुल कितने फारेस्ट गार्ड, फारेस्टर, डिप्टी रेंजर तथा रेंजर हैं ?

वन उपमन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---एक सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०७ पर।)

*२---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् १९५२ तथा १९५३ में अब तक अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में फारेस्ट गार्ड और फारेस्टरों के कितने स्थान रिक्त हुए और उनमें नियुक्ति किस प्रकार और किस योग्यता के व्यक्तियों की की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सन् १९५२ तथा १९५३ में जो फारेस्ट गार्ड और फारेस्टरों के स्थान रिक्त हुए, उनकी एक सूची मेज पर रक्खी है। इन कर्मचारियों की नियुक्ति या तो उन व्यक्तियों में से की गयी, जो पहले से ही अस्थायी रूप से काम कर रहे थे और या जिनके नाम इम्प्लायमेंट एक्सचेंजों में दर्ज थे।

फारेस्ट गार्डों की नियुक्ति के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं है, तथापि अधिकतर ऐसे ही लोग नियुक्त किये गये जो हाई स्कूल या वर्नाक्यूलर मिडिल पास थे। फारेस्टरों के पद पर जो व्यक्ति नियुक्त किये गये, वे सब हाई स्कूल या उससे अधिक योग्यता वाले थे।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३०८ पर।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो फारेस्ट गार्ड और फारेस्टरों के स्थान रिक्त हुए, वह किस कारण रिक्त हुए ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---पेंशन जाने की वजह से ही अधिकतर हो सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन कर्मचारियों की स्थायी और अस्थायी नियुक्ति कौन अधिकारी करता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---डिवीजनल फारेस्ट आफिसर्स फारेस्ट गार्डों की और सर्किल का कन्जरवेटर फारेस्टर्स की नियुक्ति करते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो कर्मचारी स्थायी किये गये, उनमें से कितने ऐसे थे, जो पहले से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे थे और कितनों के नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से आये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो फारेस्ट गार्ड्स हाई स्कूल और वर्नाक्यूलर मिडिल पास हैं, उनकी संख्या कितनी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह सूची तो आप ने मांगी नहीं थी। इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन फारेस्टर्स और फारेस्ट्स गार्डों की नियुक्तियों में कुछ ऐसे भी केसेज हैं, जिनमें फारेस्टर्स को डाइरेक्ट अप्वाइन्ट कर दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---फारेस्टर्स का डाइरेक्ट अप्वाइन्टमेंट नियम के अनुसार हो जाता है।

जगदीश चीनी मिल, कठकुइयां का प्रबन्ध

*३---श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जगदीश चीनी मिल कठकुइयां का प्रबन्ध इस समय किसके अधीन है ?

उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)---जगदीश चीनी मिल, कठकुइयां का प्रबन्ध इस समय उसके अधिकृत नियन्त्रक श्री मंगतूराम जयपुरिया के अधीन है।

*४---श्री गेंदासिंह---क्या यह सच है कि उक्त मिल के ऊपर ईख की कीमत तथा मजदूरों का वेतन कई लाख रुपये बाकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जी हां, इसका कारण भूतपूर्व अधिकृत नियन्त्रक के समय में मिल की आर्थिक कठिनाई बताया जाता है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय उद्योग मन्त्री जी यह कृपा कर के बतलायेंगे कि अधिकृत नियन्त्रक नियुक्त करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को प्रादेशिक सरकार ने भी सिफारिश की थी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जी हां।

श्री गेंदासिंह---राज्य सरकार ने किन किन लोगों को नियंत्रक नियुक्त करने के लिए लिखा था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---पहले सन् ४७ में सिफारिश की गयी थी। उस वक्त राजा साहब बृजनारायण के लिए की गयी थी। उनके देहान्त होने के बाद रुद्रप्रताप नारायण सिंह के लिए की गयी और अब मंगतूराम जयपुरिया हैं।

श्री गेंदासिंह---यह मंगतूराम जयपुरिया कानपुर के वही व्यक्ति हैं, जिनके खिलाफ ब्लैक मार्केटिंग का एक बड़ा भारी मुकदमा शुरू हुआ था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---इसकी कोई मुझे इत्तिला नहीं है।

श्री गेंदासिंह---इस समय कठकुइयां मिल के मजदूरों का और गन्ने का कितना मूल्य बाकी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---इस समय जहां तक इन सब लाइबिलिटीज का ताल्लुक है, वह करीब-करीब १६, १७ लाख है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि भविष्य में यह अथाराइज्ड कन्ट्रोलर व्यक्तियों को न बना करके बल्कि कार्पोरेशन्स या कोआपरेटिव सोसाइटीज को बना दिया जाय ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जहां तक इसका ताल्लुक है, जिस वक्त कि पहले कन्ट्रोलर रुद्रप्रताप नारायण जी को किया गया था, उस वक्त कोई और लेने के लिए तैयार नहीं था। इस वक्त जो हमारे अथाराइज्ड कन्ट्रोलर हैं, उनके जमाने में अदायगी काफी हुई है और उसकी हालत बेहतर हो गयी है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ईख का दाम तथा मजदूरों का वेतन, अलग-अलग कितना रुपया शेष है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जहां तक इस सीजन का ताल्लुक है, बकाया कुछ भी नहीं है। जो पिछला बकाया है, उसमें गन्ने का मूल्य ४ लाख से ऊपर है, केन सेस ५ लाख से ऊपर है, और वेतन २ लाख ८५ हजार है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)---क्या सरकार को यह विदित है कि मिल एरिया के किसान का गुजारा गन्ने ही की आमदनी से होता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---उससे भी होता है, और और चीजें भी वह पैदा करता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बतलायेगी कि इस बकाया १८, १९ लाख रुपये को वसूल करने के लिए वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---इसको दिलाने की कोशिश की जा रही है जैसा कि पहले भी बतलाया गया। पहले गन्ने का मूल्य १६ लाख बाकी था, और अब घट कर ४ लाख रह गया। तो बगैर कोशिश के तो यह हो नहीं गया।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अथोराइज्ड कन्ट्रोलर की नियुक्ति भारतीय सरकार ने की या इस प्रदेश की सरकार ने की ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---भारतीय सरकार करती है।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नियुक्ति करते समय भारतीय सरकार को राज्य सरकार ने मंगतू राम जयपुरिया का नाम पेश किया था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---यहां से सिफारिश तो जाती ही है, उस पर गौर होता है।

आजमगढ़ जिले की घोसी सामुदायिक विकास योजना पर व्यय

*५---श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---क्या विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की घोसी सामुदायिक विकास योजना में अब तक कितना धन किस किस मद में व्यय हो चुका है ?

नियोजन उपमन्त्री (श्री फूलसिंह)---माननीय सदस्य की मेज पर ३१-१२-१९५३ तक के व्यय का मदवार विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३०९ पर।)

*६---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में कोई और विकास योजना चालू की जाने वाली है ? यदि हां, तो कहां ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ के बजट में सामुदायिक विकास योजना के अन्दर कितना रुपया खर्च करने की स्वीकृति हुई थी ?

श्री फूलसिंह—सामूहिक विकास योजना का तो सालाना एकाउन्ट फिक्स्ड है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—जो सूची प्रस्तुत की गयी है, उसमें क्या कृषि प्रचार के पशु-पालन विभाग में नये किस्म के सुधरे हुए पेडिगरी बुल्स भी इस सामुदायिक विकास योजना में सरकार द्वारा प्रदत्त किये गये थे ?

श्री फूलसिंह—पेडिगरी बुल्स सरकार द्वारा खरीदे जाते हैं। बाकी गाय वगैरह लोग अपने आप खरीदते हैं। सरकार महज सहायता करती है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि सुधरे हुए किस्म का सुअर जो सामुदायिक विकास योजना को सरकार द्वारा प्रदत्त किया गया था, किसी ग्रामीण ने उसे मार डाला और सामुदायिक विकास योजना के कार्यालय के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया जो अदालत से खारिज कर दिया गया ?

श्री फूलसिंह—सही है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस पुलिस अधिकारी ने मुकदमा चलाया था, उसके खिलाफ अदालत ने कार्यवाही करने का फैसला दिया है ?

श्री फूलसिंह—फैसले में ऐसी कुछ बात तो मुझे मालूम नहीं है।

*७—८—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—[स्थानान्तरित किये गये।]

राज्य के टेक्निकल स्कूल

*९—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने टेक्निकल स्कूल कहां कहां पर हैं और इनमें क्या क्या शिक्षा दी जाती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—आवश्यक सूचना संलग्न नत्थी में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३१०–३१६ पर।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, दो चार स्कूल ही हैं, अगर हम लोगों को उनकी जानकारी हो जाय तो बहुत अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—यह तो बहुत बड़ी फेहरिस्त ५–६ सफों की है, इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप बाद में उन से ले लीजियेगा।

जिला बस्ती में पदरौना शुगर मिल्स लिमिटेड के कर्मचारियों का वेतन न मिलने के कारण सत्याग्रह

*१०—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि "पदरौना राज्य शुगर मिल्स लिमिटेड" पदरौना, जिला देवरिया के श्रमिकों को पिछले लगभग ६ मास से वेतन नहीं मिला है ?

नोट—तारांकित प्रश्न १०—१२ श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पूछे।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, किन्तु पदरौना मिल ने अपने श्रमिकों के इस समय के वेतन का आंशिक भुगतान ही किया है।

*११--श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त मिल के श्रमिकों ने कुछ दिन पूर्व से पांच-पांच की संख्या में सत्याग्रह आरम्भ कर दिया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--मिल के श्रमिकों ने कुछ दिन पूर्व ऐसा सत्याग्रह किया था। वह समाप्त हो चुका है।

*१२--श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय उक्त मिल पर गन्ना उत्पादकों, सरकारी सेस तथा सोसाइटियों का कुल कितना रुपया बाकी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इस समय उक्त मिल पर गन्ने के मूल्य, सरकारी सेस तथा सोसाइटियों के कमीशन के हेतु क्रमानुसार १५.२५ लाख, ४.१८ लाख तथा ५० हजार रुपया बाकी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सत्याग्रह समाप्त होते वक्त क्या आपसी समझौता हुआ था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--थोड़ा हिस्सा दे दिया गया है। बात यह है कि वहां पर उसके पास चीनी है, और अभी यह तय हुआ है कि चीनी बिकती जायगी, उसकी रकम से पहले मजदूरों को तनख्वाह दी जायगी, उसके बाद फिर गन्ने के दाम वगैरह में मुजरा किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्रमिकों को कितना आंशिक भुगतान हुआ है, और कितना बाकी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--करीब करीब ६ लाख रुपया।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय उद्योग मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्याग्रह कितने दिनों तक चलता रहा और कितने लोगों को जेल जाना पड़ा ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--१३ दिन के करीब यह सत्याग्रह चला और उसमें शायद ६५ या ४५ आदमी जेल भेजे गये, मैं इस वक्त ठीक नहीं कह सकता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सत्याग्रह के जमाने में जितने दिन सत्याग्रह चला उतने दिनों का वेतन उन मजदूरों को दिया जायगा ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--सत्याग्रह तो इस तरह नहीं हुआ कि कुल मजदूर बैठ गये, पांच पांच आदमी जाते थे। तो जो थे, उनको वेतन दिया जायगा।

श्री गेंदासिंह--क्या सत्याग्रह करने के पहले बार-बार मजदूरों ने सरकार के सामने यह आग्रह किया कि उनको सत्याग्रह न करना पड़े, और उनकी मजदूरी मिल जाय ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--उनकी शिकायतें आयी होंगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या यह सही है कि इस मिल के प्रोप्राइटर को किसी और मिल का अथराइज्ड कन्ट्रोलर भी कभी बनाया गया था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां, बनाया गया था।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--वेतन समय पर न दिये जाने के कारण तथा अन्य प्रतिबन्धों के कारण सरकार ने इस मिल पर कन्ट्रोलर नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--कन्ट्रोलर मुकर्रर करने में कबाहत थी, इसलिए उसके बाद यह फैसला हुआ कि मिल में फैसले के बाद कुछ दिक्कतें भी ऐसी हैं, जिसकी वजह से उसके बाद यह फैसला हुआ कि जब तक कानून न बदलता हो, उसमें प्राइस कन्ट्रोलर मुकर्रर करना मुश्किल मालूम होता है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--जो मजदूर सत्याग्रह के सिलसिले में जेल गये थे, उनको उस जमाने की तनख्वाह देने से मिल मालिक ने इन्कार कर दिया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--ऐसी इत्तिला तो मुझे नहीं हुई ।

गृह मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अगर मुझे आज्ञा हो तो मैं कुछ इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं । यह बिलकुल सही है । लेकिन सत्याग्रह के जमाने में किसी वजह से काम बन्द करने के जमाने की तनख्वाह कभी भी नहीं दी जाती है । इसके अतिरिक्त जो आपसी समझौता हुआ था, मजदूरों की ओर से क्लेम भी नहीं किया गया था कि उस जमाने की तनख्वाह मिले ।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि श्रमिकों को बकाया कब तक अदा कर दिया जायगा ?

श्री मुहम्मद रऊफ जारी--मैं अभी बतला चुका हूं कि यह तय हो गया है कि दाम जो अब आएगा, उस से सब से पहले मजदूरों का बकाया अदा किया जायगा ।

हाकिम तहसील मोहनलाल गंज, जिला लखनऊ के विरुद्ध शिकायत

*१३--श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि हाकिम तहसील, मोहनलालगंज, जिला लखनऊ ने अनेक बार सड़क पर आने जाने वाले मुसाफिरों को कान पकड़ कर इस लिए उठाया बैठाया क्योंकि वह सलाम करना भूल गये थे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी ।

*१४--श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार यह जानती है कि प्रश्न सं० १३ की अनुसूचित कार्यवाही के कारण मोहनलालगंज की जनता में भारी असन्तोष है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अतएव यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो १३ नम्बर के सवाल में शिकायत की गयी है, इस सम्बन्ध में क्या डी० एम० से जानकारी की गयी है, यदि हां, तो उसका क्या उत्तर मिला और नहीं की गयी है तो क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां से इन्क्वायरी होती है, और पता चला कि ऐसी कोई चीज नहीं है ।

गोरखपुर वन विभाग से गुजरने वाली ट्रकों पर कर

*१५--श्री इस्तफा हुसैन--क्या यह सही है कि गोरखपुर फारेस्ट डिवीजन के बीच होकर जानेवाले बैलगाड़ी की सड़क से गन्ने ले जाने वाली ट्रकों पर वन विभाग कोई फीस प्रति ट्रक चार्ज करता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह कौन सी रेंजेज हैं, जिनमें यह शरह चार्ज की गयी है और वह दर क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---४० रुपये फी ट्रक लिये जाते हैं।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही नहीं है कि इन चार्जेज से गन्ने के ट्रांस्पोर्ट कास्ट में काफी इजाफा हो जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह असल में जो लोग बड़े बड़े फार्म के मालिक हैं, वही गन्ना ले जाते हैं इन्हीं से लिया जाता है, और गरीब बैल गाड़ीवालों से लेना मुनासिब नहीं मालूम होता जो किसान बैलगाड़ी पर ले जाते हैं उनसे कुछ नहीं लिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि फारेस्ट की रोड्स प्राइवेट होती हैं, और उनके यातायात के लिए होती हैं। इस लिए उसके सुधार के लिए ताकि उसमें गड्ढे न पड़ जायं, और गरीब बैलों की टांग न टूट जाय। इस लिए जो अमीर हैं उनसे यह लिया जाता है। ताकि इस रकम से बराबर मरम्मत होती रहे।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या यह सही नहीं है कि बैलगाड़ी पर गन्ना ले जाने से वह सूख जाता है और फैक्टरीज में उसका दाम कम मिलता है ?

श्री अध्यक्ष---यह किससे सम्बन्धित है ? यह तो ट्रक के ऊपर सवाल है, इसमें बैलगाड़ी कहां से आ गयी ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इससे क्या सड़क की दूरी निश्चित है या किसी भी दूरी के लिए ४० रुपये लिये जाते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वह तो सीजनल परमिट्स दिये जाते हैं, और माह भर या साल भर के लिए तथा सारी सड़कों के लिए होते हैं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह टैक्स गन्ने वाले इलाके में ही लगाया गया है या और इलाकों में भी लगाया गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यों तो फारेस्ट डिपार्टमेंट की रोड्स प्राइवेट होती हैं और थोड़े अनुदान से उसको वह ठीक नहीं रख सकता है। यह सड़क बहुत लम्बी होती है। इस लिए ऐसा किया जाता है कि फारेस्ट के जो कन्ट्रैक्टर्स होते हैं वह अपने अपने ट्रकों में जाते समय बजरी ले जाते हैं, और उसको बिछा देते हैं, और लाते समय अपना माल ले आते हैं। जहां पर यह मुमकिन नहीं होता है, वहां पर हम लोगों से टैक्स लेते हैं। जहां पर लोग काम दे देते हैं वहां पर काम ले लेते हैं और जहां पैसा दिया जाता है, वहां पैसा ले लेते हैं। ऐसा करीब करीब सभी जंगली इलाकों में होता है।

गुड़ योजना को सफल बनाने के लिए सरकार की व्यवस्था

*१६---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गुड़ योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---गुड़ योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित व्यवस्थायें की हैं---

(१) उन्नतिशील गुड़ बनाने का प्रदर्शन करना तथा किसानों को उत्तम गुड़ बनाने की विधि बताना।

(२) उन्नतिशील कोल्हू तथा कढ़ाव वितरण करना।

(३) किसानों द्वारा उन्नतिशील भट्टियों का निर्माण कराना, जिससे ईंधन कम खर्च हो और गुड़ बनाने की लागत कम हो।

(४) किसानों को रस की सफाई करने के साधन बताना।

*१७—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमारे प्रदेश में गन्ने की पैदावार का कितने प्रतिशत गुड़ बनता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—प्रदेश के गन्ने के कुल उत्पादन का ५२ से ५६ प्रतिशत गुड़ बनाने में खपता है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किसानों को उत्तम गुड़ बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है या उनके घरों पर कोई सरकारी कर्मचारी जाकर उत्तम गुड़ बनाने की विधि बताता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—सरकारी कर्मचारी भी जाते हैं, और वैसे मदद भी दी जाती है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किसानों को उन्नतिशील कोल्हू तथा कढ़ाव किस तरह पर दिये जाते हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—कढ़ाव और कोल्हू उनको तकावी की शक्ल में दिये जाते हैं।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसानों के लिये पेरने के लिए कोई बढ़िया कोल्हू बनाने की भी तजवीज है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—बढ़िया कोल्हू उनको दिया जाता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि गुड़ योजना में जो रुपया सरकार लगाती है, उसकी धनराशि हर साल कम होती जा रही है।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी नहीं, बढ़ रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि इस सीजन में गन्ने और गुड़ बनाये जाने का प्रतिशत ५२ और ५६ प्रतिशत से भी ज्यादा हो गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—हो सकता है।

अल्मोड़ा जिले के नौगांव सहकारी संघ में गबन

*१८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सहकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अल्मोड़ा जिले के पट्टी मल्ला रीठागढ़ स्थित नौगांव में जो सहकारी संघ था, वह सहकारी विभाग के आदेश से तोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उस पट्टी में कोई दूसरा संघ खोल दिया गया है ?

श्री जगमोहन सिंहनेगी—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—यह १८ का जो जवाब है इसमें तीन हिस्से हैं। क्योंकि प्रोसीडिंग छपनी हैं इसलिये हर हिस्से का जवाब अलग अलग होना चाहिये ताकि उसका अर्थ निकल सके इसमें जवाब दिया गया है, 'जी नहीं' 'प्रश्न नहीं उठता' और 'जी नहीं'। इससे कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं होता।

*१९--श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सहकारी मन्त्री को ज्ञात है कि वहां संघ के कुछ रुपयों का गबन हो गया था और सहकारी विभाग द्वारा जांच भी करायी गयी थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---संघ की पूंजी में से ३,७७६ रु० सभापति श्री प्रताप सिंह बिष्ट ने अपने निजी कारोबार में लगा दिया था, इस रकम को संघ ने तारीख जून ३, १९४८ को आम बैठक में एक प्रस्ताव द्वारा कर्ज मान लिया। जिसके अनुसार सभापति श्री प्रताप सिंह बिष्ट से ४ रु० ८ आ० प्रतिशत सूद की दर भी नियत कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त कुछ रकमें ऐसी हैं, जो कि संघ ने अपने कर्मचारियों, सदस्यों या शाखाओं से पानी हैं। यह रकम उधार के सामान की बिक्री के कारण है। यह रकमें गबन नहीं हैं। विभाग व जिला नियोजन अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा इसकी जांच की गयी है। मामला पुलिस में दे दिया गया है।

*२०---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सहकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उस संघ का कुल मूलधन कितना था और क्या वह धन शेयर होल्डरों को वापिस किया जायेगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---संघ का कुल मूल धन ५,३९२ रु० ८ आ० है। मूलधन वापस करने का प्रश्न नहीं आता क्योंकि संघ के पुनस्संगठन का प्रयत्न किया जा रहा है। हिस्से की पूंजी की वापसी का प्रश्न संघ के टूटने पर ही आयेगा।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---पहले हिस्से का उत्तर है जी नहीं। दूसरे हिस्से का उत्तर है "प्रश्न नहीं उठता" और तीसरे हिस्से का उत्तर है "जी नहीं"।

मन्त्री की जगह उपमन्त्री के हस्ताक्षर पर आपत्ति

श्री नारायण दत्त तिवारी---आपकी व्यवस्था के लिये एक बात जानना चाहता हूं कि क्या कोई उपमंत्री मंत्री की तरफ से दस्तखत कर सकता है। इसमें श्री मंगला प्रसाद उपमंत्री के दस्तखत हैं। मैं समझता हूं कि नियम के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष---लेकिन इसमें कोई हर्ज भी नहीं मालूम होता कि वे उसे पढ़ दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---लेकिन इसके पहले भी आपने एक रूलिंग दी थी। कोई उपमंत्री के स्थान पर दस्तखत न किया करें। मंत्री के दस्तखत होने चाहिये। लेकिन यहां मंगला प्रसाद उपमंत्री लिखा हुआ है जबकि मंत्री हमेशा सवाल का जवाब देते हैं। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को इस वक्त स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्नों को स्थगित करने का कोई सवाल नहीं उठता।

श्री नारायण दत्त तिवारी---यह वैधानिक उत्तर नहीं माना जा सकता।

श्री अध्यक्ष---उत्तर तो वैधानिक ही है। सवाल सिर्फ इस बात का है कि कौन सी रीति अख्तियार करनी चाहिये। इसको बाद में तै कर लिया जायगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---इसी सदन में माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य ने एक सवाल का जवाब दिया था। किसानों का सत्याग्रह अदलपुरा में चल रहा था। कुछ पेड़ काट लिये गये थे। सवाल यह था कि वे पेड़ किसानों को दिये गये या नहीं तो मौर्य जी ने कहा कि दे दिये गये और उस उत्तर को जब वह मामला अदालत में गया तो अदालत ने वैध करार नहीं दिया। अदालत ने कहा कि इसकी वैधता क्या है जबकि यह मिनिस्टर का उत्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष---तो यह सब मेरे पास आप भिजवा दें मैं उसके ऊपर व्यवस्था दे दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--लेकिन प्रश्नों को तो रोका जा सकता है। अगर आप चाहें तो नियम दिखला दूं।

श्री अध्यक्ष--मैं प्रश्नों को रोकने के लिये तैयार नहीं हूं। अगर इस तरह से होगा तो कार्यक्रम चलाने में मुश्किल हो जायगी।

अल्मोड़ा ज़िले के नौगांव सहकारी संघ में ग़बन (क्रमागत)

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह मामला गबन का नहीं है तो फिर पुलिस को कैसे दे दिया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो संघ ने अपने प्रस्ताव द्वारा निश्चित किया है कि गबन नहीं है। प्रस्ताव पास करने के बाद उन्होंने थोड़ी सी रकम अदा नहीं की। पुलिस के पास मामला हाल ही में दिया गया है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि कितनी रकम दे दी गयी और कितनी रकम के लिये यह मामला पुलिस को दिया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--कुल ३,७७६ रुपया था उसमें से १ हजार रुपया वसूल हो चुका है। यानी २,७७६ रुपया रिकवरी के लिये बाकी है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या गवर्नमेंट यह बतलाने की मेहरबानी करेगी कि जो आर्डर पुलिस को दिया गया है वह माल की रिकवरी के लिये दिया गया है या इस बात की तहकीकात करने के लिये दिया गया है कि यह गबन है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो गबन की तहकीकात करने के लिये दिया गया है। रिकवरी का सवाल तो सिविल सूट के जरिये से होगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी डिप्टी मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि वह गबन नहीं है रिकवरी के लिये दिया गया है। अब जवाब में यह फरमाया है कि गबन की तहकीकात के लिये हुक्म दिया गया है, दोनों में से कौन सा हिस्सा सही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मेरी बात को आपने समझा नहीं है। उसको मैं फिर स्पष्ट करता हूं। चूंकि जो कि कोआपरेटिव यूनियन है उनका यह प्रस्ताव है कि यह गबन नहीं है एडवान्स के तरीके पर उसके पास था यही मैंने उनके प्रस्ताव की बात कही। अब वह गबन है या नहीं इसको तो पुलिस जांच करके बता सकती है। इस वक्त गवर्नमेंट ने इन्क्वायरी के लिये दिया है।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अगर वह १५ दिन के अन्दर रुपया जमा कर दें तो वह केस उठा लिया जायगा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--वह रुपया जमा करें तब बाद में विचार किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह केस पुलिस को किस तारीख को दिया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसकी ठीक तारीख बताने के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो रकम अभी सदस्यों और शाखा से पानी बाकी है वह कितनी है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या मिनिस्टर साहब वह अलफाज पढ़कर सुनायेंगे कि जो पुलिस के आर्डर में इस्तेमाल किये गये हैं इस ग़बन की तहकीकात करने के लिये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वह तो कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रार ने भेजा था और उसमें तो यही है कि The matter is now under police investigation.

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या गवर्नमेंट ने कोई हिदायत इसकी भेजी कि जल्द से जल्द यह सबमिट की जाय और अगर भेजी जाय तो कैसे भेजी जाय ऐसी कोई हिदायत दी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---ऐसी हिदायत तो देते रहते हैं । मगर यह जो मामला चल रहा है इसमें अभीतक कोई ऐसी हिदायत नहीं दी गयी है क्योंकि वह तो रोटीन का काम है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जून सन् ४६ से ५८ तक यह मामला तय क्यों नहीं हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मै बतला चुका हूं कि कोआपरेटिव के रूल पहले ऐसे बने हुये है जो सन् १२ में बने थे । वह बिल्कुल एक तरह से आउट आफ डेट हो गये हैं और उनकी वजह से कुछ मामले दिक्कततलब हो जाते हैं । अब उस ऐक्ट का सुधार करने पर विचार किया जा रहा है । पहले तो उन्होंने संघ की बैठक में प्रस्ताव पास किया दूसरे तरीके से, मगर जब यह चीज गवर्नमेंट लेविल पर इस आफिस तक आयी तब यह प्रासिक्यूशन की बात आयी ।

बस्ती जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन

*२१---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कितने राजनैतिक पीड़ितों को पेंशनें दी जाती हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---२४ ।

*२२---श्री राजा राम शर्मा---क्या सरकार को मालूम है कि बस्ती जिले में अब भी कुछ ऐसे राजनीतिक पीड़ित हैं, जो पेंशन नहीं पाते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

*२३---श्री राजाराम शर्मा---यदि हां, तो क्या सरकार उनको पेंशन देने का विचार रखती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजाराम शर्मा---क्या सरकार ३४ राजनीतिकपीड़ितों के नाम बतावेगी ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि मैं समझता हूं कि यह सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ है कि ऐसे लोगों के नाम यहां बतलाये जावें ।

श्री राजाराम शर्मा---क्या सरकार बस्ती जिले के उन राजनीतिक पीड़ितों के बारे में सूचना इकट्ठा करेगी जिनको पेंशन देना जरूरी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---गवर्नमेंट के पास १२६ आदमियों ने अर्जी दी थी, जिनमें से ३४ को दी जा चुकी है, ८७ की खारिज कर दी गयी है और ५ की विचाराधीन है । इस वास्ते यह सूचना इकट्ठा करने का कोई सवाल नहीं उठता ।

श्री राजाराम शर्मा---राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन देने के क्या आधार हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसका प्रत्युत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में कई बार दे चुके हैं। मगर खास आधार तो ये हैं कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जो किसी प्रकार से अपांग हो गये हों और वह अपना जीवनयापन करने में असमर्थ हों।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या जिन लोगों ने पहले पेंशन की अर्जी नहीं दी और वे इस समय बूढ़े हो गये हैं तो यदि वे दरख्वास्त दें तो क्या उनपर विचार होगा?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--माननीय मुख्य मंत्री जी २,३ मर्तबा यह कह चुके हैं कि अगर कोई विशेष केस सामने आवेगा तो उसपर विचार किया जायगा।

जिला प्लानिंग कमेटी शाहजहांपुर में एडीशनल जिला मैजिस्ट्रेट के सभापतित्व का विरोध

*२४--श्री प्रतिपाल सिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला प्लानिंग कमेटी शाहजहांपुर की एक मीटिंग २६ जून, सन् १९५३ ई० को बुलायी गयी थी जिसका सभापतित्व एडीशनल जिला मैजिस्ट्रेट ने किया था।

श्री फूलसिंह--जी हां।

*२५--श्री प्रतिपाल सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बोर्ड के प्रेसीडेंट ने इस अनियमितता के खिलाफ उस मीटिंग में कोई एतराज किया था?

श्री फूलसिंह--जी हां।

*२६--श्री प्रतिपाल सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मैजिस्ट्रेट ने उस एतराज के सम्बन्ध में सरकार से इस मसले के स्पष्टीकरण के लिये लिखा पढ़ी की?

श्री फूलसिंह--जी नहीं। जिलाधीश ने आदेश दे दिये हैं जिससे ऐसी अनियमितता भविष्य में न हो।

श्री प्रतिपाल सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि इस मार्च की ६ तारीख को प्लानिंग कमेटी की मीटिंग हुयी और उसमें पुनः यह अनियमितता हुयी?

श्री फूलसिंह--जो इत्तिला मुझे मिली उससे तो यह नहीं मालूम होता जिलाधीश जब छुट्टी चले गये थे तो उनकी जगह दूसरे जिलाधीश जो काम कर रहे थे वे मीटिंग में आये।

श्री प्रतिपाल सिंह--क्या सरकार इस मसले को कानूनी सलाह के लिये भेजने की कृपा करेगी?

श्री फूलसिंह--अगर कोई ऐसा प्रश्न सामने आवेगा तो उस पर विचार होगा।

श्री प्रतिपाल सिंह--अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह प्रश्न उपस्थित करता हूं, अभी।

श्री अध्यक्ष--तो ठीक है, आपने सूचना दे दी है।

लखनऊ जिले के राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

*२७--श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४७ से अबतक लखनऊ जिला और नगर में कितने राजनैतिक पीड़ितों को सहायता दी गयी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--६७ राजनैतिक पीड़ित अथवा उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी गयी है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन राजनैतिक-पीड़ितों को कितनी सहायता अब तक दी गयी सन् ४७ से?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---टोटल के लिये तो नोटिस चाहिये मगर २५,१५,१६ और ५० रुपये माहवार तक दी गयी ।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से कितने राजनैतिक पीड़ित लखनऊ शहर के निवासी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसमें ऐसा कोई भेद नहीं किया गया है कि यह शहर का है या देहात का है ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार यह बतायेगी कि जो पेंशन दी जाती है उसके साथ महंगाई का भत्ता भी दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---महंगाई का भत्ता भी दिया जाता है । इसके अतिरिक्त और लोगों को लम्पसम में ग्रांट्स भी दे दी गयी हैं ।

मैनपुरी जिले के दक्षिणी भाग के जंगल को वन विभाग में लेना

*२८---श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के दक्षिणी भाग में जमुना नदी के किनारे का जंगल वन विभाग में ले लिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां ।

श्री श्रीचन्द---उस भूमि में कितनी भूमि बंजर है और कितनी काश्त में लाई गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो सारी बंजर भूमि थी ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---इस भूमि का क्षेत्रफल कितना है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी । क्षेत्रफल तो नहीं आया है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या यह सही है कि उस भूमि के बीच में काश्तकारों ने खेती कर रखी थी और उनको बेदखल करके कब्जा कर लिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मेरे पास कोई ऐसी इत्तिला नहीं है ।

श्री श्रीचन्द---क्या इस भूमि में पेड़ लगा दिये गये हैं या लगाये जाने वाले हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---उसमें योजनानुसार पेड़ लगाये जायेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आजकल जितने सवालों के जवाब आ रहे हैं उनमें लिखित ब्योरा हो सकता है लेकिन नहीं रहता है । जैसे कि अभी वन विभाग की ओर से जो उत्तर दिया गया है उसमें क्षेत्रफल का ब्योरा आना चाहिये था लेकिन नहीं आया । इसी तरह से और भी तीन चार बातें ऐसी आयी हैं जिसमें ब्योरा होने की आवश्यकता थी और ब्योरा नहीं आया है । इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सरकार के मंत्रियों को यह हिदायत कर दें कि ऐसे लैप्स जो सरकार की तरफ से हो रहे हैं वे ठीक नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि सरकार ने आपकी बातें सुन ली हैं और उस पर उसका ध्यान अवश्य जायगा ।

नोट---तारांकित प्रश्न २८ श्री श्रीचन्द ने पूछा ।

राज्य में चीनी मिलों पर बकाया

*२९--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस समय प्रदेश के किस चीनी मिल के जिम्मे कितना गन्ना का दाम बाकी है और सीजन में कुल कितना दाम देना था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--आवश्यक सूचना संलग्न है ।

(देखिए तथा 'अ (१)' आगे पृष्ठ ३१६-३१८ पर)

*३०--श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि तमकुही चीनी मिल देवरिया क्षेत्र के केन सुपरिन्टेन्डेन्ट ने स्थानीय कोआपरेटिव डेवलपमेंट यूनियन के A.C.P.O.M. को गन्ना की कीमत कम करने के विषय में कोई पत्र ५ मई, १९५३ को लिखा था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी नहीं ।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछले साल का और इस साल का कितना रुपया गन्ने का बकाया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जो सूची दी गयी है उसमें हर मिल का इस साल का और पिछले साल का दिया हुआ है । माननीय सदस्य अगर उसको जोड़ लें तो मालूम हो जायगा ।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष के २ करोड़ ३४ लाख रुपये और पिछले वर्ष के २४ लाख १९ हजार रुपये जो गन्ने के दाम बाकी हैं, उनको दिलाने के लिये सरकार ने क्या क्या किया ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--वे तमाम जरूरी बातें जो की जाती हैं, की गयीं और की जा रही हैं।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किसी मिलमालिक के खिलाफ कोई अदालती कार्यवाही की गयी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री राजनारायण--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खड्डा मिल में कितना रुपया बकाया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--यह भी सूची में दिया गया है। इसके अलावा मैं यह बता दूं कि इस सिलसिले में केन कमिश्नर ने सर्टिफिकेट दे दिया है और कलेक्टर इस बकाया को बतौर लैन्ड रेवेन्यू के वसूल करेगा ।

श्री श्रीचन्द--लगभग ३ करोड़ रुपये के शेष बताया गया है यह रुपया किसानों को कब तक दे दिया जायगा ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--कोशिश की जायगी और जल्द ही दिला दिया जायगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस शेष रुपये का ब्याज भी किसानों को दिया जायगा ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां, वह तो अब कानून हो चुका है, इसपर ब्याज भी मिलेगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि खड्डा मिल का जो रुपया बकाया किसानों को दिया गया है वह कब दिया गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---मैंने इससे पहले के जवाब में यह बतलाया था कि खड्डा मिल में जो रुपया बकाया है उसके लिये केन कमिश्नर ने एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे दिया है और वही उन्हें वसूल करेगा। बकाया कब दिया गया उसकी कोई तारीख मेरे पास मौजूद नहीं है।

श्री गोंदासिंह---क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बकाया की रकम में जो केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय की तरफ से चार आने मन अधिक दाम देने के लिये कहा गया है वह भी शामिल है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---बकाया में जितनी भी रकमें आयी होंगी वे सभी शामिल होंगी।

श्री दीनदयालु शर्मा---मैं आपका ध्यान सवाल नम्बर २७ की ओर खींचना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---अब प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। मैं आपका ध्यान नियम ४२ की ओर दिलाना चाहता हूं। अगर आपको कोई संतोष न हुआ हो या कोई त्रुटि रह गयी हो तो उस सवाल को आप यहां किसी वक्त में फिर उठा सकते हैं लेकिन उस बारे में इस वक्त अब यहां कोई चर्चा नहीं हो सकती।

गाजीपुर में मस्जिद के स्थान पर मन्दिर बनाने पर सरकारी कर्मचारियों की पक्षपातपूर्ण नीति के सम्बन्ध में दो कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास दो श्री जमुना सिंह तथा श्री झारखंडेराय से कामरोको प्रस्ताव आये हैं। दोनों में करीब करीब विषय एक ही है। श्री जमुना सिंह जी का प्रस्ताव इस प्रकार से है :

गत ५ मार्च, १९५४ को गाजीपुर शहर में सरकारी कर्मचारियों की पक्षपातपूर्ण नीति से पुलिस का पहरा रहते हुए एक मस्जिद के स्थान पर कुछ व्यक्तियों ने मंदिर की स्थापना की। इससे शहर का वातावरण साम्प्रदायिक उत्तेजना से विषाक्त हो गया। सदन इस साम्प्रदायिक उत्तेजना की परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज कार्यवाही स्थगित करना है।

इसी प्रकार से श्री झारखंडेराय जी का भी है। तो ५ मार्च को यह वाकया हुआ लेकिन उसके बाद तत्काल यहां यह पेश नहीं किया गया। उस वाकये को आज ६ रोज हो चुके हैं इसलिए उसकी इतनी तात्कालिकता यदि थी तो माननीय सदस्य को पहले ही पेश कर देना चाहिये था। एक तो यह बात है। दूसरे यह कि इसमें क्या निश्चित बात है उस विषय में भी इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि कैसा वातावरण और कैसा झगड़ा है। इसलिये मैं इन दोनों को अवैध करार देता हूं और मैं इजाजत नहीं देता हूं कि यह पेश हों।

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष---माननीय नारायणदत्त तिवारी अब अपना विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं नियम ४७ के अनुसार श्री राम रूप सिंह वर्तमान जिला मैजिस्ट्रेट नैनीताल, श्री बी०एन० टंडन वर्तमान ए० डी० एम० काशीपुर और काशीपुर के पुलिस एस०ओ० द्वारा इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्योरा प्रस्तुत करना चाहता हूं---

तारीख ४ फरवरी, १९५४ को श्री रामरूप सिंह वर्तमान जिला मैजिस्ट्रेट नैनीताल और श्री बी० एन० टंडन वर्तमान ए० डी० एम० काशीपुर जिला नैनीताल ने दफा १४४ तोड़ने के अभियोग में सायंकाल ४ बजे के लगभग काशीपुर में मुझे गिरफ्तार किया और थाना इंचार्ज काशीपुर की हिरासत में दे दिया। तत्पश्चात् काशीपुर का एक पुलिस दस्ता जिसमें एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर व छः हथियार बन्द पुलिस थी मुझे एक जीप में से लगभग ५० मील दूर हल्द्वानी ले गया। जहां मुझे साढ़े नौ बजे रात्रि को छोड़ दिया गया। पुलिस और अधिकारियों के मुझे इस प्रकार साढ़े ५ घंटे तक हिरासत में रखने से मैं उस दिन लखनऊ फाइनेन्स कमेटी की मीटिंग में आने से वंचित रह गया और मुझे एक दिन की देर हो गयी। पुनः मेरे इस प्रकार गिरफ्तार किये जाने की सूचना आपको भी नहीं दी गयी जो विशेषाधिकार की अवहेलना है। मैं आपकी सूचना के लिए उस आज्ञा की सही नकल भी नत्थी कर रहा हूं जो ए० डी० एम० काशीपुर ने मेरे सम्बन्ध में तारीख ४ फरवरी, १९५४ को निकाली और जिसकी सही नकल मुझे छोड़ते समय हल्द्वानी में उन्हें सब-इंसपेक्टर ने दी जो कि मुझे हल्द्वानी जीप में ले गये थे। मुझे आशा है कि आप इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना सम्बन्धी उचित आदेश देने की कृपा करेंगे।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से पहले एस०डी०एम० महोदय का आर्डर पढ़ देना चाहता हूं :

"Sri Narain Dutt Tewari is committing a breach of section 144 Cr. P. C. by obstructing sugarcane carts, trucks and wagons from entering into L. H. Sugar Factory, Kashipure. I, hereby, order the S. O. Kashipur to remove him under escort to Haldwani and release him there."

जिस समय मुझे लगभग ४ बजे के करीब गिरफ्तार किया गया उसके पहले काशीपुर में ४८ गिरफ्तारियां दफा १४४ के तोड़ने पर हो चुकी थीं जिनमें श्री रामदत्त जोशी सभापति हिन्दू किसान पंचायत जिला नैनीताल, श्री किशोरीलाल नसीम, श्री कान्तिप्रसाद आदि भी थे। उस समय वहां पर करीब ५०० आदमियों की भीड़ थी और मैं सड़क के किनारे पर खड़ा था। जिला मैजिस्ट्रेट श्री रामरूप सिंह और श्री बी० एन० टंडन, एस० डी० एम० साहब मेरे पास आये और उन्होंने मुझसे कहा कि आप जीप में बैठ जाइये। मैंने उनसे कहा कि मैं जीप में क्यों बैठूं आप मुझे कहां ले जाना चाहते हैं ? बाद को उन्होंने निश्चितरूप से कहा कि मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं और यह शब्द उन्होंने, पांच सौ आदमियों के सामने कहे और हमको गिरफ्तार किया तब मैं उनकी जीप में बैठा और मुझे वह बंगले ले गये। साथ ही उन्होंने एस०ओ० काशीपुर को बुलाया और बुलाने के बाद उन्हीं को कुछ लिखित आर्डर दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे किस दफा के अनुसार गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपको वारंट की नकल मिल जायगी, आपको दफा १४४ तोड़ने में गिरफ्तार किया जा रहा है और आप एस०ओ० काशीपुर के सुपुर्द हैं। मैंने कहा कि क्या मुझे काशीपुर एक पुलिस सब-इन्सपेक्टर के साथ जेल भेजा जा रहा है ? इस पर उन्होंने कहा कि आप को दूसरी जगह भेजा जा रहा है। इस प्रकार गिरफ्तार करके मैं एस०ओ० काशीपुर और एक हथियार बन्द पुलिस दस्ता के सुपुर्द कर दिया गया। मैंने वारंट की नकल मांगी तो उन्होंने कहा कि वह आपको मिलेगी। उसके बाद आप जानते हैं कि मुझे काशीपुर से ५० मील दूर कार द्वारा हल्द्वानी पहुंचा दिया गया। इसके अलावा काशीपुर से मुरादाबाद सीधे रेलवे लाइन जाती है और हल्द्वानी से भौजीपुरा और पीलीभीत हो करके रेलवे लाइन लखनऊ आती है। अगर ४ बजे मुझे गिरफ्तार न किया गया होता दो मैं उसी शाम को ट्रेन से चल करके ५ तारीख को सुबह लखनऊ आ जाता। यहां फाइनेंस कमेटी की मीटिंग ६ तारीख को होने वाली थी और वह सप्लीमेंटरी बजट के लिये बुलायी गयी थी। मुझे यहां आकर उसका अजेंडा वगैरह लेना था और तैयारी करनी थी लेकिन मुझे एक दिन की देर हो गयी। मुझे हल्द्वानी में साढ़े ९ बजे छोड़ा गया जबकि कोई ट्रेन उस समय नहीं मिलती थी और मैं उस दिन

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

लखनऊ नहीं आ सकता था। फिर जब सब-इंस्पेक्टर साहब ने मुझे कार से उतारने की बात की तो मैंने उनसे कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं ? उन्होंने कहा कि आपको वारंट की नकल देता हूं और आप रिहा किये जाते हैं। उस समय भी ५०, ६० आदमियों के सामने मुझे रिहा किया गया। अब प्रश्न यह है कि अरेस्ट किये बिना मेरा रिमूवल हो नहीं सकता था। यह कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं यों ही जीप या कार में बैठ जाता। मुझे निश्चित रूप से अरेस्ट किया गया और रिमूवल बिना मेरे अरेस्ट के हो ही नहीं सकता था। 'इसकोर्ट' का भी यही मतलब है कि मैं अरेस्ट किया गया क्योंकि बिना अरेस्ट के इस्कोर्ट की क्या आवश्यकता हो सकती थी ? इसके साथ साथ "रिलीज" जो शब्द है वह भी सारी स्थिति का परिचायक है। पहले जब कोई व्यक्ति अरेस्ट होगा तभी वह रिलीज हो सकता है और पुलिस के हाथ से रिलीज होने का मतलब यही है कि अरेस्ट किया गया। मैं यह भी समझता हूं कि अरेस्ट किसी क्रिमिनल अफेंस के करने पर होता है मैंने क्रिमिनल अफेंस किया दफा १४४ तोड़ी। मैजिस्ट्रेट ने मुझे उसकी सजा रिमूवल द्वारा दी और सजा धारा १८८ इंडियन पेनल कोड के मातहत हो सकती है। इसी प्रकार मेरे रिमूवल का आर्डर इंडियन पेनल कोड के मातहत हुआ। यहां पर यह स्पष्ट है कि अफेंस करते हुये दफा १४४ तोड़ी गयी और दफा १८८ में अरेस्ट करने के बाद रिमूवल का पनिशमेंट आर्डर किया। तो इसलिये एक निश्चित कमिटल आफ अफेंस हुआ और जब निश्चित कमिटल आफ अफेंस हुआ तो यह मेरा निश्चित मत है श्रीमन् कि पार्लियामेंट की हिस्ट्री में या इस सदन की जो परम्परा रही है उसके अनुसार, क्रिमिनल अफेंस की एक सूचना साधारणतया उसी दम गिरफ्तार किये जाने के बाद आपके पास भेजी जानी आवश्यक थी। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस पेज ८० की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें यह लिखा है :—

"The committal of a Member for high reason or any criminal offence is brought before the House by a letter addressed to the Speaker by the committing Magistrate."

कांस्टीट्यूशन की कमेंटरी में भी इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चार्ज चाहे छोटा हो या बड़ा हो गिरफ्तार करने के बाद चाहे हवालात में रखा गया हो चाहे जेल में भेजा गया हो या जमानत पर भी छोड़ दिया हो तब भी हर हालत में स्पीकर को सूचना देना आवश्यक है। जहां तक बिल्कुल इसी प्रकार के प्रेसीडेन्ट्स मिलने का सवाल है अगर सारी रूलिंग्स सभी स्थानों की देखी जायं तो इस प्रकार के कई प्रिसीडेन्ट्स मिल सकते हैं। फिर मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज १०९ की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है :—

"It would be vain to attempt an enumeration of every act which might be construed into a contempt, the power to punish for contempt being in its nature discretionary."

तो इसलिये श्रीमन् मैं समझता हूं कि आपको या इस माननीय सदन को किसी भी विधान सभा के सदस्य के किसी भी क्रिमिनल आफेंस पर 'कमिटल' के बारे में सूचना न देना इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना है और मेरा यह निश्चित मत है और अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं प्रिविलेज कमेटी को स्पष्ट कर सकूंगा कि यह केवल मेरा ही प्रश्न नहीं है यह प्रत्येक सदस्य के विशेषाधिकार का प्रश्न है। अगर कोई भी माननीय सदस्य १० मिनट के लिये भी गिरफ्तार किये जाते हैं तो उसकी सूचना इस माननीय सदन को होनी चाहिये। इसलिये मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं कि इस विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में श्री रामरूप सिंह जिला मैजिस्ट्रेट नैनीताल, श्री बी०एन० टंडन एस०डी०एम० काशीपुर जिला नैनीताल श्री एम० पी० सिंह एस०ओ० पुलिस काशीपुर और वह पुलिस इंस्पेक्टर जो मुझे हल्द्वानी ले गये

थे उनका नाम मुझे नहीं मालूम हो पाया है, अगर वे भी इसके अन्दर आते हों तो उनके द्वारा इस सदन को विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में आप अपना निर्णय देने की कृपा करें।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में तो समान रूप से हमारी जो नीति है और हमारा जो खयाल है हमारा से मेरा मतलब गवर्नमेंट से है, उसका जिक्र मैं कल कर चुका हूं। हम सब इस बात में एकमत हैं कि इस सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा होनी चाहिये और किसी हालत में भी किसीके द्वारा उनकी अवहेलना नहीं होने देना चाहिये। जहां तक इस प्रश्न विशेष का सवाल है श्री नारायणदत्त जी की बाबत जिन फैक्ट्स का उन्होंने यहां उल्लेख किया है उनमें से कइयों को मैं स्वीकार करता हूं, यह सही है कि वह काशीपुर से हल्द्वानी भेजे गये जो वहां से ५० मील दूर है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। उन्होंने मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के कुछ पृष्ठों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया। मैं भी आपका ध्यान मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के सन् १९५० के संस्करण के १२१ वें पृष्ठ के तीसरे अनुच्छेद की ओर आकृष्ट करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---प्वाइंट आफ आर्डर। मैं एक व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं कि क्या जिन व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित है उनकी ओर से जवाब देने का अधिकार माननीय मंत्री जी को है?

श्री अध्यक्ष---वे उनकी ओर से जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं तो उस नियम के अनुसार उनसे पूछ रहा हूं कि चूंकि वे इस विभाग के मंत्री होने के कारण उन्हें कोई मालूमात हों वाकयात के सम्बन्ध में और उनके इस सम्बन्ध में कोई विचार हों तो उसे जिम्मेदारी के साथ वह दे सकें और निर्णय तो मैं ही करूंगा क्योंकि आखिर में निर्णय तो मुझे ही करना है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---तो मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि उसके शब्दों पर ध्यान देने की जरा आप कृपा करें। उसमें लिखा हुआ है:

"The failure of a judge or a magistrate to inform the House of the committal to prison of a member on a criminal charge or on a criminal offence shall, therefore, constitute breach of privilege."

तो 'कमिटल टु प्रिजन' चाहे वह क्रिमिनल चार्ज के ऊपर हो या सजा के पहले हो या बाद में हो इसमें लफ्ज आया है। अब माननीय नारायणदत्त जी ने जो सवाल उठाया यह एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर फैसला कोई अदालत ही कर सकती है कि किसी क़ानून के अन्दर ऐसा हुक्म दिया जा सकता है या नहीं, लेकिन जो हुक्म दिया गया उसकी पाबन्दी हुई। २०,२५ मील की यात्रा के दौरान में ५,६ घंटे लगे लेकिन एक क्षण को भी प्रिजन में नहीं रहे। इसलिये यहां पर प्रिविलेज का सवाल पैदा ही नहीं होता है। इसलिये कि यहां प्रिजन का लफ्ज है। इसलिये यहां प्रिविलेज का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, माननीय नारायणदत्त जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल उठाया है। लेकिन गृह मंत्री जी की बात सुनकर मुझे कुछ परेशानी जरूर हुयी। माननीय गृह मंत्री जी ने मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के जो अर्थ खींचकर लगाये इस सदन में यह सही है या नहीं.....

श्री अध्यक्ष---आप यह कह सकते हैं कि उन्होंने गलत अर्थ लगाये। खींचकर अर्थ लगाये इस तरह की बात न कहें।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय नारायणदत्त जी का ही कोई एक उदाहरण नहीं है। यदि आप देखेंगे तो कई उदाहरण मिलेंगे। अभी मिर्जापुर से फोन आया है कि सत्याग्रह चल रहा है।

श्री अध्यक्ष---देखिये मैं विषयांतर नहीं चाहूंगा। आप थोड़े में कहिये।

श्री राजनारायण---इसमें लिखा हुआ है कि "कमिटल टु प्रिजन" क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हम यहां विधान सभा के सत्र में आ रहे हैं और पुलिस ने हमको गिरफ्तार कर लिया और तीन दिन तक उत्तर प्रदेश का चक्कर लगवाती रही और हम सदन में न आ सके तो क्या यह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं होता है? मैं चाहूंगा कि वहां पर गिरफ्तारी करके जेल में भेजा जाता है या मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है वहां पर यहां की सरकार पुलिस की ऐसी आदत डाल रही है।.....

श्री अध्यक्ष---मैं आप से कहूंगा कि अब आक्षेप का समय नहीं है। यह प्रिविलेज की बात तो बहुत शांतिपूर्वक होनी चाहिये।

श्री राजनारायण---प्रिजन में न भेजने से विशेषाधिकार का सवाल नहीं उठता है इस चीज को ध्यान में नहीं रखना चाहिये। यह तो बिल्कुल क्लीअर ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, मुझे खाली एक प्रार्थना करना है कि यदि आपका अंतिम निर्णय यह हो कि इसमें ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है। इस सम्बन्ध में प्रार्थना है कि.....

श्री अध्यक्ष---थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण दे दूं ताकि गलतफहमी न हो। मेरा निर्णय यह नहीं होगा कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है या नहीं। यह तो सदन का निर्णय होगा। मेरा तो निर्णय केवल प्राइमाफेसी ब्रीच प्रतीत होता है या नहीं इसके सम्बन्ध में होगा। मैं अपना फैसला कल देने का विचार रख रहा हूं। इसके विचार में बहुत सी चीजें गड़बड़ दिखायी देती हैं। मैं प्राइमाफेसी देखूंगा कि यह प्रश्न सदन के निर्णयार्थ भेजा जाय या नहीं। ऐसा न हो कि कोई सवाल प्राइमाफेसी उठता नहीं है तो भी सदन का समय लिया जाय। लेकिन मैं देखूंगा कि प्राइमाफेसी सिद्ध यदि बात होती है लेकिन कुछ शक रह जाता है तो भी कोई बात नहीं है ऐसी हालत में इसे वैध ही करार देकर समिति के पास भेज दूंगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---यदि आप समझें कि यह वैध है और प्रिविलेज कमेटी में भेजने के लायक है। हालांकि गृह मंत्री जी ने कह दिया है कि प्रिविलेज एक ऐसा सवाल है जिसको हर सदस्य को सेफगार्ड करना आवश्यक है लेकिन जो विचार उन्होंने प्रगट किये हैं उसको सुनकर मैं यह प्रार्थना करता हूं कि यदि आप स्वयं निर्णय दे सकें तो अच्छा है। प्रिविलेज कमेटी में इसको भेजना बेकार है जब कि मंत्री महोदय ने अपना विचार प्रगट कर दिया है। ऐसी हालत में यह मानना पड़ेगा कि उनके विचार से उनके दल के सदस्य कुछ हद तक अवश्य प्रभावित होंगे। इसलिये जिस विषय पर मंत्री महोदय स्पष्ट विचार कर लें उसको प्रिविलेज कमेटी में भेजना और यह उम्मीद करना कि वह इस पर निष्पक्ष विचार कर सकेगी ठीक नहीं होगा। तो हालांकि मैं कोई ऐसी विधि देखता नहीं हूं कि जिसके अनुसार आप स्वयं निर्णय दे सकें किन्तु यदि सदन कोई उपाय निकाल सके तो मेरा सुझाव यह है कि इसपर निर्णय आप स्वयं देने का कष्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष---यह ऐसा प्रश्न माननीय बालेन्दुशाह जी ने उठाया कि जो जरा नियम के विरुद्ध है। चाहे यहां की प्रथा हो चाहे इंग्लैन्ड की प्रथा हो दोनों में एक ही चीज है कि

सदन ही निर्णय करता है कि यह ब्रीच आफ़ प्रिविलेज हुआ, विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी या नहीं और कभी अध्यक्ष यह निर्णय नहीं करता। तो अध्यक्ष को यह अधिकार दे देना या देने का प्रयत्न करना यह तो मैं समझता हूं कि नियम के विरुद्ध भी है और यह जो विशेषाधिकार संविधान के अनुसार इस सदन को दिये गये हैं उसके भी खिलाफ पड़ता है क्योंकि जो इंग्लैन्ड में अधिकार सदन को है वही इस सदन को भी हैं। इस तरह से यह अधिकार निर्णय करने का ट्रांसफर कर देने का तरीका मैं समझता हूं उचित नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि माननीय गृह मंत्री जी ने अभी अपनी स्पष्टोक्ति में यह कहा कि इस प्रश्न पर बिलकुल हर एक आदमी को जो कि सदन में बैठे हुए हैं शांत चित्त से पक्षपात छोड़कर पार्टी का विचार न करते हुए निर्णय करना चाहिये। उनका मतलब यह भी है कि चाहे कुछ भी मत आज वैध होने या न होने के बारे में कोई भी दे चाहे नारायणदत्त जी कुछ मत दे दें या आप कुछ मत दे दें या माननीय गृहमंत्री जी कुछ मत दे दें तो भी जब मैं यह निर्णय दे दूं कि यह विचारार्थ जायगा तो जिस वक्त प्रिविलेज कमेटी में प्रश्न उपस्थित होगा उस वक्त हर एक मेम्बर का यह कर्त्तव्य है कि चाहे कुछ भी मत यहां प्रकट किया हो लेकिन सदन की प्रतिष्ठा का ख्याल करते हुये सदन का विशेषाधिकार सुरक्षित रखने की दृष्टि से विचार करके उस पर अपना निर्णय दे। यह भी उनके भाषण का उद्देश्य था जो उक्ति उनकी थी उसमें इसकी तरफ भी संकेत था। यह नहीं था कि इसमें बहुमत या अल्पमत का कोई विचार दिल में हो। यह बात दूसरी है कि बहुमत जो विचार स्वतंत्र रीति से रखता है उस वक्त वही आखीर में निर्णय होगा। लेकिन इस दृष्टि से नहीं कि कोई पार्टी के लिहाज से फैसला वह दे रहे हैं या बहुमत और अल्पमत का सवाल विचार में हो। हरएक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए। यह उनका मन उनके कथन से ध्वनित होता था। तो इसकी अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न है मैं समझता हूं कि.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—प्वाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रिविलेज कमेटी के जो मेम्बर हैं वह अपनी राय अगर यहां न जाहिर करें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि पहले से ही वह अपनी राय बता देते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को इजाजत न दें।

श्री अध्यक्ष—हां, मैं समझता हूं कि यह उचित ही होगा जो वह कह रहे हैं।

श्री राधामोहन सिंह—मैं इस प्रश्न पर कोई राय नहीं देना चाहता।

श्री अध्यक्ष—आप यहां कोई सिद्धान्त पेश करना चाहते हों तो कर दीजिए लेकिन इससे सम्बन्धित न हो।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, जरा एक प्रार्थना है कि एक सुझाव देना चाहता हूं कि यदि भविष्य में इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो उसके ऊपर बजाय यहां पर राय लेने के अगर सम्भव हो कि आप उनका मत अपने चेम्बर में प्राप्त कर लें तो जो मैंने आपत्ति की थी वह भी न रहेगी। हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि माननीय सदस्य जब कमेटी में बैठते हैं तो स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखेंगे मगर जब एक मंत्री महोदय अपनी राय दे देते हैं तो कुछ न कुछ उनके विचार से प्रभावित उन्हें हो जाना स्वाभाविक है।

श्री अध्यक्ष—यह माननीय सदस्य का सुझाव है। यह भी बहुत अच्छा है। लेकिन नियम का इसमें कुछ परिवर्तन करना होगा तभी मैं यह कर सकूंगा। उसमें तो दिया

[श्री अध्यक्ष]

हुआ है सिलसिलेवार कि पहले अध्यक्ष अनुमति देंगे, फिर सदन में माननीय सदस्य पेश करेंगे फिर किसी मेम्बर को कुछ कहना हो और यदि उनको मैं इजाजत दूं तो वह बोलें। ये नियम सदन से बने हुए हैं और उनसे मैं बंधा हूं लेकिन यह सुझाव इंग्लैंड की प्रथा से बिल्कुल अलग है। अगर हमने यहां तय किया है कि अध्यक्ष को अधिकार इस प्रश्न को कमेटी के सामने भेजने का है तो उसके साथ माननीय सदस्य का जोड़ना उचित मालूम होता है लेकिन मैं नहीं कह सकता कि सदन की क्या राय होगी जबकि वह नियम में परिवर्तन करे। अब इस विषय पर अधिक चर्चा करने की जरूरत नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं अधिक चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन एक बात की ओर प्रिविलेज कमेटी का मेम्बर होने की हैसियत से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि यह अनुचित नहीं है और एक तरह से उस अधिकार की यह रक्षा है जब सदन के सामने यह प्रश्न उपस्थित है तो वह अपने विचार इस पर प्रकट करे। इसकी स्पष्ट शब्दों में नियमों में गुंजाइश है। लिहाजा अपने विचारों को रख देना मैं अनुचित नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष—यह अधिकार तो है। हरएक मेम्बर को अधिकार है लेकिन कोई प्रथा भी हम लोग बना लेते हैं उचित है या अनुचित इस ख़याल से। इसी विचार से मैंने उनको सलाह दी। अगर वह उचित समझते हैं इस प्रथा का कायम करना इस वजह से प्रिविलेजेज कमेटी के ७,८ सदस्य हैं यदि हरएक यहां राय देने लगेगा तो पक्षपातरहित कमेटी का फैसला होने में दिक्कत हो सकती है। तो वे इस सुझाव को स्वीकार करें। अगर आप भी यह प्रथा उचित समझते हैं तो स्वीकार करें। राधामोहन सिंह जी ने उस प्रथा को इसलिये स्वीकार कर ली है। परन्तु जिसका स्वयं प्रश्न विचारणीय है जैसे आपका है, यदि प्रश्न को वैध करार दे दिया गया और प्रिविलेजेज कमेटी में मामला गया तो उस वक्त आप स्वयं सदस्य वहां नहीं रहेंगे क्योंकि नियम बना हुआ है। परन्तु सदन में अभी आपको यहां राय देने की पूरी आजादी है जोकि और समिति के सदस्यों को नहीं होनी चाहिये और उनके लिये यह प्रथा डालना जरूरी था, इसीलिये उन्होंने उक्त सुझाव स्वीकार किया।

श्री राजनारायण—आपने एक रूल बताया था ६७, वह इस प्रकार है:

"Notwithstanding anything contained in these rules, the Speaker may refer any question of privilege to the Committee of privileges for examination, investigation or report."

श्री अध्यक्ष—वह तो मैं कर ही सकता हूं। अगर वैध भी न करार दूं अगर मैं समझता हूं कि इंवेस्टिगेशन के लिये भेजना जरूरी है। लेकिन अभी तो वैध होने न होने के बारे में ही राय ले लेना चाहता था। कल मैं इसका निर्णय दूंगा और माननीय गेंदासिंह जी का प्रश्न आज ही लेने वाला था लेकिन यही उचित समझा कि एक साथ कल ही दोनों का निर्णय दे दूंगा।

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९५४

स्वशासन मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिय नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३१९–३५२ पर)

*उत्तर प्रदेश पंचायतराज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक, १९५४

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक, १९५४, पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, यह बिल सिर्फ एक बात के लिये है और वह यह कि ग्राम सभाओं की, ग्राम पंचायतों की और पंचायती अदालतों की मियाद एक साल के लिये बढ़ा दी जाय । जैसा कि मैं अभी पंचायत राज अमेंडिंग बिल इस सदन के सामने पेश कर चुका हूं उस बिल को देखने से मालूम होगा कि यह काफी महत्व का बिल है और इसमें पंचायतों के संगठन और कार्य के सम्बन्ध में काफी संशोधन हैं । इसलिये इसमें तो दो राय नहीं होगी कि पंचायतों की अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ा दी जाय । जो बिल मैंने इस समय सदन के सामने रखा है वह १८ जनवरी को आर्डिनेन्स के रूप में जारी हुआ था। अब इस समय प्रश्न यही हो सकता है—यद्यपि यह हो सकता है कि पंचायतों की मियाद १ वर्ष के लिये बढ़ा दी जाय और उसमें किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति न हो फिर भी यह प्रश्न शायद उठाया जाय कि यह आर्डिनेन्स के रूप में क्यों लाया गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्डिनेन्स का पास करना किसी को अच्छा नहीं लगता जितना भी कम आर्डिनेन्स के द्वारा लेजिस्लेशन हो उतना ही अच्छा है । इसमें दो राय नहीं हो सकती परन्तु जिन परिस्थितियों में आर्डिनेन्स का सहारा लेना पड़ा वह यह थीं कि इस पंचायतराज के संशोधन में बहुत से प्रश्न उपस्थित हुये । मैं इस सदन में और इस सदन के बाहर भी कई बार इस प्रश्न को उपस्थित कर चुका हूं । इसलिये बहुत सारांश में ही इसका फिर जिकर करूंगा । पंचायत संगठन का सारा कार्य जैसा पिछले ४।। साल से रहा है उसमें बहुत सी कठिनाइयां नजर आयीं । इसी बीच में गांव समाज का भी संगठन हुआ और गांव समाज के और आपस में क्या सम्बन्ध हों यह प्रश्न पैदा हुआ । यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि पहाड़ी जिलों को छोड़कर जो इस सूबे के गांव हैं जिनकी संख्या ९७,९८ हजार है उनको कम किया जाय और २५० से कम आबादी के गांव पास के गांव में मिलाकर उनको छोटे गांव बनाये जां. यानी रेवेन्यू विलेज का नम्बर रिड्यूस किया जाय जोकि अब ६० हजार के करीब होंगे और उस संख्या के कम हो जाने के बाद यह प्रश्न उपस्थित होगा कि गांव समाज और गांव सभा किस प्रकार से एक ही साथ काम करने लगे । इसलिये यह एक बहुत बड़ा प्रश्न था । इसमें जो कठिनाइयां प्रतीत होती थीं उनमें से एक यह भी थी कि इनका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के साथ क्या सम्बन्ध हो । यह सारे प्रश्न थे । यह इतने बड़े प्रश्न हैं कि जिन पर मनन करने की काफी आवश्यकता थी और अब भी आवश्यकता है । जिस किसी भी सज्जन ने इसपर विचार किया हो वह यह नहीं कह सकता कि उसकी इस पर अन्तिम राय हो गयी । इसलिये जो संशोधन था उसमें इतना समय लग गया । इसलिये खयाल यह था कि अमेंडिंग बिल भी सदन के सामने आ जाय । इस समय इसकी लाइफ बढ़ाने की बात सदन के सामने है। अगर यह अमेंडिंग बिल असेम्बली के पिछले सेशन में तैयार हो गया होता तो उस समय जो इस आर्डिनेन्स का सहारा लिया गया है यह पिछले सेशन में पेश कर दिया जाता कि इसकी लाइफ एक साल के लिये बढ़ा दी जाय । क्योंकि पिछले दिनों असेम्बली का सेशन नहीं हो सका और पंचायत की मियाद फरवरी महीने तक थी, फरवरी में इनकी मियाद खत्म होती थी । इसलिये मजबूरन आर्डिनेन्स का सहारा लेना पड़ा । इसमें कोई खास बात ऐसी नहीं है जिसमें आर्डिनेन्स किसी खास मतलब के लिये किया गया हो । यह तो एक रुटिन का काम था उनको बीच में तोड़ा नहीं जा सकता था और संशोधन हुये बिना उनका चुनाव करना मुनासिब नहीं था । इसलिये यह आर्डिनेन्स का सहारा लेना पड़ा । सिवाय इस बात के माननीय सदस्यों को और कोई आपत्ति नहीं हो सकती । इसलिये मैं इस विधेयक को इस सदन के सामने पारित होने के लिये पेश करता हूं ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्थानीय स्वशासन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत पदावधि अनुपूरक विधेयक के उद्देश्य और कारण को देख

*विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक ६ मार्च, १९५४ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री राजनारायण]

कर इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि इसका मुझे विरोध करना चाहिये । माननीय मंत्री जी ने इस पर विचार प्रकट किये हैं कि अध्यादेश क्यों जारी हुआ । मैं यह निवेदन करूंगा कि दिसम्बर में विधान सभा का सत्र आखिर तक जब चला था तो अध्यादेश क्यों जारी किया गया । अध्यादेश जनवरी में जारी हुआ और दिसम्बर के अन्त तक विधान मंडल चल रहा था और उस अवसर पर काउंसिल की बैठक क़रीब क़रीब हो रही थी । तो अध्यादेश जारी करने में जो मनोवृत्ति सरकार की बनती जा रही है पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसी मनोवृत्ति सरकार को ग्रहण नहीं करनी चाहिये । माननीय मंत्री जी ने पहले ही गोष्ठी में और व्यक्तिगत रूप से इस बात की चर्चा की थी कि पंचायत राज ऐक्ट में कुछ मूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में भी मूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । जब ऐसी बात थी तो फिर क्यों नहीं पहले ही, कुछ दिन पहले ही, यह विधेयक लाया जा सकता था और अध्यादेश जारी करने की जिससे आवश्यकता ही न पड़ती । यह विधेयक बराबर सदन के सामने बिना किसी कठिनाई के सदन से पारित करने के लिये लाया जा सकता था । इसमें कोई शक नहीं है । मन्त्री जी का दूसरा तर्क है कि चूंकि एक आमूल परिवर्तन करने के लिये एक सर्वांगीण विधेयक आने वाला था इसलिये उस समय अध्यादेश जारी कर दिया गया और १ साल की अवधि बढ़ाने के लिये हम विधेयक पेश कर रहे हैं और तब एक सर्वांगीण परिवर्तन करने वाला जो संशोधन विधेयक होगा वह आवेगा । मैं इसमें सरकार की ओर से त्रुटि खामी देखता हूं । सरकार ने इसमें अपना कर्तव्यपालन ठीक से जनतांत्रिक ढंग से नहीं किया है । अगर सरकार चाहती तो अध्यादेश का जारी किया जाना एवायड (रोका) किया जा सकता था । यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको हमारी सरकार न कर सकती होती । लेकिन मैं यह समझता हूं कि जिस प्रकार से आज गांव पंचायतें सरकारी कमेटियों के रूप में बना दी गई हैं उस तरीके को सालभर तक और चलाने के लिये यह विधेयक लाया गया है । श्रीमन्, आप स्वयं हमसे ज्यादा जानते होंगे जबकि यह विधेयक प्रस्तुत हुआ था तो उस समय उसकी क्या मंशा थी । इस ऐक्ट को पढ़ने से तो यह मंशा स्पष्ट होती है कि सरकार उस समय यह चाहती थी कि जनमत की इज्जत हो और वे यह चाहते थे कि डेमोक्रेसी आगे भी डेवेलप (बढ़ती रहे) करती रहे और सामान्य जनता का सहयोग सरकार में हो । इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए पंचायत राज्य ऐक्ट बनाया गया था । आज भी जब डेमोक्रेसी और डिसेंट्रेलाइजेशन की बात होती है तो उसको दुहराया जाता है और कहा जाता है कि सरकार ने इतना बड़ा काम कर दिया । लेकिन श्रीमन् मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर, जिस समाज निर्माण और राष्ट्रीय ढांचे को लेकर पंचायतराज बनाया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है । उसकी आत्मा नियमों में परिवर्तन करते करते मार दी गई है और अब केवल एक ढांचा सा रह गया है । अब जब साल भर के लिये पदावधि बढ़ाने की बात माननीय मंत्री जी कहते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है । आखिर मंत्री जी कितनी पदावधि बढ़ाना चाहते हैं । अगर हम उनके कार्यकलापों को देखें तो मालूम होगा कि क्या ग्राम पंच, क्या सरपंच और क्या सभापति सबका रूप कुछ इस तरह का बना दिया गया है कि रोजमर्रा के सरकारी काम के अंग बन गये हैं, इसको देखते हुए हमें एक दिन की पदावधि बढ़ाने की इच्छा नहीं है । श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये एक प्रेसीडेंट के जो कर्तव्य होते हैं, उनको बता देना चाहता हूं । श्रीमन्, चूंकि विधेयक अंग्रेजी में है इसलिये अंग्रेजी पढ़ कर उसी के साथ साथ, अनुवाद शब्द का नाम तो नहीं लेता, अनुवाद करता जाऊंगा । वह इस प्रकार से है—

"It shall be the duty of the President—

(*b*) to watch over the financial and superintend the executive administration of the Panchayat and bring to its notice any defect therein;

(f) to arrange for the execution of various works, for the custody of the property of the Panchayat and for the assessment and collection of taxes and fees imposed by the Panchayat."

श्री अध्यक्ष—इससे इस विधेयक का क्या संबंध है ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जो सभापति अपने कर्तव्य को पालन करने से च्युत हुए हैं और कौन कौन कर्तव्यों को पालन करने से च्युत हुए हैं जबतक यह सदन को न बताऊंगा तब तक उनकी अवधि बढ़ाई जाय या न बढ़ाई जाय यह किस प्रकार से बता सकता हूं ? इसके अतिरिक्त मैं एक खास बात बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि एक साल की अवधि बढ़ाई जाय । अब प्रश्न यह है कि वह अवधि किसलिये बढ़ाई जाय ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर यह सभापति, पंच और सरपंच सरकार की रोजमर्रा की मशीन के पुर्जे न हो गये होते, तो माननीय मंत्री जी उनकी अवधि एक मिनट के लिये भी बढ़ाने को तैयार न होते लेकिन चूंकि माननीय मंत्री जी समझते हैं कि १ साल, २ साल या १० साल भी उसकी अवधि बढ़ा दी जायगी तो भी सरकार को कोई नुक्सान होने वाला नहीं है । क्योंकि आज सरकार के हित में और जनता के हित में परस्पर विरोध है और सरकार अपनी गद्दी को इन पंचों, सरपंचों और सभापतियों के द्वारा सुरक्षित कर रही है । ऐसी अवस्था में हम किस तरह से उसकी अवधि को एक मिनट भी आगे बढ़ा दें । इसके पश्चात् एक बात उनकी ड्यूटी के बारे में है । उनकी ड्यूटी में यह है कि जो फाइनेन्सेज होंगे उनको भी वे कंट्रोल करेंगे, उनको सुपरवाइज करना सभापति का काम होगा । मैं सरकार से पूंछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में किसी भी सभापति ने अपने इस कर्तव्य का पालन किया है ? अगर कोई भी सभापति अपने इस कर्तव्य का पालन करता है तो सरकार की भृकुटी टेढ़ी हो जाती है और उसके उल्टी होने से उसको अपने पद से च्युत होना पड़ता है । आज उन्हीं सभापतियों को माननीय मंत्री जी जनता के ऊपर लादना चाहते हैं और उसी के लिये यह विधेयक ला रहे हैं । श्रीमन्, आज यह सभापति क्या कर रहे हैं ? मैं आपसे यह निवेदन कर दूं कि जब मैं सभापति कहता हूं तो मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि जितने भी सभापति हैं सब इस तरह के हैं । कुछ सभापति अच्छे भी हैं मगर, उनको रोजाना घुड़की, डांट और फटकार सुननी पड़ती है । मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जिस गांव सभा के फंड पर सभापतियों को कब्जा रखना चाहिये था, उसके खर्च पर नियन्त्रण रखना चाहिये था उस फंड को माननीय मंत्री जी ने उठा कर निजी खाते पंचायत राज अफसर डिस्ट्रिक्ट में जमा करवाने की व्यवस्था कर दी है । उन सभापतियों ने इसके लिये क्या आवाज उठायी ? वे तो सरकारी मशीन का पुर्जा बनने में ही अपना गौरव समझते हैं । मैं समझता हूं कि जो भी विकेन्द्रीयकरण में यकीन करने वाला होगा वह कभी भी इस विधेयक को एक मिनट के लिये भी बढ़ाने का ख़याल नहीं कर सकता । इसलिये श्रीमन्, जब मैं यह कहता हूं, चूंकि श्रीमन् आप इस विषय के ज्यादा जानकार रहे हैं इसलिये मुझे थोड़ा सा कहने की और हिम्मत पड़ती है । आपके ही समय में यह ऐक्ट बना इसलिये मैं आपको ही अपने साक्षी के रूप में रखता हूं और आपसे कहता हूं कि जरा सरकार से श्रीमन्, आप ही खुद पूंछिये कि बनारस में जो मीटिंग हुई थी, उसमें तीन चार सौ पंच मौजूद थे और सबने सर्वसम्मति से पास किया कि टैक्स नहीं वसूल होना चाहिये मगर इसके बावजूद भी क्या इन पंचों ने, इन सभापतियों ने वह अच्छी बात की ? इसमें लिखा हुआ है कि टैक्स किस तरह से इम्पोज होना चाहिये . . . . .

श्री मोहनलाल गौतम—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर । अभी एक पंचायत राज अमेंडिंग बिल, कि कैसे टैक्स वसूल हो, क्या उनके फंक्शन हैं ये सब बातें हाउस के सामने पेश हो चुकी हैं । इस वक्त सिर्फ सवाल यह है कि इसकी मियाद बढ़ाई जाय या न बढ़ाई जाय । मेरे ख़याल में अगर इस सवाल पर सदन अपनी राय दे दे तो सदन का काफी समय बच सकता है क्योंकि मैं यह समझता हूं कि यह बहस इर्रेलिवेंट है । बजट में सारी बातों पर बहस हो चुकी

[श्री मोहनलाल गौतम]

है और जब हाउस ने इसको पास कर दिया है तो फिर इसपर इस तरह की बहस करना रेलिवेंट नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---क्या इर्रेलिवेंट है ?

श्री मोहनलाल गौतम---टैक्स हो या न हो इस तरह की बहस करना इर्रेलिवेंट है ।

श्री अध्यक्ष---तो मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता हूं कि टैक्स के सम्बन्ध की बात इस तरह से असंगत हो जाती है क्योंकि विषय सिर्फ एक ही है कि मियाद बढ़ाई जाय या न बढ़ाई जाय । अगर आपको टैक्स के रूल्स की पूरी किताब पढ़नी हो तो कल तक आप पढ़ सकेंगे । इसलिये सिर्फ मैं चाहता हूं कि आप उधर भी ध्यान रखें, ताकि विशेष समय का दुरुपयोग न हो । दो एक एक्जाम्पिल आप दे सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मेरा भी एक प्वाइंट आफ आर्डर है । क्या असेम्बली में एक ही पंचायत राज पर दो संशोधन अलग अलग पेश हो सकते हैं ? और दोनों संशोधन का एक ही साथ होना आवश्यक नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---यह कौन सा प्वाइंट आफ आर्डर है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---मेरा प्वाइंट यह है कि दो संशोधनों पर विचार हो सकता है एक ही विधेयक के ऊपर या अलग अलग विचार हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष---यह बिलकुल अलग विधेयक है । एक विधेयक पास हो जाने के बाद दूसरे विधेयक पर संशोधन लाना चाहें तो ला सकते हैं । एक नहीं चार ला सकते हैं, इसमें क्या बात है ?

श्री राजनारायण---मैं निजी तौर पर श्रीमन्, आपका बड़ा ही आभारी हूंगा कि ५ मिनट और बैठ कर आपने प्वाइंट आफ आर्डर पर एक समुचित व्यवस्था दी लेकिन उसके बाद भी माननीय मंत्री जी ने प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया उन्होंने दो मिनट समय ले लिया तो इसके लिये मैं फिर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---आपका कोई समय निर्धारित तो है नहीं ।

श्री राजनारायण---मेरे लिये तो नहीं है लेकिन सभी आदमी हैं । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो मुझे सुझाव दिया वह स्वीकार है और मैं खुद नहीं चाहता हूं कि उसके डिटेल में जाऊं लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं श्रीमन् कि यह सूक्ष्म और छोटा सा विधेयक देखने में तो लगता है लेकिन इस सदन में माननीय स्वशासन मंत्री जी ने कहा था कि उनका जो सूक्ष्म होता है वह बिहारी के दोहे की तरह होता है और जिसकी चर्चा समाचारपत्रों में भी हो चुकी है । तो श्रीमन्, मैं मानता हूं कि यह है तो सूक्ष्म मगर इस विधेयक में एक संस्था को प्रतिष्ठित तथा सुरक्षित करने की व्यवस्था है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस बात के विरोध में हूं और क्यों हूं । उसका कारण यह भी है कि जनता पर जितने कर लगाये गये हैं वह सबके सब अवैध हैं और इन सब का इन सरपंचों ने जिनकी अवधि साल भर तक बढ़ाना माननीय मन्त्री जी चाहते हैं मुखालिफत नहीं की है । उन्होंने जितने भी कर सेक्रेटरियों की ओर से लगाये गये सब पर अपनी मुहर लगा दी, दस्तखत कर दिया । तो ऐसे सभापतियों को हम क्यों साल भर तक अपने छाती पर लादे रखें । मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों मन्त्री जी उनको हमारी छाती पर लादे रखना चाहते हैं सिर्फ इसलिये न कि उनसे सरकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है ।

इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा डिमोक्रेसी का सवाल भी आता है कि अगर यह साल भर तक हटाये नहीं जाते हैं तो धन का जो दुरुपयोग हो रहा है वह बढ़ता जायगा । बहुत से जिलों में श्रीमन् पंचायत राज्य अफसरों ने सरकार की इच्छा से एक लिस्ट बनाकर भेज दी कि इस लिस्ट में दिये हुये समाचारपत्रों के अतिरिक्त समाचारपत्र पंचायतों में न मंगाये जायं । श्रीमन्, पंचों ने नतमस्तक हो कर उसको स्वीकार किया जिससे जनतांत्रिक पद्धति के मूल तत्व का ही हनन है और उससे जनता का आगाह होना सचेत होना भी नहीं हो सकेगा ऐसे आवश्यक तत्व की अवहेलना हुई है । इसलिये मैं समझता हूं कि इस कारण इसकी अवधि हर्गिज न बढ़ाई जाय ।

एक बात मैं मन्त्री जी की जानकारी में रखना चाहता हूं कि बहुत से जिलों में वहां की रूलिंग पार्टी (कांग्रेस पार्टी) के लोग समाचारपत्र निकालते हैं, कोई साप्ताहिक निकालता है और कोई अर्धसाप्ताहिक निकालता है । इन पत्रों को जिला पंचायत राज अफसर जबरदस्ती गांव पंचायतों के सर पर लादते हैं और सभापति "मौनम् स्वीकारलक्षणम्" उसको नतमस्तक हो कर स्वीकार कर लेते हैं और जनता की कमाई इस प्रकार व्यर्थ नष्ट होती है । श्रीमन्, समय नहीं है नहीं मैं एक एक उदाहरण और एक एक प्रति लाकर रखता कि किस प्रकार एक व्यक्ति का गुणगान गाने वाले जो समाचारपत्र हैं उनको यह पंचायतराज अफसर गांव सभाओं को और पंचायत को भेजते हैं ।

पुस्तकों के बारे में भी यही हाल है । पंचायतराज अफसर लाइब्रेरी की पुस्तकों की एक लिस्ट बना देते हैं और ऐसी पुस्तकें जिनसे जनता का कल्याण नहीं है । जैसे पंचवर्षीय योजना की आलोचना चाहे उसमें आलोचना कुछ न हो मगर उसको लाइब्रेरी में रखने के लिये पंचायत राज्य आफिसर पंचों को दबाते हैं और सभापति उनको मान जाते हैं । अगर श्रीमन् पंचों का अपने फाइनेन्सेज पर कंट्रोल होता तो यह बात न होती । श्रीमन् मैं इस सिलसिले में विधेयक से एक लाइन पढ़कर सुना देना चाहता हूं :

"To watch over the finance and superintend the executive administration of the Panchayat and bring to its notice any defect therein."

तो यह कर्त्तव्य सभापति का है और इस कर्त्तव्य की अवहेलना हुई है । इसके बाद कलेक्शन (कर उगाही) के सम्बन्ध में कहा गया है :

"to arrange for the execution of various works for the custody of the property of the Panchayat and for the assessment and collection of taxes and fees imposed by the Panchayat."

इसके कलेक्शन (कर उगाही) की भी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है ? श्रीमन्, आप देखेंगे कि वहां कुर्क अमीनों को मुकर्रर कर दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन सभापतियों ने, इस सरपंचों ने अपने कर्तव्यों की पूर्ति की ? अगर इसके कलेक्शन के मैथड् (कर वसूली के तरीके) को ठीक तरीके से चलाया गया होता तो वहां पर कुर्कअमीनों के रखने की क्या जरूरत होती और उन पर इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत होती । इससे यह साफ जाहिर होता है कि टैक्स लगाने की जो व्यवस्था थी उसका पालन नहीं किया गया बल्कि उन लोगों ने केवल सरकार के इशारे पर और वहां के पंचायत अफसरों और वहां सर्किल इंसपेक्टरों को खुश करने के लिये टैक्स लगाया जब कि जनता उस टैक्स को देने से आज भी इन्कार कर रही है और उनके प्रति जबरदस्ती की जा रही है । उस टैक्स को रेवेन्यू के आधार पर वसूल करने की भी व्यवस्था की गयी है । तो श्रीमन्, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इन पंचों और सरपंचों को एक दिन के लिये भी आगे बढ़ाना वांछनीय नहीं है । एक बात मैं और माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये कह देना चाहता हूं कि इन पंचों और सरपंचों ने जो सबसे बड़ा जुल्म किया है वह यह है कि उन्होंने अपने अधिकारों को खो करके सेक्रेटरियों की नियुक्ति की है । श्रीमन्, आप को याद होगा कि सेक्रेटरियों की नियुक्ति में सरपंचों की राय ली जाती थी मगर अब सरपंचों की राय की कतई सरकार जरूरत नहीं

[श्री राजनारायण

समझती। किन्हीं सभापतियों ने इसका विरोध किया? सभापतियों ने इसका विरोध नहीं किया। वह समझ गये हैं कि सरकार जितना ही टर्म (समय) हमारा बढ़ाती चली जाय उतना ही अच्छा है और इसीलिये वह दबे हुये पड़े हैं। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस विधेयक को यहां प्रस्तुत न करें। अगर उनको कोई कानूनी दिक्कत हो तो उसको एक आध महीने या डेढ़ महीने बढ़ा करके इसके अन्दर अपने को बांध लें ताकि चुनाव नया हो, नहीं तो श्रीमन्, इससे जनतांत्रिक प्रणाली का हनन होगा। माननीय मन्त्री भले ही कहते जायं कि वह जनतंत्र पर चल रहे हैं मगर हम इसको मानने के लिये हर्गिज तैयार नहीं हैं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शुभा नहीं कि वह मियाद जो कि किसी एक संगठन को दी जाती है उसी के अन्दर ही उसका चुनाव होना अत्यन्त आवश्यक और उपयुक्त होता है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि जो लोग चुने हुये होते हैं उनमें उनके चुनाव की अवधि बीत जाने के बाद एक शिथिलता आ जाती है और वह इस बात का प्रयत्न करने लगते हैं कि उनको जो मियाद के ऊपर का टाइम मिल गया है उससे किसी न किसी तरह से फायदा उठावें और कहीं तो न चाहते हुये भी लोगों को फायदा उठाना पड़ जाता है। हमारा जो यह पंचायत राज ऐक्ट था वह बिल्कुल एक नया प्रयोग था। प्रान्त के अन्दर इस प्रयोग के लिये जो कानून हमने बनाये थे, उसमें तरह तरह की लोगों की रायें थीं। कुछ लोगों की यह राय थी कि पंचायतें और अदालती पंचायतें होनी ही नहीं चाहियें और कुछ यह कहते थे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतों को इकट्ठा कर दिया जाय। इसी तरह की मुख्तलिफ़ रायें अब भी हैं। तो जल्दी में अगर कोई कानून बनाया जायगा तो हो सकता है कि उसके अन्दर कमियां रह जायं और उससे जो हमारा पिछले कई सालों का तजुर्बा हुआ है उसपर उसका असर पड़े। इसलिये यह एक ग़लत बात होने के साथ साथ इस सदन की एक अच्छी और उच्च परम्परा के भी विरुद्ध होगा। इसलिये यह आवश्यक है कि जो कानून भी बनाया जाय अगर उसमें कुछ अधिक समय भी लग जाय तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो हमें इस पर जनता की राय और पंचायतों से जो सम्बन्ध रखते हों उनकी भी राय लेना जरूरी है ताकि हमारा जो कानून बने वह पूर्ण बने। अभी जो एतराज माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से हुये हैं, मैं समझता हूं कि जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है, उससे उनका कोई संबंध नहीं है। जितनी बातें उन्होंने मौजूदा पंचों, सरपंचों या पंचायतों की बतलायीं, मैं उनसे बहुत अधिक जानता हूं कि उनमें खराबियां हैं। मगर इसका क्या यह मतलब है कि एक महीने की अवधि दे दी जाय और एक महीने में जल्दी से इस कानून को जो कि माननीय स्वशासन मंत्री ने अभी हमारे सामने रखा है पेश शुरू कर दिया जाय, पास करा दिया जाय और उसके अन्दर वह सब खराबियां छोड़ दी जायं जो खराबियां हम पीछे से देखते हुये आ रहे हैं और जिनको ठीक करना हमारा परम धर्म है। मैं इस बात को किसी तरह से मानने के लिये तैयार नहीं हूं जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा कि एक या दो महीने की अवधि बढ़ाई जाय। मैं तो यह समझता हूं कि चाहे एक साल या दो साल की अवधि बढ़ानी पड़े मगर जो कानून बना करके आप सामने लायें उस कानून को एक ऐसी अच्छी अवस्था में लायें जिस अवस्था में हम अपने पुराने तजुर्बात का पूरा पूरा फायदा उठायें और जो खराबियां हैं उनको कम से कम देखते हुये नजर अन्दाज न कर जायं। इसलिये मैं स्वशासन मंत्री जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि एक साल की अवधि बढ़ा दी जाय और हमें इस एक साल की अवधि को पास करना चाहिये। मैं यह समझता हूं कि इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव ११वें महीने में ही होंगे। एक साल का मौक़ा जो उनको दिया जा रहा है वह इसलिये दिया जा रहा है कि जो विधेयक इस समय आपके सामने प्रस्तुत है, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी रायें हैं और जिसमें बहुत सी कांट्रेडिक्टरी ओपिनियन्स हो सकती हैं, उनके ऊपर भली प्रकार से विचार कर लिया जाय। मैं और मेरे बहुत से साथी दूसरे देशों के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इतिहास को अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं जिससे जो कानून हम बनायें वह एक अच्छे ढंग का कानून बने और उसमें हमारे पुराने

तजुर्बात की बिना पर जो ख़राबियां हम पहले देख चुके हैं, वह ख़राबियां कम से कम न रहें। वैसे मैं मानता हूं कि मनुष्य का बनाया हुआ कानून कभी भी ऐसी अवस्था का कानून नहीं हो सकता कि जिस कानून के अन्दर कोई ख़राबी न हो। मगर फिर भी हर एक कानून बनाने वाली संस्था को इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि जहां तक उससे हो सके वह एक अच्छा कानून बनाये और उसकी समझ के मुताबिक उसमें कोई ख़राबी न रहे। यह जो कहा जाता है कि इस मामले में देर की जा रही है, मैं मानता हूं कि देर हो गयी है और यह एक अच्छी व्यवस्था नहीं है कि जब किसी कानून के ख़त्म होने की बात हो तब यह कहा जाय कि इसकी अवधि बढ़ा दी जाय। अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे नुक्सान बढ़ता ही रहता है। मगर इस समय जो परिस्थिति सामने आ गयी है उसमें उसके अलावा और चाराकार नहीं है कि हम मियाद को बढ़ायें क्योंकि अगर मियाद को न बढ़ाया जाय तो, या तो हम अपने सारे पंचायत के कानून को स्टैंड स्टिल कर दें या ग़लत सलत कानून बना करके पास कर दें और फिर जैसे अक्सर कानूनों में संशोधन आते रहते हैं, या तो उस तरह की कार्यवाही करते रहें। मैं समझता हूं इस तरह की कार्यवाही से कि हम एक कानून बना दें और फिर उसमें रोज संशोधन लायें या दूसरी कार्यवाही करते रहें, अच्छा यह है कि एक साल की अवधि बढ़ा दें और जो क़ानून अब बनाया जाय वह बिलकुल ठीक तरीक़े से बनाया जाय। तो मैं समझता हूं कि जो आप आक्षेप इसके ऊपर हमारे विरोधी दल की ओर से लगाया गया है और कहा गया है कि यह ख़राबियां हो रही हैं पंचायत में, जो समाचार पत्र आ रहे हैं वे ऐसे हो रहे हैं और रुपया निकाला नहीं जाता, यह ठीक नहीं है। यह जिन्होंने भी किया है यह बहुत अच्छा किया है। चुनाव में एक ढंग की व्यवस्था चाहिये। जो कानून आगे बनेगा उसमें पुराने क़ानून के मुक़ाबिले में कम से कम कुछ ढंग की व्यवस्था तो होगी ही। इसलिये रुपया महफ़ूज रखा जाय। क्योंकि जल्दी में लोग ऐसा करते हैं, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जब आखिरी वक्त आता है कि किसी चुनी हुई बाडी का, चाहे म्युनिसिपल बोर्ड को लीजिये, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ले लीजिये या जिलों में जो हमारे यहां से अनुदान जाते हैं उनको ही देख लीजिये कि मार्च के महीने में उनका उपयोग होता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---दुरुपयोग होता है।

श्री बलवन्तसिंह---दुरुपयोग आप कहिये। मैं तो यह कहूंगा कि बहुत ही हरीडली होता है और सदुपयोग तो मैं नहीं कहूंगा, हां, दुरुपयोग तक ही पहुंच जाता है। मैं तो नहीं चाहता कि उस रुपये को जो हिफ़ाजत के साथ रखा है निकाला जाय। उसका दुरुपयोग तो कम से कम नहीं हो रहा है। उसको महफ़ूज रहने दिया जाय और जैसे ही चुने हुये लोग वहां पहुंचते हैं वे उसका उपयोग करें। मुझे आशा है कि जो क़ानून अब हमारे यहां आ रहा है उसको बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिये और उसमें जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं उनको भी सहयोग देना चाहिये और अमुक पार्टी हमारी है या दूसरी पार्टी उनकी है इस बात का भी कभी खयाल नहीं करना चाहिये। जो क़ानून हम बनायें उसमें अपने पुराने तजुर्बे का फायदा उठायें और जो ख़राबियां हमारे पुराने कानून में थीं उनको दूर करें। क्योंकि देहात ही हमारे इस देश और प्रदेश की नींव है और काफी समय माननीय मंत्री ने ले लिया है। इस समय के अन्दर वह इस कानून को अच्छी तरह से बना सकेंगे। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता था कि माननीय मंत्री जी आज महज यही कहेंगे कि बजट में तो बहस हो चुकी है अब उसकी बहस करने की क्या जरूरत है। इसीलिये मैंने उस दिन इस बात की कम चर्चा की थी कि मौक़ा मिलेगा जब वह बिल पेश होगा इस सदन के सामने। तब से तीन बजट आ चुके हैं। ग्राम सभाओं के ख़िलाफ, पंचायत राज इंस्पेक्टर्स और सेक्रेटरीज के ख़िलाफ तब से यहां बराबर बहस हुई और यह सबको मालूम था कि ज. सभापति और पंच वग़ैरह हैं उनके ख़िलाफ़ काफ़ी शिकायतें हैं। अगर मंत्री जी कहें कि जब से वह यहां आये तब मे शिकायतें नहीं की गई तो यह बात ग़लत है। तीसरा साल हो चुका है, आज तक माननीय मंत्री जी ने तीन बिल लाये और गांवों के लोग यह

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

उम्मीद लगाये हुये बैठे हुए थे कि इन सभापतियों और पंचों वगैरह से छुटकारा मिलेगा मगर उसी दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि एक आर्डिनेन्स निकला है कि और एक साल के लिये मियाद और बढ़ा दी जाती है। तो यह मियाद तो बढ़ती ही जायगी। जब एक निश्चित समय मुक़र्रर है तो मियाद बढ़ाने की क्या आवश्यकता। पाँच साल की अवधि नहीं है और पांच साल तक मंत्री महोदय सोये हुये रहते हैं। मंत्री महोदय यह नहीं सोचते हैं कि जनता में इनके खिलाफ बड़ी भारी आवाज है और उसे दूर करने के लिये एक ऐसा बिल लाना चाहिये जिससे वे तकलीफें दूर हो जायं। क्या दो साल पहले नहीं किया जा सकता था? क्या इस विधान सभा का सेशन बुला कर कोई संशोधन बिल नहीं लाया जा सकता था? और उन्होंने ऐंटीसिपेट किया चूंकि विरोधी पक्षवाले या और मेम्बरान यह कहेंगे कि यह मियाद बढ़ाने वाला बिल क्यों लाये हो इसलिये एक दूसरा बिल पेश हो गया यह कहने के लिये कि दूसरा बिल आ गया है। मैं जानता हूं कि हमारे मंत्री जी बड़े पार्टीबाज हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप वापस ले लें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---वापस! बहुत अच्छा अध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों को वापस लेता हूं। लेकिन वह समझते हैं कि बात क्या है। इसलिये उनका यह कहना है और उनकी जो मंशा, जो मैं समझ पाया हूं वह यह हो सकती है कि उनकी मंशा दूसरी हो। पहले यह सवाल उठा था कि ग्राम सभाओं के सेक्रेटरीज की तनख्वाह ग्राम सभा के फंड में दी जाय। ग्राम सभा के जो सेक्रेटरीज थे उनकी तनख्वाह वसूल नहीं हो पाती थी और इसलिये वह टैक्स लगा कर अपनी तनख्वाह लेना चाहते थे। उन्होंने क्या क्या किया। वह चाहते थे कि टैक्स लगाया जाय। लेकिन शायद ही कोई ऐसा गांववाला हो जो टैक्स लगाने की कोशिश करे जब कि वह जानते हैं कि इसके लिये सरकार से रुपया मिलता है। लेकिन ग्राम सभाओं के फंड से सेक्रेटरीज की तनख्वाह का रुपया मिलने वाला था तो सेक्रेटरीज ने इन सभापतियों से दस्तखत करवा कर टैक्स लगवा दिया। मेरे पास इसकी कई दरख्वास्तें पड़ी हैं। जब टैक्स लग गया और गजट हो गया और वसूली का समय आया तो उनको मालूम हुआ कि हमारे यहां टैक्स लगाया गया है। उन्होंने पूछना शुरू किया कि यह टैक्स कैसे लगा। बड़ी परेशानी हुई और मेरे यहां सैकड़ों सभापति आने लगे और कहने लगे कि हमने कभी ऐसा नहीं किया। यह सेक्रेटरी की कार्यवाही है। हम यह टैक्स नहीं देंगे। मैंने भी साफ कह दिया कि कोई टैक्स न दो और आज तक वसूल करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे सभापति जो सेक्रेटरीज तथा इंस्पेक्टरों के इशारे पर चलते थे उनके लिये आप चाहते हैं कि उनके लिये एक साल की मियाद और बढ़ा दी जाय, यह कैसे हो सकता है।

हम इसलिये कहते हैं कि हमारे मन्त्री जी की ग़ल्ती है। उनको सोचना चाहिये था कि इन पांच साल के अन्दर उनका चुनाव कर दिया जाय ताकि जनता की शिकायतें दूर हो जायं। यह मैं नहीं कहता हूं कि सभी सभापति और सरपंच खराब होते हैं। अब तो कांग्रेस कमेटी ने भी प्रस्ताव पास कर दिया है कि ग्राम सभाओं में तथा लोकल बाडीज में कोई पार्टी की तरफ से उम्मीदवार खड़े न किये जायं लेकिन इसके पहले यह नहीं था। ज्यादातर सभाओं में कांग्रेस के लोगों की मैजारिटी रही। यह सबको मालूम है इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े लोगों के बयान निकले थे और इस समय उस समय बड़ी शान समझी जाती थी। लेकिन अब फैसला किया गया है कि आगे उनके लिये चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिये अब यह सोचा गया कि चलो एक साल और आनन्द मना लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और हमारे माननीय नेता जी ने कही कि अखबारों का सवाल है। हमारे यहां जो पंचायत राज इंस्पेक्टर हैं, वह अदालत में जा कर इन सभापतियों के पास बैठा करते हैं जिनकी मियाद आप बढ़ाने जा रहे हैं और बतलाते हैं कि यह करो वह करो, इनको जुरमाना कर दो और इनको सजा कर दो, यही उनका काम है। इंस्पेक्टर ने इसके अलावा क्या

काम किया और सेक्रेटरीज ने क्या काम किया है। इसके सिवाय कोई काम उनके पास नहीं रहता है। मेरे पास ८० गांव के सभापति आये और उन्होंने कहा कि हमारे पास एक पैसा भी नहीं है हम कहां से किराया लावें। हमारे पास अगर सरकार से कोई चिट्ठी आती है तो उसका जवाब देने के लिये टिकट का एक आना पैसा भी नहीं है लेकिन हमारे पास यह एक चिट्ठी आयी है कि तुम यह पत्रिका खरीदो उसके लिये ६ रुपया साढ़े ६ रुपया चन्दा सालाना भेजो। अगर नहीं भेजता हूं तो ये पंचायतराज इंस्पेक्टर आये हुये हैं वह कह रहे हैं कि लाओ रुपया इसके लिये।

श्री अध्यक्ष—आप कुछ बहुत दूर विषय से जा रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं उन सभापतियों के बारे में कह रहा हूं, उन गांव सभा के सरपंचों के बारे में कह रहा हूं और इसलिये कह रहा हूं कि इतनी तकलीफ हैं उनकी वजह से कि लोग यह आशा लगाये हुए थे कि अब इनसे पिंड छूटेगा, अब हमारी तकलीफ कम होगी, इतने दिनों से लोग इनके हटने की राह देख रहे थे कि सरकार ने अब इनको एक साल तक के लिये और बढ़ा दिया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बजट के अन्दर जवाब उन्होंने दे दिया.....

श्री अध्यक्ष—विधेयक के बाहर तो मन्त्री जी जा नहीं सकते हैं। आपको जवाब इन सब का मिलेगा नहीं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—उनको सुना दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कम से कम कुछ ख्याल तो रखेंगे और उस दिन समय कम नष्ट होगा जब कि वह बिल हमारे सामने आयेगा।

श्री अध्यक्ष—मैं क्या यह आशा करूं कि उस दिन विधेयक के समय यह सब बातें नहीं होंगी?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मेरी तरफ से तो नहीं होंगी और लोग चाहे भले ही कहें क्योंकि सदन के सब मेम्बरों को तो मैं रोक नहीं सकता।

श्री राजनारायण—अभी आपने उसे पढ़ा कहां है, पढ़ने के बाद क्या उस पर नहीं बोलेंगे?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—नहीं। और तो बहुत बोलूंगा उसमें भी, लेकिन यह नहीं कहूंगा कि क्यों बढ़ाया गया।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं इन इंस्पेक्टरों और सभापतियों की बात कह रहा था। इन सभापतियों को रख कर सरकार प्रोपोगैंडा करवाना चाहती थी, अपने अखबार उनके जरिये खरीदवा कर उनसे प्रोपोगैंडा करवाना चाहती थी। मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय कि अगर सरकार यह आर्डिनेंस निकालती, कोई ऐसा कानून लाती, कि उन सभापतियों को जिन्होंने कि ऐसे कानून बनाये हैं, जिन्होंने बिना ग्राम सभा को बुलाये हुये लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिये हैं या और तरह से जिन्होंने लोगों को परेशान कर रखा है, उनको फौरन् निकाल दिया जाय, ऐसा आदेश जारी होता, ऐसा कोई आर्डिनेंस वह लाती तो मुझे इस बात की तसल्ली होती कि माननीय मन्त्री जी ने इस बात का खयाल किया है कि जनता की जो शिकायत है, जो सभापति खराब हैं, जिन्होंने कि ग़लत काम किये हैं, उन्हें निकाल दिया जाय, ऐसा किये होते तो अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती। लेकिन इस बात की कोशिश नहीं की गई। वह सभापति अपने को समझते हैं कि हम तो डेमोक्रेटिक तरीक़े से चुन कर आये हैं, उस वक्त जनता ने हमें छांटा था, कोई पावर नहीं है जो हमको निकाल सके, चाहे वह खराब काम करें, चाहे अच्छा, कोई उनको निकाल नहीं सकता। मैंने इस बात की कोशिश की, अल्मोड़े जिले के सैकड़ों सभापतियों के खिलाफ मैंने शिकायतें कीं, लेकिन क्या सरकार ने उस पर कोई ध्यान दिया और अध्यक्ष महोदय, अब हमें जब यह उम्मीद हुई और जिस बात के लिये लोग इन्तजार कर रहे थे वह समय आया कि

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

ये हटाये जा सकें तो सरकार ने एक साल तक उनको और रहने देने का प्रबन्ध कर दिया। अब वह इस एक साल के अन्दर सारा बदला निकाल लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि वह जानते थे कि आगे तो उनको आना है नहीं। अब एक एक साल का मौका मिल गया, जो करते बने करलो। इसलिये अध्यक्ष महोदय, हम नहीं चाहते हैं कि यह मियाद बढ़े। माननीय मंत्री जी ने उस दिन जो जवाब दिया था उसे हमने सुन लिया है लेकिन कारण तो हर बात का कुछ न कुछ निकल ही आता है। अब समय कम है और मैं और ज्यादा समय लेना नहीं चाहता।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। एक पुराने जमाने में प्रथा थी कि, किंग्स कोर्ट में खास आदमी रखे जाते थे।

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता मे सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नौरंगलाल---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं और वह यह कि पुराने समय सामन्तशाही काल में यह प्रथा थी कि हर बादशाह अपनी कोर्ट में एक ऐसा मनुष्य रखता था जो बड़ा विद्वान होता था और उसका काम था सबको हंसाना। होता वह बहुत जबरदस्त विद्वान था। मैंने जो व्याख्यान सुने तो उनसे ऐसा मालूम होता है कि कुछ उस जमाने की झलक हमारे सदन में भी है। मैं माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि सामन्तशाही युग तो है नहीं और न वह बादशाह रहे जो उसके पिट्ठू जमींदार थे वे भी खत्म हो गये तो उस प्रथा को क्यों कायम रक्खा जा रहा है? मेरा ख्याल है कि अब कोई आवश्यकता नहीं है सदन के लिये कि उस पोस्ट को कायम रक्खा जाय। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि सदन का समय पुराने तरीकों पर बरबाद न करें। हम नये जमाने में रह रहे हैं इसलिये हमें पुरानी प्रथाओं को खत्म कर देना चाहिये खास कर समाजवादियों को क्योंकि वे तो सामन्तशाही के दुश्मन हैं। वे क्यों पुरानी प्रथाओं को उठा कर ले आते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---आप अपनी बीती बता रहे हैं।

श्री नौरंगलाल---यह तो सारे सदन को पता है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कौन किस तरह से यहां उस प्रथा का संचालन करता है। एक कहावत भी है 'चोर की दाढ़ी में तिनका' माननीय उपाध्याय को ही क्यों आब्जेक्शन हुआ, खैर चाहे मैं हूं या कोई और हो, हमें इस सदन का टाइम इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिये। इससे सदन की मर्यादा घटती है।

मैं सब आर्ग्युमेंट्स सुन रहा था, सवाल सिर्फ इतना है कि इस समय इस बिल को क्यों पास करने जा रहे हैं। हम इसको पास करें या न करें सवाल सिर्फ इतना सा है। इस पर विरोधी दल के नेता ने सिर्फ दो आर्ग्युमेंट्स दिये। पहला कहना तो यह था कि इसको तो दिसम्बर के महीने में ही पास करा लेना चाहिये था। दूसरा आर्ग्युमेंट्स अजीब सा था। वह यह था कि गवर्नमेंट चाहती नहीं कि पंचायतों का इलेक्शन हो। इसलिये जान बूझ कर देर कर रही है ताकि एक साल और मजा उड़ा लें। यह उनका दूसरा आर्ग्युमेंट्स है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के ऊपर इस तरह का हमला करना, बार बार यह कहना कि गवर्नमेंट का इरादा यह है, गवर्नमेंट का इरादा खराब है ठीक नहीं किसी के इरादे पर हमला करना मैं समझता हूं कि यह कोई विद्वत्ता की निशानी नहीं है। हमला किया जा सकता है ऐक्ट्स पर लेकिन इरादों पर हमला

करना। इसके मानी है कि एक सीरियस चार्ज लगा दिया गया है और जब तक सबसटेंशियल मेटिरियल न हो तब तक ऐसा चार्ज लगाना गैर मुनासिब है। आर्ग्युमेंट है यह कि आपने आर्डिनेंन्स को दिसम्बर के पहले क्यों नहीं पास करा लिया, आज क्यों ले आये और आप ने इतनी देर क्यों कर दी? मैं सदन से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक आर्डिनेंस का सवाल है माननीय मंत्री जी ने खुद कहा है कि किसी मिनिस्टर के लिये यह प्लोजेन्ट बात नहीं है कि वह आर्डिनेंस पास कराये या इस हाउस के सामने रखे। अगर आज वह आर्डिनेंस जो पास हो चुका है इस हाउस से पास नहीं किया जाता तो इससे बड़ी जबरदस्त क्राइसिस पैदा हो सकती है और उस रिस्क को कोई मंत्री लेने को तैयार नहीं हो सकता। जब मंत्री जी ने इस बिल को यहां पर पेश किया तो उन्होंने बतलाया कि क्या वजह थी। दिसम्बर तक यह तय नहीं किया गया था कि किस प्रकार से इसके अन्दर संशोधन किये जायंगे और किस प्रकार की उसकी रूप रेखा होगी इस वजह से उस समय आर्डिनेंस को ही पास करना पड़ा। अब वह रूप रेखा सामने आ गयी है तो यह बिल भी सामने आ जायगा। विरोधी दल ने आपत्ति उठायी उनकी आपत्ति टेक्नीकली सही हो सकती है लेकिन वैसे उसमें कोई वजन नहीं है। उस वक्त सरकार ने आर्डिनेंस पास किया अगर वह चाहते तो एक दिन के लिये असेम्बली बुला कर एक बिल पास कर सकते थे क्यों कि उनकी मजारिटी थी और एक दिन के लिये सेशन बुलाना कोई खास बात नहीं थी। इसलिये ज्यादा समय इस प्रकार की चीजों में बरबाद करना उचित नहीं है।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया कि सरकार जानबूझ कर इसमें देर करना चाहती है और एलेक्शन कराना नहीं चाहती है और उन पंचायतों से सरकार अपना काम लेती है। मैं बड़े आदर के साथ इस बात को कहता हूं कि यह इल्जाम सरासर ग़लत है। इस बात को कह देना कि जितनी पंचायत हैं वह सरकार का काम करती हैं एक माने में तो ठीक भी है। अगर सरकार के अर्थ यह लगाये जायं कि पंचायतें सरकार के कंट्रोल में हैं और सरकार उनको चलाती है तो इसमें कोई एतराज नहीं हो सकता है। सरकारी चीज वह है जिसको वह कंट्रोल करती है। अगर सरकार पंचायती सफाई कराती है, देहातों का प्रबंध ठीक करती है, वहां पर शिक्षा का प्रबन्ध कराती है, नाले ठीक कराती है, सड़कें बनवाती है अगर यह सब सरकारी काम माना जाय तो फिर सरकार का काम कह देने से क्या फ़र्क हो सकता है वह तो काम जरूरी है और इसी काम के लिये उनको बनाया गया है। लेकिन अगर सरकार कोई पार्टी का काम कराती है तब तो वह जरूर आपत्तिजनक हो सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का काम तो सरकार का काम नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर यह कहा गया कि सरकार अपना काम कराती है। मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि सरकार अपना काम जरूर कराती है। अगर किसी पंचायत से सरकार कहती है कि तुम अपने यहां न शिक्षा का प्रबंध करो, न सफाई का काम करो तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और उनका रहने का मतलब ही सिद्ध नहीं होता है। जो विकास के काम वहां पर हो रहे हैं उनमें तो उनका हिस्सा लेना जरूरी है और इस पर किसी को एतराज क्या हो सकता है। लेकिन अगर कांग्रेसपार्टी का काम करता है तो जरूर आपत्ति हो सकती है लेकिन किसी भी माननीय सदस्य ने यह बात नहीं कही कि सरकार अपनी पार्टी का काम कराती है। कांग्रेस का जितना निजी काम है वह पार्टी के ही जरिये से होता है उसका पंचायत से कोई सम्बन्ध नहीं है और हमारी नीति भी यही है कि इसमें किसी सरकारी सहारे को न लिया जाय। मैं आप से यह कहूं कि यह तो उसी प्रकार है जिस प्रकार से कि मार्क्स ने कहा था कि जो आदमी बाहर बुराई देखता है वह घर में भी बुराई देखने लगता है। अगर कोई आदमी बाहर जुल्म करता है तो वह घर में भी जुल्म करने लगता है। तो यहां पर हम लोग तो बुरे हैं ही और काम भी ऐसे ही करते हैं यह सब वह कहते हैं तो जो हमारे सरपंच पंचायती अदालतों के हैं और जो ग्राम पंचायतें हैं वह भी सब खराब हो गयीं और वह भी कोई अच्छा काम नहीं करती हैं। ठीक है जैसा बाहर से शुरू किया था घर में भी वही हो गया। विरोधी दल के भाई कहते हैं कि डाइरेक्ट डेमोक्रेसी और डिसेन्ट्रलाइज होना चाहिये और यह चीजें समाजवाद के लिये परमावश्यक हैं। मैं आप से कहूं कि यह जो पंचायतें हमारे यहां स्थापित हुई हैं वह तमाम देश में सब से अच्छा काम हुआ है। यह डेमोक्रेसी और डिसेन्ट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा उदाहरण

[श्री नौरंगलाल]

है और हमारे देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में इस प्रकार से नहीं किया गया है यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं । इस प्रकार की डाइरेक्ट डिमोक्रेसी और डिसेन्ट्रलाइजेशन हिन्दुस्थान में नहीं है बल्कि सारी दुनिया में इस प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं है जिस प्रकार की यहां पर पंचायती अदालतों के जरिये से स्थापित की गयी है एक ऐसी इम्पार्टेंट चीज हमने करके यह दुनिया में दिखलाई है कि जो कोई भी देश नहीं कर पाया है । इसलिये इस बात को एक मजाक के तरीके से कहना कि यह बिलकुल गलत है, उचित नहीं है । यह कोई सरकारी पिट्ठुओं की कमेटियां नहीं हैं । ये पंचायतें उन गरीब देहात वालों की हैं जिनके हम और माननीय सदस्य यहां प्रतिनिधि हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस प्रकार का विरोध है कि एक तरफ तो चिल्लाया जाय कि डिसेंट्रलाइजेशन हो और डाइरेक्ट डेमोक्रेसी हो और जब यह काम किये जाते हैं तो कह दिया जाता है कि ये निकम्मे हैं । तो इसे जरा सोचना और समझना चाहिये । अगर पंच खराब हैं तो उनकी राय में इसके मानी हैं कि हिन्दुस्तान खराब है और वह डाइरेक्ट डेमोक्रेसी डिजर्व नहीं करते हैं । जहां तक, अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं, हमारे देहात के अधिकांश लोग बेपढ़े हैं जिसकी वजह से बहुत हद्द तक गवर्नमेंट को उन्हें डाइरेक्शन्स देने पड़ते हैं । लेकिन एक समय आयेगा जबकि हमारे लोग सब कुछ समझने लगेंगे और वह सीख जावेंगे । आसानी से यह भी कह दिया जाता है कि ये सरकारी पार्टियां हैं लेकिन जहां कहीं सोशलिस्टों का बहुमत है वहां भी उन्हें सरकारी पिट्ठू आप कह सकते हैं ।

एक बात अखबारों के लिये कही गयी कि सरकार जो चाहे अखबार उनसे वही पढ़वाती है । अखबार अच्छे भी हैं और बुरे भी होते हैं । सरकार ऐसे पेपर्स सजेस्ट करती है जो देहातों के उत्थान के लिये अच्छे हो सकते हैं । इसके साथ यह भी नहीं है कि जो पेपर्स गवर्नमेंट चाहे वही ले लें । वे लोग बिलकुल स्वतंत्र हैं कि चाहें तो कोई भी पेपर्स लें । इसलिये यह कहना कि गवर्नमेंट ने नियंत्रण कर दिया, ठीक नहीं है । हर गवर्नमेंट को यह करना चाहिये और उसका फ़र्ज है कि जो चीज वह जनता के हित में समझे उसका जनता को सुझाव दे । अगर वह सजेशन नहीं देती है तो वह अपने फ़र्ज से गिरती है और उससे गुरेज करती है । हर अच्छी गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखती है कि हम लोगों के कहने से अच्छे काम से विचलित न हों और जनता का ही भला उनके सामने हर वक्त रहता है । जब दूसरी की सरकार आवेगी तो उसकी भी यही ड्यूटी होगी कि वह लोगों को अन्धकार से दूर करने के लिये पथ प्रदर्शन करे । लोगों को बतलावे कि यह काम करने से लाभ होगा और यह करने से नुकसान हो सकता है । यह कहा जाता है कि टैक्स लगा दिया जाता है और इस संबंध में प्रेसीडेंट जो चाहता है कर देता है और उसका पता भी नहीं चल पाता । पता जब चलता है जब वह लग जाता है । यह भी कहा गया कि गवर्नमेंट को इस बारे में एक ऐसा सरक्यूलर निकाल देना चाहिये कि ऐसे प्रेसीडेंट्स को निकाल दिया जायगा । विधान मौजूद है, वहां और भी पंच मौजूद रहते हैं, वह कोई कांस्टीट्यूशनल कार्यवाही उनके खिलाफ कर सकते हैं । वे प्रस्ताव पास कर सकते हैं उसको वहां से हटा दिया जावे । यह कैसे हो सकता है कि एक जनरल आर्डर निकाल दिया जाय कि जो कोई भी ऐसा करता है उसको यह सजा दी जायगी । किसी बात के कहने में कुछ तो लीगेलिटी रहनी चाहिये या क़ानूनन कोई ऐसी बात होनी चाहिये कि जिसके अन्दर वह चीज आ जाय । लेकिन अगर गवर्नमेंट इस तरह की अनिश्चित बात मान लेती है तो उससे अधिक बेवकूफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती क्योंकि गवर्नमेंट जो भी कुछ करती है वह कानून के मातहत ही करती है । प्रेसीडेंट को वहां से हटाने के तो कई तरीके हो सकते हैं । उसके खिलाफ नो कान्फीडेंस मोशन लाया जा सकता है । चाहे उसको नैतिक बल ही कहते हैं । अगर प्रेसीडेंट स्वयं ही कोई काम कर लेता है तो वह किसी भी प्रकार से कानून नहीं हो सकता और उसको मानने के लिये कोई बाधित नहीं है । लेकिन अगर पंचायतें अपनी राजी से टैक्स लगाती हैं तो लोगों को टैक्स देना होगा क्योंकि सवाल यह है कि पंचायतों को सेल्फ सफीशियेंट बनना चाहिये । सेल्फ सफीशियेंट बनने के लिये उनको टैक्स लगाना होगा और वसूल करना होगा । अगर वे सारे के सारे मिल कर बैठते हैं, आपस में बैठ कर कोई बात करते हैं

तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप को क्या परेशानी होती है। "जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी।" गांव वाले टैक्स देना चाहते हैं, पंचायतें टैक्स लगाना चाहती हैं और उसके द्वारा वे अपना घर बनाना चाहते हैं, दीवार बनाना चाहते हैं, सड़क बनाना चाहते हैं फिर तो आप को दर्द क्यों पैदा होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य के दर्द क्यों पैदा होता है। जब सब आदमी मिल कर नुमायन्दे तय करते हैं और उन आदमियों के नुमायन्दे टैक्स लगाते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह माननीय सदस्यों की क्या मंशा के खिलाफ़ बात होती है। उनका कहना है कि वह टैक्स न लगावें, गवर्नमेंट टैक्स लगाये। वे टैक्स क्यों न लगायें। कानून के अनुसार उनको टैक्स लगाने का अधिकार है। वे अपने अधिकार का प्रयोग क्यों न करें। जब उनको एक शक्ति दी गयी है तो फिर वे उस शक्ति का प्रयोग क्यों न करें। मैं तो यहां तक कहूंगा कि एक टैक्स की फेहरिस्त होनी चाहिये जिसमें ग्राम पंचायतों को अधिकार होना चाहिये कि वह भी किन्हीं कुछ आइटम्स पर टैक्स लगा सकती हैं।

इंस्पेक्टर्स और सेक्रेटरीज के बारे में कहा गया कि वे जैसा चाहते हैं पंचायतों से करा लेते हैं। जजमेंट्स लिख देते हैं। मैं आप से कहता हूं कि एक तरफ तो माननीय सदस्यों की यह शिकायत है, जैसा कि आपने बजट के समय कहा था कि इंस्पेक्टर्स गांव में पहुंचते ही नहीं, गांवों में गये हुये महीनों हो जाते हैं, अपने अपने गांवों में ही बैठे रहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हर अदालत में जा कर जजमेंट लिखाते हैं। इससे इतना तो अवश्य साबित हो जाता है कि इंसपेक्टर्स गांवों में जाते अवश्य हैं और काफी चक्कर लगाते हैं। ये दोनों विरोधी आर्गुमेंट्स हैं और यही सिद्ध होता है कि जो कुछ कहा जाता है वह केवल कहने के लिये ही कहा जाता है, इस तरह से यह आर्गुमेंट ठीक नहीं है जो इस सदन में कहा गया है। आखिरी बात मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि दो महीने बाद एलेक्शन कराने की बात मेरी समझ में नहीं आती। जब दो महीने बाद एलेक्शन कराना ही है तो फिर इस वक्त एलेक्शन करा कर बाद में उसके लिये कानून पास किया जाय और फिर दोबारा एलेक्शन हो यह समझ में आने वाली बात नहीं है। इसमें बड़े बड़े सवाल हैं जिनके ऊपर हमको और आप को सोचना समझना पड़ेगा। सब से मुख्य सवाल यह है कि क्या एलेक्शन पंचायती अदालतों का वैसा होना चाहिये कि मेजारिटी पार्टी गांवों में पहुंच जायं? पिछले दिनों बहुत से माननीय सदस्यों ने शिकायत की थी कि पार्टीबन्दी की जाती है। इसलिये इस सदन को सोचना पड़ेगा कि पार्टीबन्दी बेसिस पर एलेक्शन कराया जाय या प्रोपोर्शनल बेसिस पर एलेक्शन कराया जाय जिससे कि हर पार्टी के सदस्य पंचायतों में जायें। अगर प्रोपोर्शनल बेसिस पर ही चुनाव कराना हो तो फिर इसके क्या माने हैं कि आज भी चुनाव कराया जाय और फिर दो महीने के बाद भी कानून बनने के बाद चुनाव कराया जाय? इससे तो गवर्नमेंट का सारा रुपया बर्बाद हो जायगा। दूसरे हमको यह भी सोचना है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का जो चुनाव होने वाला है वह डाइरेक्ट होना चाहिये या इनडाइरेक्ट होना चाहिये। कुछ लोग कहते हैं कि डाइरेक्ट होना चाहिये, कुछ लोग कहते हैं कि इनडाइरेक्ट होना चाहिये। अगर इनडाइरेक्ट तरीके से चुनाव होना है तो हमें तय करना पड़ेगा कि उसका क्या तरीका हो। अगर पंचायतों से ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव होना है तो ऐसा चुनाव जो दो महीने के बाद होगा बिल्कुल बेकार हो जाता है। तीसरी इम्पार्टेंट बात यह है कि पंचायती अदालतों का चुनाव कैसे होना चाहिये। प्रोपोर्शनल बेसिस पर ये अदालतें बनें या इसके लिये कोई और तरीका अपनाया जाय। और हम सबको अपने तजुर्बे से इस काम के करने में सहयोग देना चाहिये। हमारे सदन के जितने माननीय सदस्य हैं वे सब इस बात को सामने रख कर ही अपनी राय स्थिर करें। अन्त में माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। असत्य की तरफ से हमको सत्य की तरफ अग्रसर होना चाहिये। एक समालोचक की तरह से बुरी चीज को बुरी कहना चाहिये लेकिन जहां अच्छाई हो तो उस अच्छाई को भी कहना चाहिये। मुझे अफसोस है कि हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने केवल बुराई ही बुराई पर अपनी नजर रखी और अच्छाई की तरफ कोई नजर नहीं रखी। बाज वक्त तो अपोजीशन का भी काम करना पड़ता है क्योंकि जब अपोजीशन अपना काम नहीं करता है तो

[श्री नौरंगलाल]

हमको उसका स्थान लेना ही पड़ता है। यदि माननीय सदस्य विचार करें और सत्य को सत्य तथा असत्य को असत्य कहें तो बड़ा ही अच्छा हो। अन्त में मैं फिर माननीय मंत्री जी का समर्थन करता हूं।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विरोधी दल के नेता और हमारे आदरणीय मित्र मदनमोहन उपाध्याय जी का भाषण इस विषय पर सुना। मुझे खेद है कि अपने को प्रगतिशील कहने वाले दल के सदस्यों का प्रतिबिम्ब चर्वितचर्वण की भांति जिसको अंग्रेजी में 'हैकनीडआर्गूमेंट्स' कहते हैं रहता है। वह प्रत्येक समस्या को एक ही तर्क के ऊपर रखते हैं। पंचायत राज्य व्यवस्था ने हमारे प्रदेश के अन्दर जनसाधारण के अन्दर एक अपूर्व स्फूर्ति और अपूर्व चेतना जाग्रत की है। अपने को प्रगतिशील कहने वाले यदि उस चेतना को देख नहीं पाते और जो वातावरण उत्पन्न हो रहा है उनका अनुभव नहीं कर पाते तो मुझे ऐसा लगता है कि यह समाजवादी दल क्या हृदयहीन हो चुका है और उसकी दृष्टि धूमिल पड़ चुकी है। देश के लिये विरोधी दल होना चाहिये, स्वस्थ विरोधी दल का होना कल्याणकारी होता है किन्तु इस प्रकार का विरोधी दल कल्याणकर नहीं है। आज जैसा कि हमारे पूर्ववक्ता श्री बलवन्त सिंह जी ने कहा कि समाज के अन्दर पंचायतराज का जो कार्य है और खास करके जो श्रमदान का कार्य है उसके लिये यदि यह कहा जाय कि वह सिर्फ पंचायतराज का काम है तो किंचितमात्र अत्युक्त न होगा। हम मानते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था में कुछ अभी त्रुटियां हैं किन्तु वह तो समाज की त्रुटियां हैं, वह तो हमारे सम्पूर्ण सामान्य प्रशासन में जितनी त्रुटियां उसी अनुपात से हैं और उनका होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पंचायत राज में जो त्रुटियां हैं और जिनको कानून के द्वारा परिवर्तित होना चाहिये था उसको उस प्रकार परिवर्तित कराने में क्या हिस्सा लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हमारे कानून में यह स्पष्ट विधान है कि टैक्स पंचायतें तभी लगा सकती हैं जब गांव पंचायत द्वारा स्वीकृत होने के बाद वह गांव सभाओं के सामने और गांव सभाओं से स्वीकृत होने के बाद तब टैक्स लगे तो क्या विरोधी दल ने इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करने की चेष्टा की कि अगर किसी पंचायत में वहां का सभापति बिना मीटिंग बुलाये टैक्स लगा देता है तो वह न लगा पावे और यदि वह इस प्रकार का कार्य नहीं करती है तो मैं कहता हूं कि वह अपने कर्तव्य का पालन तो करती ही नहीं है साथ साथ समाज के प्रति भी अन्याय करती है। आज यह बात ठीक है जैसा मैंने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि हम पंचायतराज को इस प्रकार का बनावें कि जिससे हमारी गांव पंचायतें सम्पूर्ण रूप से उस कानून को कार्यान्वित कर सकें लेकिन इसके लिये हमको उसको एजूकेट करना है, हमको लोगों को प्रशिक्षण देना है किन्तु खेद तो तब होता है जब इस प्रकार की ट्रेनिंग देने वाले जो हमारे समाचारपत्र हैं, जो हमारी पत्रिकायें हैं जैसे पंचायतराज की और जैसे हमारा "उत्तर प्रदेश पंचायतराज" है जो पाक्षिक रूप में हमारी इसी नगरी से निकलता है यदि वह इस प्रकार का साहित्य उनके पास नहीं पहुंचाता तो आखिर उनको ट्रेनिंग कहां से मिलेगी। विरोधी दल अपना कार्य करता नहीं है, जिस प्रकार से समाज में जा कर आज उनको प्रचार करना चाहिये गांव सभाओं, गांव पंचायतों की किस प्रकार की वर्किंग होनी चाहिये यदि वह इस प्रकार की ट्रेनिंग देने का कार्य करता नहीं है और उनमें स्वयं उस प्रकार के कार्य करने की ताकत नहीं है तो फिर कौन करेगा। हमारी बात तो छोड़ दीजिये क्योंकि हमारे लिये यह कहा जायगा कि आप तो चूंकि पार्टी इन पावर है उसके लोग हैं इसलिये हमारे कार्य की बड़ाई तो करते नहीं हैं तो उसको तो छोड़ ही दीजिये। लेकिन अगर आप भी नहीं करते तब आखिर उन लोगों को जो गांवों में रह करके वहां की व्यवस्था करते हैं उनको एजूकेशन या ट्रेनिंग देने की दूसरी क्या प्रणाली हो सकती है सिवाय इसके कि तत्सम्बन्धी और अनुकूल साहित्य उनको मिलें। मालूम होता है कि विरोधी दल ने जिलेवार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारी पंचायतों की पत्रिकायें निकलती हैं उनकी तरफ से दृष्टिपात करने की कोशिश नहीं की, नहीं तो जो "उत्तर प्रदेश पंचायत राज" निकलता है यदि उसे उन्होंने देखा होता तो वह समझते कि उसमें कितने अच्छे अच्छे लेख और कितने अच्छे अच्छे सुझाव रहते हैं जिनको यदि ग्राम पंचायतों के सदस्य या सभापति या न्याय पंचायतों के सदस्य या उनके पंच और सरपंच पढ़ें तो उनको काफी उससे शिक्षा मिल सकती है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में जो तर्क हमारे विरोधी दल के नेता ने उपस्थित किये उससे खेद होना स्वाभाविक है ।

एक बात मैं और आपके द्वारा कहना चाहता हूं माननीय स्वशासन मन्त्री जी से कि गाँव समाज या गाँव पंचायतों को शिक्षित करने के लिये और उनको सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिये हमारे जो पंचायतराज के अधिकारी हैं उनकी तरफ भी जरा सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है । अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई विकास का कैम्प खोला जाता है तो उस क्षेत्र की जो पंचायतें होती हैं वह उसमें भाग लेती हो और कार्य करती हैं किन्तु उनको निरुत्साह होता है जबकि उनके कार्य को देखने के लिये जो जिले के अधिकारी होते हैं या दूसरे जो उच्चाधिकारी होते हैं वह देखने नहीं जाते । केवल पंचायत सेक्रेटरी, पी० आर० डी० के लोग या गाँव सभाओं के लोग ही मिल करके उस काम को करते रहते हैं । इस तरह के जो विकास कैम्प होते हैं उसमें तो और अच्छी ट्रेनिंग देने का अवसर होता है । मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा यह अपील करूंगा कि इस संबंध में जो पंचायत राज के उच्चमाधिकारी हैं उनके पास और जिला के अधिकारियों के पास इस प्रकार के इन्सट्रक्शन्स जायं जिससे कि वह इसमें ज्यादा दिलचस्पी लें । हमको कागजी काम की आवश्यकता नहीं है बल्कि वह उनके कंटैक्ट में ज्यादा आवें । अगर ऐसा होगा तो मेरा ख्याल है कि वह ज्यादा सफल हो सकते हैं ।

एक बात मैं और कहकर अपना समय समाप्त करूंगा । माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि इस बार कांग्रेस ने गाँव सभाओं का चुनाव लड़ने का निश्चय नहीं किया । मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि पिछला चुनाव भी जो गाँव सभाओं का लड़ा गया था वह किसी पार्टी की बेसिस पर नहीं लड़ा गया था । कम से कम कांग्रेस पार्टी ने पार्टी बेसिस पर उसमें भाग नहीं लिया था । इसलिये यह कहना कि इस बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का निश्चय नहीं किया यह बिल्कुल गलत है ।

अंत में मैं यह कहूंगा कि विरोधी दल जब किसी विभाग की आलोचना करे तो वह एक दृष्टि समाज की तरफ भी डाले एक बार वह अपनी दृष्टि इन संस्थाओं की तरफ भी डाले जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से सरकार से नहीं है । मैं उनका ध्यान स्कूलों और कालेजों की तरफ भी दिलाना चाहता हूं जोकि आज रन कर रहे हैं कि आज कितनी गैर जिम्मेदारी और अनुत्तरदायित्व हर जगह फैला हुआ है । अगर वह उसी प्रकार की चीज दूसरे विभागों में देखते हैं तो उनको हमदर्दी के साथ और सहानुभूति के साथ उसी प्रकार उसे भी दूर करने की दृष्टि से दृष्टिपात करना चाहिये न कि केवल दोष बतलाने के लिये तो ऐसा होता है कि निन्दा से कोई आदमी किसी का सुधार नहीं कर सकता । आज तक संसार में कोई इस प्रकार का उदाहरण नहीं दे सकता कि किसी प्रणाली को, किसी व्यवस्था को या किसी इंस्टिट्यूशन को उसकी निन्दा करके उसको सुधारा गया हो । हमदर्दी के साथ, सहानुभूति के साथ, उसकी कमजोरियों को और उसकी त्रुटियों को बतला करके, उसको पूर्ण करने में सहायक हो करके, उसको समुन्नत किया जाता है । जब विरोधी दल से इस प्रकार की चीज नहीं मिलती है, तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार की आलोचना में कोई छिपा हुआ उद्देश्य है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये ही वह इस प्रकार की आलोचना करता है न कि वह सार्वजनिक जीवन को स्वस्थ बनाने के लिये ।

***श्री रामनारायण त्रिपाठी**—उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी दल के कुछ माननीय सदस्यों का भाषण सुनने के बाद मुझे मनोविज्ञान की दो बातें याद आगयीं, पहली बात तो यह है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

कि जब कोई यात्री सुनसान रास्ते में अंधेरे में चलता है और उसको डर लगता है तो वह गाना गाने लगता है और दूसरी बात यह है कि जब कोई वकील या विधान सभा का सदस्य अपने पक्ष की बात कहने में कोई दलील नहीं रखता है तो उपदेश देने लगता है। यह दूसरी बात मुझे आज यहाँ दिखाई पड़ी। जहाँ तक विरोधी दल के कर्तव्य का प्रश्न है यों तो उस पर काफी वाद-विवाद हो गया है, लेकिन मैं दो तीन बातें और बतलाऊँ कि विरोधी दल का कर्तव्य सिर्फ किसी सरकार को अपोज करना नहीं है बल्कि डिनाउंस करना है और मौका मिलने पर उसको डिथ्रोन करके कब्जा कर लेना है। ऐसी हालत में ऐसी सरकार जिसको हम कतई पसन्द नहीं करते हैं, उसको हम कैसे बरदाश्त करें, या उसके ऐसे विधेयकों को जो सदन में लाये जाते हैं और जिनको हम नापसन्द करते हैं उनको पास करने में जो भी हम दिक्कतें लगायें वह हमारा कर्तव्य हो जाता है। आप जानते हैं कि अमेरिका में यह सर्वमान्य सिद्धांत है और सारी दुनिया में माना गया है, लेकिन हमारे सरकारी दल के सदस्य यह बारीक बात नहीं समझ पाये, इसका मुझे अफसोस है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे प्रसन्नता हुई कि कुछ सैद्धांतिक प्रश्नों का विवाद भी सदन में उठाया गया। कुछ सदस्यों ने यह कहा कि हम पंचायतराज की एक स्वर से तारीफ करते हैं और चाहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीयकरण होना चाहिये, जनता को शक्ति मिलनी चाहिये, धन की तरह से शक्ति का बटवारा होना चाहिये, दूसरी तरफ पंचायत राज के लिये जब एक साल की अवधि बढ़ती है तो उसमें विरोध करने लगते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ मैं फिर कहूंगा कि यह भी काफी बारीक बात है और अगर किसी की समझ में न आये तो इसमें हमारा दोष नहीं है। बार बार इस सदन में कहा गया है कि यह मूलभूत सिद्धांत है कि किसी विधान सभा के सदस्य को, पार्लियामेंट के मेम्बर को, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के मेम्बर को जनता चुनती है और जनता एक निश्चित समय के लिये चुनती है तीन वर्ष, चार वर्ष या पांच वर्ष के लिये। उसके बाद उनको आगे रखने का और जनता के धन का सदुपोग करने का या दुरुपयोग करने का किसको अधिकार है? उसके बाद अगर कोई आदेश ग्राम पंचायतों को आगे कायम रखने के लिये प्रादेशिक स्तर पर जाता है और वह पंच जिनकी मियाद खत्म हो गयी है उनको जनता पर लादा जाता है, तो क्या यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था है या अप्रजातांत्रिक व्यवस्था है। यह पहला मौका नहीं है। हमको उपाध्यक्ष महोदय, ठेस लगती है जब हमले पर हमले किये जाते हैं। बार-बार हमने काफी उच्च आवाज से माननीय स्वशासन मंत्री से और सरकारी दल के सदस्यों से भी कहा कि नौ साल तक म्युनिसिपल बोर्डों का चुनाव टाला गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव टालने की भी परम्परा शुरू हुई है, पाँच बड़े-बड़े कबाल टाउंस पर प्रशासक नियुक्त किये गये हैं, उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, अब पंचायतराज (पदावधि) विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है, हमारी यह कांग्रेस सरकार जो गांधीवाद, विकेंद्रीयकरण और जम्हूरियत का नाम लेती है वह यह कौन सी प्रगति कर रही है। मैं बहुत स्पष्ट कह चुका हूं और मेरे दल ने बार बार बहुत स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी पंचायत को कायम करने या वहाँ से हटाने का सुप्रीम अधिकार वहाँ की जनता को है और हमने यह चैलेंज किया था, सरकार से कहा था कि पावर आफ़ रिकाल आप दे दीजिये, जब वहाँ की जनता चाहे तो किसी भी संस्था के सदस्य को या चेयरमैन को हटा ले। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर यह पावर आफ़ रिकाल लागू कर दी जाय तो ३७८ सरकारी दल के सदस्यों में केवल १०, ५ ही रह जायंगे। लेकिन यहाँ तो सरकार यह चाहती है कि हम एक दफा अल्पमत से, ४४ फ़ी सदी वोटों से आ गये हैं तो यहीं रह जायं। उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक सत्ता के विकेन्द्रीकरण का सवाल है हम पांच हाथ आगे हैं आपसे और हमने कहा कि आप गांधी जी का नाम लेते हैं और हमने मार्क्सवाद और गांधीवाद इन दोनों का समन्वय करके एक प्रणाली निकाली है और हमें बड़ा अफ़सोस है कि सरकारी दल के माननीय सदस्य केवल ऊपरी सतह की ही बात सोचते हैं और गहरे सिद्धांतों की ओर नहीं जाते। हम पंचायत राज को बुरा नहीं मानते। हम तो उसकी सराहना करते हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई थी जब पंचायतें यहाँ बनी थीं, मगर उस

प्रसन्नता के जाहिर करने का कुछ बैकग्राउंड था और वह बैकग्राउंड यह था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण उनके जरिये सही मानों में होगा । लेकिन क्या आज सत्ता का विकेन्द्रीकरण पंचायत राज विभाग सही मानों में कर रहा है ? आज जनता के चुने हुये लोग, सभापति और सरपंच, जिनकी कि मैं उतनी ही इज्जत करता हूं जितनी कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल की भारत में है, उनको अगर सरकारी इंस्पेक्टरों और और अधिकारियों के सामने सिर झुकाना पड़ता है तो क्या यह सत्ता का विकेन्द्रीयकरण है ? आज ऐसी भी बातें हुई हैं कि इंस्पेक्टर ने सबके सामने उनको थप्पड़ तक मार दिया है ।

श्री देवदत्त मिश्र—एक्सेप्शन्स होंगे ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आपकी बारी अब खत्म हो गई, आप जरा ध्यान से सुनिये । सत्ता के विकेन्द्रीकरण के माने क्या यह हैं कि पंचायत राज के इंस्पेक्टरों को ऐसे अधिकार दिये जायं ? बार बार हमारी तरफ से यह कहा गया कि जो प्राविंशल बजट है उसका चौथाई ग्रास पंचायतों को दे दिया जाय तब वे निर्माण कार्य कर सकेंगे और जितने भी अधिकारी वहां हों उनकी नियुक्ति और डिसमिसल में उनका हाथ होना चाहिये । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अफ़सोस यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पूरे अख्तियार, पंचायत राज इंस्पेक्टर्स को पूरे अधिकार, डाइरेक्टर को पूरे अधिकार और फिर सरकार को अधिकार । इस तरह से सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं बल्कि केन्द्रीकरण होता है । मैंने बार बार इस सदन में कहा है कि हजारों की संख्या में पंचायतों की स्थापना से एक बड़ी भारी सेना का प्रादुर्भाव हुआ जो अपने हकों को पहचानने लगा । लेकिन बड़ी बुरी तरह से इस सरकार ने उनकी भावनाओं को कुंठित कर दिया क्योंकि वह जानती थी कि इतनी बड़ी सेना से टक्कर लेना आसान बात नहीं है । इसीलिये सेंट्रलाइजेशन के आधार पर सरकारी अधिकारियों को उनके ऊपर महत्ता दी गई । उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं यह बात कहता हूं तो यह ग़लतफ़हमी हो सकती है कि मैं सरकारी अधिकारियों की निन्दा करता हूं, मगर ऐसी बात नहीं है । मैं तो यह कहता हूं कि जब सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के लिये पंचायत राज की आपने स्थापना की तो फिर सरकारी अधिकारियों को उनके ऊपर महत्ता देने की व्यवस्था एक हास्यास्पद व्यवस्था हो जाती है और उसको प्रजातंत्र का नाम दे देना एक अजीब सी बात होती है । मैं सदन का और मंत्री महोदय का ध्यान खास तौर पर अमरीका की ओर दिलाना चाहता हूं । अमरीका एक ऐसा देश नहीं है जिसको मैं सही मानों में प्रजातंत्र कह सकूं, वहां पूंजिवाद है, लेकिन वहां एक घन्टा भी चुनाव टल नहीं सकता है और जब द्वितीय महायुद्ध हो रहा था तो दूसरी तरफ़ अमरीका में प्रेसीडेंट का चुनाव हो रहा था । यह बहुत ही उत्तम बात है । मैं तो स्वागत करूंगा अगर हमारी केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार में ऐसी हिम्मत हो । कौन हक़ सरकार रखती है जनता के चुने हुये मेम्बरों का टर्म एक्सटेंड करने का या उनको निकालने का । पंचायत राज के चुने हुये सदस्यों को निकालने और मुअत्तिल करने के सारे अधिकार सरकारी कर्मचारियों के हाथ में हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यहां तो जब हम लोग कोई बातबीच में टोक देते हैं तो हमारे सरकारी दल के माननीय सदस्यों को चोर की दाढ़ी में तिनका की बात याद आ जाती है लेकिन मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्यों की इस सदन में आने के बाद सावन में अंधे की सी हालत क्यों हो जाती है । सरकारी दल के माननीय सदस्य कोई ऐसे नहीं हैं जो यह न जानते हों कि ८५ प्रतिशत ग्राम पंचायतों में अनियमित रूप से टैक्स लगे हुये हैं और उसकी बैठकों में फर्जी रजिस्टर भरे जाते हैं और हजारों की तदाद में ऐसी संख्या है और कांग्रेस के सदस्य भी इस बात को जानते हैं । लेकिन हमें इतने अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिये और वस्तुस्थिति पर परदा डाला जाय ऐसा ९० प्रतिशत केसेज में होता है । यदि एक आध केस में होता तो कोई बात नहीं थी । लेकिन विधान सभा के माननीय सदस्य जिम्मेदार सदस्य हैं । सरकारी दल के सदस्यों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यह जो मंत्रिमंडल यहां पर बैठा हुआ है यह उनकी कृपा पर ही है । अगर यह गल्ती करता है तो वह जब चाहें उसको बदल सकते हैं ।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

जब वह बनाने वाले होते हैं तो यहां भी वही केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण की भावना है । सही बात न कहकर हमें यह उपदेश दिया जाता है कि रचनात्मक टिप्पणी होनी चाहिये । अगर वह कर देते तो ज्यादा अच्छा होता । अगर हम न हों तो सरकार न जाने क्या क्या करे । हम चेक लगाते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं, इसके लिये हमें बधाई देनी चाहिये । हमें उपदेश दिया जाता है लेकिन उधर से नान स्टाप भाषण होते हैं । मैं माननीय नारंगलाल जी को उपदेश देना चाहता हूं कि कुछ लोग तो घसीट लिखते हैं और कुछ लोग घसीट बोलते हैं । उनकी बड़ी कृपा होती अगर वह घसीट न बोलते जिससे हम लोग काफी उनके भाषण को समझ लेते । वाक्यजाल जो माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किया उस पर विचार करने की बात है । माननीय मंत्री जी ने भाषण दिया उसमें दो तीन प्वाइंट्स ऐसे हैं जिनके एक्जामिन करने की जरूरत है ।

उन्होंने सबसे पहले तो यह बतलाया कि हमारे सामने दो तीन समस्यायें हैं । उनमें से एक यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव कैसे हो । क्या ग्राम सभाओं के पंचों को चुन लिया जाय या सीधे जनता द्वारा चुनाव हो । इसलिये देर लगेगी । दूसरी समस्या यह है कि जिला बोर्डों और पंचायतों के क्या अधिकार हों और ग्राम सभाओं के क्षेत्रफल के घटने तथा बढ़ने में देर हो सकती है । तीसरी बात यह है कि जिसको मैं अपनी तरफ जोड़े देता हूं कि ग्राम सभाओं के पंचों के चुनने की प्रणाली बैलट से होगी या हाथ उठाकर होगी । मैं इनकी शव परीक्षा यानी पोस्टमार्टम करना चाहता हूं । मुझे इनमें कोई बेसिस नहीं मालूम होती है । यह तीनों दलीलें निराधार हैं । मान लीजिये आज चुनाव हो जाता है और क्षेत्रफल बदल जाता है या बढ़ जाता है या घट जाता है । इससे कुछ नहीं होता है । इससे चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है । मेरी समझ में यह बात नहीं आई क्योंकि आप संख्या के आधार पर ग्राम सभाओं के पंचों को नियुक्त करते हैं । लेकिन क्षेत्रफल के घटने बढ़ने से चुनाव पर असर पड़ने का क्या सवाल है । यह कोई समस्या नहीं है जिसकी वजह से देर हो ।

इसके अलावा जो समस्या जिला बोर्डों और ग्राम सभा के पंचों के चुनने के संबंध में है यह बुनियादी बात है । कोई यह नहीं कहने जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के पहले आप पंचों को चुन लीजिये फिर उन्हीं को नामजद कर दें । ग्राम सभाओं ने यह सवाल उठाया है कि हम चुनाव करें या न करें लेकिन उनका चुनाव रोकने की दलील कहां से आती है चाहे आप सीधे चुनाव कर लीजिये या जनता से करवा लीजिये । लेकिन ऐसी दलील देना कहां तक ठीक है । दूसरी बात यह है कि इसमें बैलट पेपर का कहीं भी जिक्र नहीं है । ऐसी दलील दी जा सकती थी लेकिन उस पक्ष से वह भी नहीं दी गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अखबारों की बात कही कि एक लिस्ट बनाई जाती है । उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी यह जानती है और दुनिया जानती है कि प्रजावादी पार्टी का एक सिद्धान्त होता है और असली भी जभी हो सकती है जबकि हर प्रकार की विचारधारा के जानने और समझने का मौका मिले । आखिर हमारी पार्टी का जो "संघर्ष" अखबार है, "जनता" पटना से निकलता है, इनको पंचायतराज विभाग ने क्यों ब्लैकलिस्ट कर रखा है । इसके क्या मानी होते हैं । इसके मानी क्या यह नहीं होते कि सिर्फ सरकारी साधनों के जरिये से जो लिटरेचर उत्पन्न किये जाते हैं, जो अखबार निकाले जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को वह पढ़वाना चाहती है । क्या डर है सरकार को हमारे अखबारों से, मैं पूछना चाहता हूं पंचायतराज विभाग को क्या डर है ? सभी जानते हैं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी प्रजातंत्र प्रणाली को मानने वाली संस्था है, गान्धी जी के सत्याग्रह सिद्धान्त पर चलने वाली है, हिंसा को दूर से सलाम करती है और कम्यूनिस्टों का घोर विरोध करने वाली है । तो इस संस्था के अखबार को ब्लैक लिस्ट रखा जाय और उसके बाद प्रजातन्त्रवाद और जम्हूरियत की बात की जाय, कैसे उनको शोभा देता है और मैं समझ नहीं पाता हूं कि कैसे किस मुंह से वह विरोधी दल को उपदेश देते हैं । प्रजातन्त्र में परस्पर विरोधी विचारधाराओं को हरएक को समझने का मौका होना चाहिए, हर विचारधारा के आदमी को जनता के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलना

चाहिए और उसके बाद हर जनता को यह अधिकार है कि वह जिसको चाहे उसको रखे । लेकिन विरोधी दल के अखबारों को न पढ़ने देना और उनको प्रोत्साहन न देना यह सरकार की किस नीयत की तरफ इशारा करता है । उपाध्यक्ष महोदय, इसको आप तो कम से कम समझ ही सकते हैं, सरकारी दल के सदस्य चाहे न समझें लेकिन आप तो समझ ही सकते हैं । तो मुझे तो बड़ी हैरानी हो जाती है, बड़ी परेशानी हो जाती है कि कैसे इस तरह से लोग आसानी से इस तरह की बातें कह दिया करते हैं । असल में मुक्त कंठ से हम आज भी पंचायतराज का स्वागत करते हैं लेकिन अगर सही मानी में कहा जाय तो इसका एक ही तरीका हो सकता है कि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हों, उनको सुप्रीम पावर होनी चाहिए, उनके लिये सलाहकार की व्यवस्था होनी चाहिए जो अफसर हों वह सलाहकार की हैसियत से रहें, वह ग्राम सभा के पंचों और सरपंचों की इज्जत करें, उनको जाकर पहले नमस्कार करें और अगर वह पहले जाकर उन्हें नमस्कार करते हैं तो एक साइकालाजिकल असर उनके ऊपर इसका पड़ता है कि एक इंस्पेक्टर या एस० डी० ओ० साहब हमारे यहाँ आकर हमें नमस्कार करते हैं इसलिए कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और इससे उनको प्रोत्साहन मिलता है । लेकिन यहाँ तो उनके ऊपर डाँट डपट पड़ती रहती है, ऐसा मालूम होता है कि वह उनके गुलाम हैं । अभी कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जब चुनाव में नहीं लड़ी तो फिर यह क्यों घबराहट विरोधी दल को है । माननीय सदस्य ने नेता विरोधी दल को सुना नहीं और न उनकी समझ में ही आया कि नेता विरोधी दल ने क्या कहा । उन्होंने यही कहा, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपने चुनाव का तजुर्बा है, मैं बतलाता हूं कि वह पंच और सरपंच यह समझते हैं कि वह तो सरकार के सीधे गुलाम हैं और उनके दिमाग में यह बात भरी जाती है । मैंने उनसे कहा कि आपको तो किसी को भी वोट देने का अधिकार है आप जिसको चाहें उसकी मदद कर सकते हैं । लेकिन चुपके से तो वह बेचारे कभी हमारी मदद कर भी देते थे, लेकिन जाहिर बराबर डरते रहते थे । आम तौर पर ८० फीसदी लोग जो थे वह यही समझते थे कि अगर, हमने कांग्रेस की मदद नहीं की तो ठीक नहीं होगा और यह पहला चुनाव का मौका है । तो हो सकता है और मैं तो पेशीनगोई करने की हिम्मत करता हूं कि एक साल तो इस समय है आगे हो सकता है कि सरकार इस बात की कोशिश करे कि ६ महीने और बढ़ाये और फिर बढ़ाकर डेढ़ साल और दो साल तक भी कर सकती है । हमने तो माननीय मन्त्री जी के कई वादे सुने हैं और मैं तो यह समझता हूं कि एक साल में भी वह शायद इसको नहीं कराएंगे । विरोधी दल की परिभाषा का जहाँ तक प्रश्न है वह परिभाषा मैंने बता दी और हम तो पूरी जिम्मेदारी के साथ नुक्ताचीनी पेश करते हैं और इसलिए पेश करते हैं कि सरकारी दल के सदस्य समझें कि उनका क्या कर्तव्य है । हमें तो प्रसन्नता होती और जनता भी प्रसन्न होती अगर इस बिल का घोर विरोध किया जाता और माननीय मन्त्री जी को कठिनाई से यह आज्ञा दी जाती । मैं इस बात को फिर बतला देना चाहता हूं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को, उनके स्थान से हटाने का, उनके समय को बढ़ाने का या घटाने का अगर किसी को भी अधिकार है तो वह जनता को है, अगर इस मूलभूत सिद्धान्त पर यह प्रादेशिक सरकार और केन्द्रीय सरकार गौर करना शुरू कर दे तो हमें विश्वास हो जायगा कि वह डेमोक्रेसी को चलाना चाहते हैं । इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकारी दल के लोगों की काफी गलतफहमी दूर हो गई होगी, मैं समाप्त करता हूं और फिर मैं यह डंके की चोट पर कहता हूं कि पंचायत राज व्यवस्था को हम निश्चित रूप में पसन्द करते हैं लेकिन पंचायतों के और जनता के अधिकार को छीनना और उनके समय को बढ़ाना यह नामुनासिब बात है ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में बैठे बैठे विरोधी दल के लीडर की भी स्पीच सुनी, माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी की भी सुना और त्रिपाठी जी को भी सुना । लेकिन सबसे पहले मैं त्रिपाठी जी को लेना चाहता हूं । त्रिपाठी जी घसीट में स्पीच देते हैं, घसीट में लिखते हैं । त्रिपाठी जी को याद होगा कि जब दर्जा चार पास किया था तो उस समय दर्जा चार पास करने के लिये घसीट पुस्तक को पास करना पड़ता था । आप जब घसीटने लगते हैं तो यहां से रूस तक घसीट ले जाते हैं । मैं विरोधी दल

[श्री शिवनारायण]

से कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से अगर वह सोचें तो वह बतलायें कि रूस में १९१७ में स्वतंत्रता मिली थी लेकिन क्या वहां आज तक पंचायत राज्य स्थापित हुआ जैसे कि इस प्रदेश में ६, ७ वर्षों में स्थापित हो गया । मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि आज इस पोर्टफोलियो पर हमारा वह मिनिस्टर है जिसने देश विदेश घूमा है, दुनिया के हर गोशे गोशे में घूमा है और सही एक्सपेरीमेंट कर रहा है । मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि उसको इस विभाग का सबसे अधिक ज्ञान है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—तभी तो रंग बदल दिया ।

श्री शिवनारायण—"मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहिं विरंचि सम" । तभी तो आपने टोपी बदल दी । टोपी बदलने से काम नहीं चलेगा दिल को बदलना पड़ेगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आन ए प्वाइंट आफ अर्डर, सर । वैसे तो मैं श्री शिवनारायण जी की कोई बात गम्भीरता से नहीं लेता । लेकिन इस तरह से व्यक्तिगत आक्षेप करना कहां तक उचित है ? आपको ऐसा करने से उनको रोक देना चाहिये ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—रामनारायण जी ने जो प्रश्न उठाया कि वह गम्भीरतापूर्वक शिवनारायण जी की बात को नहीं लेते हैं यह रामनारायण जी के लिये उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसमें मुझे अब कोई रूलिंग देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री शिवनारायण—मैं त्रिपाठी जी की बुद्धि की तारीफ करता हूं और गेंदा सिंहजी की बड़ाई करता हूं । वह वाकई हमारे विरोधी दल के सुयोग्य माननीय सदस्य हैं । मैं उनकी कद्र करता हूं । इसलिये कद्र करता हूं कि जबसे वह जेल से आये हैं उन्होंने लाल टोपी का लगाना छोड़ सा दिया है । लाल टोपी पहनने से कलयुग बसता है वह बुद्धि को चकनाचूर कर देता है । ठीक नहीं चलने देती । सच्चे समाजवादी तो हमारे प्रधान मन्त्री जी हैं । कांग्रेस का एक एक आदमी समाजवादी है और उसी ढर्रे पर वह चल भी रही है ।

"गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है ।"

यह नारा सुखदेव और भगत ने दिया था । एक साल हम पंचायतों का एलेक्शन रोक रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं । म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन्स हो गये । आज वहां कितनी छीछालेदर हो रही है । कहा गया कि बजट में बहुत थोड़ा सा रुपया रक्खा । बड़ी छीछालेदर की गई कि साहब आपने तो कल्पना कर ली । चतुर राजनीतिज्ञ वही है जो सदा होशियार रहता है आने वाली आपत्ति का पहले ही इन्तजाम कर लेता है । मैं शाहजहांपुर की म्युनिसिपैलिटी की मिसाल देता हूं । वहां का चेयरमैन विरोधी दल का आदमी है । कांग्रेस का आदमी यहीं है लेकिन इतनी थूकम फजीहत उसकी हो रही है कि अविश्वास का प्रस्ताव आने वाला है । अगर विधान में साल भर की कैद न होती तो ९९ प्रतिशत वोटों से अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया होता । अगर डाइरेक्ट तरीके के बजाय इनडाइरेक्ट तरीके से चेयरमैन चुना गया होता तो आज वहां की चेयरमैनशिप बदल दी गई होती । जनता जो है वह आज ऊब गई है । हम आज देश की गवर्नमेंट चला रहे हैं लेकिन वह गति के साथ चल रही है यह सब लोग विचार कर सकते हैं मैं सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि अभी साल भर नहीं बीता कि जनरल नजीब ने वहां पर क्या किया । हम तो बहुत ठंडे दिल के साथ यहां की हुकूमत चला रहे हैं । हमारे प्रदेश में पं० पंत की हुकूमत है यह पं० पन्त वही हैं जिसने इसी लखनऊ में साइमन कमीशन का मुकाबिला किया था । वह कांग्रेस के शानदार सच्चे और पक्के सिपाही हैं जो बहुत समझदारी और शान्ति से अपनी सरकार का काम चला रहे हैं । त्रिपाठी जी ने कहा कि गान्धीवाद और समाजवाद मिलकर

एक ऊंचा वाद होगा। क्या आज हमारे देश में समाजवाद नहीं चल रहा है। हमारे नेता इसको मानते हैं आपकी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तो और पार्टी के साथ मिल गयी है लेकिन हमारी पार्टी है विशुद्ध राजनीति के आधार पर चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष---अब आप अपने विषय पर आ जायं तो अच्छा है।

श्री शिवनारायण---मैं वहीं पर आ रहा हूं। यहां पर यह कहा गया कि पंचायतों के पास ऐसी किताबें भेजी जाती हैं जिनके अन्दर पंचवर्षीय योजना को क्रिटिसाइज किया गया है और हमारी सरकार को भी क्रिटिसाइज किया जाता है। यह तो हमारे लिये उदारता की बात है कि हम ऐसी किताबों को भी अलाऊ कर देते हैं जो हमको क्रिटिसाइज कर सकें। मदनमोहन जी ने जो कहा मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो है वह बड़ी शानदार चल रही है उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। हमारे विरोधी दल के भाई इस बात को जानते हैं कि महात्मा गांधी का संदेश आज गांव-गांव में पहुंच गया है जो कि गांधी जी कहा करते थे कि जहां पर ५ पंच हैं वही परमेश्वर है। अब कोई भी झगड़ा वहां पर हो तो वह निबटाया जा सकता है। हमारे गांव में पहले पंचायतें भी थीं और हमारी बिरादरी के अन्दर तो अब भी पंच बैठते हैं जो किसी का हुक्का पानी गिरा देते हैं। हमको इस बात की खुशी है कि सरकार ने इसको अपने हाथ में लिया। आज गांव में प्रश्न यह है कि पंच को किस प्रकार से चुना जाय और वह किस किस्म का आदमी हो इस बात की छानबीन की जा रही है। जो २५, ३० चुन कर आयेंगे उनमें से ५ पंचायती अदालत में रखे जायगे। इस प्रकार की बातों पर विचार किया जा रहा है हमारे मंत्री महोदय भी सोच रहे हैं और सरकार भी विचार कर रही है। त्रिपाठी जी ने कहा कि सावन वाले को साफ नजर नहीं आता है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जिनको सावन में दिखायी नहीं देता है वह यहां पर नहीं हैं। यहां पर तो हाथ पैर वाले सदस्य बैठे हुये हैं। आप इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं क्यों कि आजकल सूर्य दक्षिणायण है। जब उत्तरायण होगा तब बुद्धि ठीक होगी। आज हमारे देश की पुकार क्या है आज देश की मांग क्या है। आज हमारे देश के शिवाले पर पाकिस्तान और अमेरिका का गठबन्धन हो रहा है। वहां मिलीटरी पैक्ट हो रहा है और हम और आप बैठ कर इस सदन में एक दूसरे को घसीटते हैं। हिन्दू और मुसलमान भाई से मेरी अपील है कि गला जोड़ कर हम लोग देश के लिये तैयार हो जावें। दिल्ली में हर पार्टी ने जवाहरलाल के हाथ मजबूत किये। तो जितने हमारे सम्मानित सदस्य हैं सब गांव में चलें और प्रैक्टिकल काम करके दिखावें। खाली बातों से काम नहीं चलने वाला है। मैं कहता हूं 'गो टू दी मासेज'। गांधी जी ने भी यही कहा था। मैं और त्रिपाठी जी दोनों चलें। लोगों को पढ़ा कर दर्जा ४ के योग्य बनावें। तब वे अपने राइट्स और ड्यूटीज समझ सकेंगे। त्रिपाठी जी ने कहा कि अगर आज न्योता दे दिया जाय तो यहां १० न रह जावें। देवरिया की मिसाल आपके सामने है। गेंदासिंह से मैं पूछना चाहता हूं कि आज उनकी स्ट्राइक क्या हुई। गेंदा भाई बतावें कि वह फ़ेल हो गई या नहीं। किसान ने कह दिया कि हम तुम लाल टोपीवालों की बात नहीं मानते, तुम देशद्रोही हो। मैं कहता हूं कि यह कानून बहुत उत्तम है और इसके लिये हम समय बढ़ा रहे हैं।

ये लोग रूस और चीन की बातें करते हैं। हमारी विजयलक्ष्मी जी वहां से आईं तो उन्होंने बताया कि वहां कोई चीज ठीक तरह से देख भी नहीं पाते। पीछे सी० आई० डी० लग जाती है। हमारे यहां चाहे आप ताजमहल देखिये, लखनऊ देखिये और चाहे इलाहाबाद देखिये। हमारे देश में आज हिन्दू, मुसलमान, चमार, ईसाई सब शान्ति से रहते हैं। पाकिस्तान में नंगा नाच मैंने २२ अप्रैल को अखबार में देखा जहां कि हजारों आदमी मौत के घाट उतार दिये गये।

किसानों ने सोशलिस्टों से कह दिया कि बख्शी काका, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और इन लोगों को जेल में रहना पड़ा। तो मैं नारायणदत्त से फिर कहना चाहता हूं कि जाकर इस्ट्राइक बन्द करो।

[श्री शिवनारायण]

पंचायत राज के इंस्पेक्टर का जिक्र किया गया। मैं कहता हूं कि हर इंस्पेक्टर और सेक्रेटरी ठीक-ठीक काम करते हैं। वे सरपंच को वाकई सरपंच समझते हैं। हां यह जरूर है कि इंस्पेक्टर जरा सफेद पोश होता है और हमारे सरपंच अपनी मान-मर्यादा के तौर से उनकी इज्जत करते हैं। यह हमारी संस्कृति है। सन् ४६ में उदयवीर सिंह जी हमारे जिले में चुनाव के समय गये तो जहां-जहां वह जाते थे गांववाले कहते थे बाबू जरा सा पानी पी लो। उनको जरा सा गुड़ खिला दिया तो वे मुग्ध हो गये और कहने लगे कि यहां की ट्रेडीशन बहुत अच्छी है। मैंने कहा कि यह वह स्थान है जहां श्री रामचन्द्र जी और दशरथ जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वही ट्रेडीशन जो पहले थी वही अब भी चली आती है। पंचायत राज का नमूना भी वही है। हमारे बस्ती जिले में एक सरपंच हैं जिन्होंने सारे मुकद्दमे बराबर फैसला कराकर खत्म कर दिये। कचहरी से निजात दिलायी वकीलों से निजात दिलाई। आज गांववाले बैठ कर पंचायत करते हैं और लोग उनकी बात को मानते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ी भी हो जाती है लेकिन क्या पांचों उंगली बराबर होती हैं? लेकिन जरूरत के वक्त वे भी इकट्ठी की जा सकती हैं। चन्द्रमा भी निष्कलंक नहीं है। अगर कहीं निष्कलंक हो जाय तो आफत मच जाय। बड़े बड़े पंडित बैठें कि भगवान की यह क्या रचना हुई। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि क्या ऐसी बात गांव पंचायतों के कारण हो गयी कि उनको ऐसी घबराहट हो रही है। मुझे तो नहीं मालूम कि कहीं कत्ल हुआ हो। जो कुछ है उसको सब गांववाले समझते हैं। वे स्वयं को ऊपर उठाना चाहते हैं और यह भी समझते हैं कि सरकार के पास जब पैसा होगा तो वह और भी निर्माण करायेगी। सरकार की पंचवर्षीय योजना में सभी लोग सहयोग दे रहे हैं और अपना निर्माण स्वयं करना चाहते हैं लेकिन उनकी तरफ से कहा जाता है कि श्रमदान लिया जाता है बेगार ली जाती है। जरमनी में लड़कों ने मिलकर सारी सड़कें बना दीं। आज आप बेगार की बात कहते हैं। जितने पुराने जमींदार हैं वे टोपी बदल कर वहां बैठे हुए हैं। मैं राजनारायण जी से ही पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपने गांव में समाजवादी नक्शा तैयार किया है। मैं तो कहना चाहता हूं कि सबसे पहले कल्ब साफ होना चाहिए। पहले आप दिल को साफ कीजिये तब ही आप जनता की सच्ची सेवा कर सकते हैं। अगर नारायणदत्त जी जनता की सेवा नहीं करते हैं तो कभी भी पब्लिक उनका साथ नहीं दे सकती। चमारों का एक भी वोट उनको नहीं मिल सकता। हल्द्वानी की दशा मैं जानता हूं मेरे मुकाबिले में वे वहां टिक नहीं सकते हैं। मैं तो यही कहता हूं---

"कहता कहता बहु मिलें, कर्ता मिले कोऊ कोउ"

तो मैं कहता हूं कि अगर आपको करनी है तो जनता की सच्ची सेवा कीजिये। अब रहा मजदूरों का सवाल। आप हुगली मिल में स्ट्राइक करायेंगे, कानपुर मिलों में स्ट्राइक करायेंगे, लेकिन उस मिल में नहीं पहुंचेंगे जहां के मालिक सोशलिस्ट हैं। हमारे जिले में एक बहुत बड़े कैपेटेलिस्ट सोशलिस्ट हैं उनका नाम भानू बाबू है, श्री शिवमंगल सिंह जी उनको हरा कर यहां आये हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि बातें करना तो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है गांधी जी ने कहा था कि क्विट इंडिया डू आर डाई उन्होंने यह कह कर कौम को जगा दिया बिगुल बजा दिया। वे जो कुछ कहते थे वह पहले करते थे इसीलिये जनता उनके पीछे थी। राजनारायण जी मेरे गांव में जाते हैं मैं चूकता नहीं हूं उनके सामने ही पब्लिक को एड्रेस करता हूं। रामविलन सिंह लौट कर नहीं जा सकते हमारी कंस्टीटुएंसी में। यह हमारा नमूना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि पंचायत में बड़ी अच्छी बातें हैं पंचायत में बड़ी सुन्दर चीजों का नमूना आज हमारी सरकार ने रखा है जो सही में रामराज्य का नमूना है और इससे गांधी जी की आत्मा को शान्ति मिलेगी कि गोविन्दवल्लभ पंत की हुकूमत ने इस राज्य में पंचायत राज कायम करके काफी सफलता प्राप्त की है। अन्त में मैं पुनः अपने मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक साल की अवधि बढ़ाने के लिये इसको रखा है। जो यह कहा गया है कि पंचायतराज में कलेक्टरों से नामिनेट कराया जाय वे

भी इसको सोच रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं पुनः अपनी सरकार को बधाई देता हूं। हम सरकार को कोसना नहीं चाहते हैं जैसा कि दूषित लोग कोसते हैं। कोसना उन्हीं को मुबारक रहे हमें तो धन्यवाद देना ही मुबारक है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---क्या सदन की अनुमति है कि इस पर विवाद समाप्त किया जाय ?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं इसे आप कृपया सुन लें। इतने महत्वपूर्ण भाषण के बाद हम समझते हैं कि कई सदस्य हमारी तरफ से बोलने के लिये खड़े हुये तो मैं समझता हूं कि कम से कम एक सदस्य को बोल लेने दीजिए उसके बाद इस प्रस्ताव को ले लिया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो विधेयक प्रस्तुत है वह इतना गम्भीर और आवश्यकीय है कि उसके ऊपर इस सदन को पूर्ण रूप से विचार करना चाहिये। इसलिये मैं इस क्लोजर का विरोध करता हूं और मैं कहता हूं कि और सदस्यों को भी मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---ऐसी अवस्था में फिर मुझे सदन की अनुमति ले लेनी चाहिये।

श्री राजनारायण---यह तो आपके डिस्क्रिशन पर है, श्रीमन्।

श्री मोहनलाल गौतम---बजाय इसके कि इसपर आप वोट लें मैं समझता हूं कि जब सदन की इच्छा है तो इस पर थोड़ा और विवाद हो जाने दीजिये।

श्री रतनलाल जैन---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रारम्भ में यह विचार नहीं था कि मैं इस विधेयक पर बोलूं मगर मैंने जो विरोधी दल के सदस्यों के और नेता के भाषण सुने उससे मुझे यह आश्चर्य हुआ। यह छोटा विधेयक है जिसमें सिर्फ अवधि बढ़ाने का मसला है उस पर भी ये विरोध करते हैं। आज जो यह पंचायतराज हमारे प्रदेश में चालू है। मेरा यह अनुभव है और वे जानते हैं कि इस पंचायत राज में और उसके साथ जो श्रमदान हुआ है इससे हमारी ग्रामीण जनता का तमाम दृष्टिकोण बदल गया है। उनमें एक उत्साह की उमंग आ गयी है। उस उत्साह को जिन्होंने देखा है, जिन्होंने उस दृष्टि से देखा है जिनकी दृष्टि सही है तो वे यह कहेंगे कि हमारे देश में एक अद्भुत स्फूर्ति आ गयी है। आज हमारे विरोधी दल का दृष्टिकोण बिलकुल दूषित हो गया है। जैसे एक पीलिया बीमारी होती है जिसमें सब पीला ही पीला दिखलायी पड़ता है इसी तरह से हमारे विरोधी दल के लोग देख रहे हैं। हम कैसे उन पर विश्वास करें जबकि वे दक्षिण में कम्युनिस्टों से मेल करते हैं जो आजादी के विरोधी हैं, जो डिक्टेटरशिप का समर्थन करते हैं, जो हिंसा में विश्वास करते हैं। वे वहां थोड़ी तादाद में होते हुए भी मिनिस्टरी बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। उनको लालसा है कि हम कुर्सी ले लें चाहे हमारी ताकत हो या न हो, चाहे हमें जनता पसन्द करे या न करे। ऐसी जिनकी दूषित भावना है उनका दृष्टिकोण बिलकुल संकुचित और दूषित है। आज उसी दृष्टिकोण से वे हमें भी देख रहे हैं। इन ग्राम पंचायतों ने हमारे ग्रामों में एक बड़ी भारी चेतना दी है। हमको इन पांच वर्षों के अन्दर अनुभव हुआ है और उस अनुभव से हम लाभ उठाना चाहते हैं। क्या-क्या त्रुटियां उसमें हैं वह सब हमको दिखायी दे रही हैं। यह तो एक विकेन्द्रीकरण की बात है। हम चाहते हैं कि जिले के स्तर पर इन सभाओं का कार्य चले। यह सब किस तरह हो यह बात काफी विचारणीय है। पंचायत राज हमारे देश में बिलकुल नयी चीज है और भारतवर्ष में ही नहीं, सारे संसार में ऐसी चीज नहीं है, यह हमने पहले पहल चालू की है। हमें उसमें जैसे-जैसे तजुर्बा होता जाता है वैसे-वैसे हमें इसमें परिवर्तन करते चलना है। जहां तक पंचायती अदालतों का सम्बन्ध है हमारे सोशलिस्ट भाई भी जानते हैं कि बहुत सी अदालतों ने काम अच्छा किया है और बहुत सी अदालतों के काम

[श्री रतनलाल जैन]

खराब हुए हैं, वहां पार्टीबन्दी हुयी है, भ्रष्टाचार भी फैला है। ऐसी परिस्थिति में हमें इस तरह से संशोधन करना है जो इस कार्य को आगे बढ़ा सके। अगर आज हम जल्दी से पास कर देते हैं तो हंसी भी होती है और रुपया भी बेकार जाता है। तो यह तो बिलकुल स्वाभाविक है कि जब ऐसा मसला पेश हो तो काफी सोच विचार कर करना चाहिये और उसके लिये ही सरकार यह मोहलत ले रही है। इसके साथ ही अब तो और भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है जब उसका विधेयक हमारे समक्ष उपस्थित है। ऐसी दशा में तो हमारी नीयत पर संदेह नहीं करना चाहिये। विधेयक उपस्थित है उसमें काफी समय लगेगा। यह भी सम्भव है कि वह प्रवर समिति में जाय और काफी समय लगे। ऐसी दशा में बिलकुल लाजिमी है कि साल भर की मोहलत दी जाय। ऐसे विधेयक पर भी जब हमारे विरोधी भाई आक्षेप करते हैं तो हमें उनकी बुद्धि पर आश्चर्य होता है और नियत पर भी। वह यह चाहते हैं कि किसी तरह से यह सरकार बदनाम हो और उसको बदनाम करके हम किसी तरह से बहुमत में आ जायं और सरकार पर कब्जा कर लें। मैं उनसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इस तरीके से सफलता उन्हें कभी भी नहीं होगी। उनको सफलता तो जभी होगी जब वह पूरी तरह से सेवा करें, सच्ची बातें कहें और ऐसी व्यर्थ की बातें न किया करें। इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से सदन के सम्मानित सदस्यों के भाषण प्रस्तुत विधेयक के सम्बन्ध में सुने और मुझे बड़ी खुशी उस वक्त हुई जब माननीय शिवनारायण जी बोलने के लिये लालायित देखे गये और माननीय स्वशासन मंत्री जी जबकि माननीय रामनारायण त्रिपाठी बोल रहे थे और उन्होंने घसीट शब्द का प्रयोग किया था उसके बाद शिवनारायण जी को बुलाकर 'घसीट' शब्द की परिभाषा समझाई थी। उसके लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

श्री शिवनारायण---आन ए प्वाइंट आफ इन्फारमेशन, माननीय स्वशासन मंत्री जी ने मुझे कोई 'घसीट' की परिभाषा नहीं समझाई।

श्री रामेश्वरलाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यही समझा कि माननीय शिवनारायण जी उनके पास गये और उन्होंने 'घसीट' की परिभाषा उनको समझाई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने भाषण के सिलसिले में ट्रेजरी बेंचेज के सदस्यों ने जिन-जिन उक्तियों को सदन में व्यक्त किया है उनको सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। माननीय नौरंगलाल जी ने अपने घसीट भाषण में जिन-जिन बातों का उल्लेख किया है वह उन्हीं के भाषण से ही कट जाता है। उन्होंने कहा कि "पंचायत में चाहे हम हों या वह हों इससे क्या होता है।" लेकिन पंचायतों का आधार अगर न्यायसंगत है, न्याय पर प्रतिपादित है तो वहां गांव की रहनेवाली जनता को ही अधिकार है कि वह उचित और न्यायसंगत तरीके से अपने शासन को कांस्टीट्यूशन के मुताबिक चलावे। उन्हीं को केवल चुनने का अधिकार है और अच्छे व्यक्ति ही पंचायतों के पदों पर बैठ सकते हैं। माननीय नौरंगलाल जी ने बतलाया कि टैक्स वसूल होंगे और जरूर होंगे। इस सम्बन्ध में मैं माननीय नौरंगलाल जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या गांव के बड़ेबड़े पूंजीपति, बड़ेबड़े जमींदार या जो वहां के बड़े-बड़े व्यवसायी हैं उनपर पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार है? नहीं। इसका अधिकार तो विशेष अधिकारी के पास है। तो मैं कह सकता हूं कि गांव पंचायतों को केवल गरीब लोगों पर ही टैक्स लगाने का अधिकार है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय देवदत्त शर्मा जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि विरोधी पक्ष के लोग हृदयहीन हैं और दृष्टि से भी हीन हैं। मैं माननीय शर्मा जी से आपके द्वारा यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर अड़ोस-पड़ोस के लोग भूख से मरने वाले हों, अड़ोस-पड़ोस में माताओं की इज्जत और आबरू बिकती हो और दूसरी

तरफ जिसके हाथ में राजसत्ता हो, अधिकार हो वह इन चीजों को देखकर टालता हो तो फिर हृदयहीन कौन है ? यह मेरा सवाल है। मैं समझता हूं कि अगर माननीय देवदत्त शर्मा जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो उन्हें यह ज्ञात होगा कि आज की सरकार ही हृदयहीन है। आज देश में ऐसे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं जोकि बेरोजगार हैं और ऐसी मातायें बढ़ती चली जा रही हैं जो लाचारी में पेट पालने के लिये अपनी आबरू बेच देती हैं और बेचती हैं। न मालूम कितने इस प्रकार के इस सरकार में कुकर्म होते हैं। मैं माननीय देवदत्त शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि हृदयहीन आप हैं या हृदयहीन हम हैं ? अगर वह इसपर विचार करेंगे तो उन्हें स्वयं जवाब मिल जायगा। मैं तो यही कहूंगा कि हृदयहीन केवल सरकार है और आपकी राज्य व्यवस्था है, जिसके आप हिमायती हैं।

माननीय शिवनारायण जी का भाषण जब मैं सुन रहा था, तो मुझे खुशी हो रही थी और उस कांड की याद आ रही थी। जब देवरिया के उपचुनाव में माननीय शिवनारायण जी खंजड़ी लेकर के देवरिया की गलियों में घूम रहे थे, वहां लड़कियों ने उनको पुरस्कार में बताशा दिया और फिर उन्होंने उस कार्य को छोड़ा। आज शिवनारायण जी ने जो किया उससे मुझे यह सन्तोष हुआ कि आने वाले जमाने में यदि माननीय मन्त्री जी ने कुछ ध्यान दिया तो हो सकता है कि एक मन्त्री हमारे पूर्वी जिलों का हो जाय, और मैं एक पूर्वी जिले का हूं, इसलिए माननीय शिवनारायण जी बधाई के पात्र हो सकते हैं। माननीय शिवनारायण जी ने माननीय नारायणदत्त जी को शिक्षा देते हुए यह कहा कि नारायण दत्त जी को हरिजनों का एक वोट भी नहीं मिलेगा। मैं यह कहूंगा कि पिछले चुनावों में अनुभव प्राप्त करने के बाद भी शिवनारायण जी यह कहने के लिए कैसे तैयार हैं।

श्री शिवनारायण—मैं हल्द्वानी की बात कह रहा था कि जहां वह रहते हैं, वहां उनको एक वोट नहीं मिलेगा।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, मैं सदन में संयम रखना चाहता हूं, लेकिन माननीय शिवनारायण जी मानने वाले नहीं हैं। ऐसा मालूम होता है कि सारे हरिजन उन्हीं के हाथ में हैं। उन्हें पुराने अनुभव के आधार पर शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन वे शिक्षा नहीं ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस समय सदन मे प्रस्तुत है, उसपर अपने कुछ सुझाव देने के पहिले मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय झंडे की ओर ले जाना चाहता हूं। राष्ट्रीय झंडे में जो अशोक चक्र पुरःस्थापित है, उसका यह साफ मतबल है कि अशोक द्वारा चलायी गयी राज्य व्यवस्था को हम अपनाना चाहते हैं। अगर यह सही है, तो क्या अशोक ने अपनी राज्य व्यवस्था में ऐसे कानून नहीं बनाये थे, जिसके अनुसार वह अपने निजी दूत कुछ समय के बाद जनता की आंतरिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजता था और फिर उसकी रिपोर्ट के अनुसार अपनी नीति में परिवर्तन करता था। अगर यह ठीक है, और हमने वह परिपाटी अपनायी है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि और माननीय मन्त्री जी के लिए आवश्यक है कि इन पंचायतों से जो किसानों को प्रेरणा मिली है, उनको जो उत्साह मिला है, उससे लाभ उठाने के लिए, मन्त्री जी कोई ऐसे नियम बनावें, जिससे कि आज किसानों में जो पंचायतों के प्रति श्रद्धा या अश्रद्धा है, उसकी जांच करायी जाय और फिर उस जांच के बाद यह विधेयक प्रस्तुत किया जाय। आज यह विधेयक जो प्रस्तुत है, यह टालू नीति का पोशक है। सरकार ने म्युनिसिपैलिटी के चुनावों को टाला, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों को टाला और अब पंचायतों का चुनाव टालने जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में सरकार की टालू नीति ने देश को खतरे में डाला और इसी नीति के कारण आज अर्बन एरिया का जमींदारी उन्मूलन बिल यों ही पड़ा हुआ है। इसी टालू नीति के कारण आज माननीय मन्त्री जी ने यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया है कि पंचायतों का चुनाव एक साल के लिए टाल दिया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अखबारों में प्रकाशित एक समाचार की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेताओं ने

[श्री रामेश्वरलाल]

सरकार से प्रार्थना की थी कि गांवों में पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलबन्दी को दूर किया जाय। उसके बाद ही कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं की ओर से अखबारों में जो चीजें प्रकाशित हुईं, जिनको हम लोगों ने पढ़ा, उनसे साफ जाहिर हुआ कि प्रान्त की सरकार प्रान्त की कांग्रेस कमेटी गांवों में पंचायतों का चुनाव आवश्यकता होने पर लड़ेगी। आज जब मैं इस सदन में इस विधेयक को देखता हूं, तो मैं समझता हूं कि हमारे मन्त्री जी का इरादा सिर्फ यही है कि वह आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं श्रमदान के नारों से, वन महोत्सव के नारों से, पशु प्रदर्शिनी के नारों से जिससे कि एक साल के बाद चुनाव में सफलता प्राप्त कर सकें। इसीलिए एक साल की अवधि बढ़ाने वाला यह बिल उपस्थित किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में पंचायतों का चुनाव आज से चार वर्ष पहले हुआ था और जब पंचायतों का चुनाव हुआ था, उस समय गांवों में रहनेवाले लोगों को आम तरीके से चुनाव की ट्रेनिंग नहीं दी गयी थी, जनरल चुनाव अभी नहीं हुए थे, लोगों ने अभी एडल्ट फ्रेंचाइज के तरीके पर मत देना नहीं सीखा था, जमींदार का भूत अभी सिर पर विद्यमान था, जमींदार की लाठी, जमींदार के गुन्डे, जमींदार की पुलिस, सब चीजें उसी तरह से बरकरार थीं, जिस तरह से अंग्रेजों की हुकूमत में उनकी ताकत बरकरार थी, इसीलिए उन चुनावों में हमने देखा कि अधिकतर जमींदारों से सम्बन्धित व्यक्ति या स्वयं जमींदार उन चुनावों में आये और जिनका उन गांवों में प्रभाव था चाहे वह लाठी का प्रभाव हो, चाहे कर्जा देने का प्रभाव हो, इन प्रभावों से उन्होंने वोट प्राप्त किये। पूर्वी जिलों में, मैं अपने जिले की बात कहता हूं कि गांव सभाओं के सभापति और अदालती पंचायतों के सरपंच सब बड़ेबड़े लोग हैं जिनके प्रभाव में वहां के लोग रहा करते थे। इसलिए उन चुनावों में जनता ने यह नहीं समझा कि हमको किसको वोट देना चाहिए। जिन चुनावों में सरकार ने गांवों को यह ताकत दी कि वे अपनी ग्राम पंचायतें बनायें और शासन की इकाई ग्राम पंचायतों को माना वहां सरकार के लिए यह भी आवश्यक था कि वह गांवों में उन लोगों को ट्रेनिंग देती, जिस तरह से जनरल एलेक्शन में चुनाव के पहले सरकार ने लोगों को ट्रेनिंग दी थी। तो यह मानना पड़ेगा कि उस समय जो चुनाव हुआ, उसमें अन्ट्रेन्ड लोगों ने भाग लिया और ताकतवर लोगों ने, जो अंग्रेजों के जमाने से ताकतवर थे . . .

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुए।)

वे ही लोग चुनाव में आगे आये। तो फिर वह चुनाव अवैधानिक चुनाव हुआ। और अगर वैधानिक चुनाव हुआ तो ऐसे चुनाव में चुने गये लोगों को एक साल तक और जिन्दा रखने की नीति कहां तक जायज है। अभी मेरे सामने एक किताब जो पंचायत राज ऐक्ट की आयी है, उसमें से मैं आपके सामने कुछ उद्धरण पढ़ना चाहता हूं। उसमें पेज ३ (एच) में यह लिखा हुआ है—

"Has been convicted of an offence involving moral turpitude or has been ordered to....."

श्री मोहनलाल गौतम—प्वाइन्ट आफ आर्डर। यह किससे पढ़ रहे हैं, जो बिल हमारे सामने है या जो कि सुबह इन्ट्रोडयूस हुआ था, और जो इस वक्त सदन के सामने नहीं है? जो बिल सामने नहीं है, उससे पढ़ना इरिलेवेन्ट है।

अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि जो बिल सदन के सामने है उसी के बारे में अपने भाषण को रखें।

श्री रामेश्वरलाल—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बिल पर कुछ नहीं कहना चाहता था।

अधिष्ठाता—यदि कुछ नहीं कहना चाहते थे, तो कृपा करके बैठ जायं।

श्री रामेश्वरलाल---गांव पंचायत कानून के अनुसार मारल टर्पीट्यूड में सजा पाया हुआ व्यक्ति चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, यह मुझे कहना था और चूंकि पुरानी कापी ऐक्ट की मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने इसे पढ़ा था।

अधिष्ठाता---जिस बात को आप कहना चाहते हैं, उसके लिए तो दूसरा बिल आपके सामने आ रहा है, उसपर सब चीजों को कह सकते हैं।

श्री रामेश्वरलाल---तो मैं यह कह रहा था कि गांव पंचायतराज कानून के मुताबिक जो आदमी ११० में मुचलका दे चुका है, वह चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)---यह किस नाटक का उद्धरण दे रहे हैं।

श्री रामेश्वरलाल---उसीका जो आप घर पर खेला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवदन कर रहा था कि जनता को मालूम नहीं था कि मोरल टरपीट्यूड क्या है और ११० में सजा पाये हुये लोग खड़े नहीं हो सकते और अगर यह मालूम भी था तो कम से कम यह तो वाकई बिलकुल मालूम नहीं था कि अगर कोई खड़ा होता है तो उसका विरोध करना पड़ेगा और रिटर्निंग आफिसर जो वहाँ चुनाव के लिये जायेगा वह उसको खड़ा नहीं होने देगा। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ऐसे कितने केसेज उनको मिले हैं जिनमें ११० और डिस्क्वालिफाइड लोग खड़े हुये और विरोध होने पर चुने नहीं जा सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि गाँवों में चुनावों में जहाँ जमींदार आये और जेल की यातना भोगनेवाले डिस्क्वालिफाइड लोग भी लाठी के बल पर प्रमुख स्थानों पर आये क्योंकि जनता को मालूम नहीं था कि उनका विरोध करना चाहिये और यह मेम्बर नहीं हो सकते हैं। इसलिये जनता ने उनका विरोध नहीं किया और वही लोग आज गाँव सभाओं में बैठे हुये हैं। इसी तरीके पर उनको जनता ने चुना है और वह आज काम कर रहे हैं। जिनका अवधि बढ़ाने का माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव सदन के सामने रखा है। मैं कहता हूं कि ऐसी सभाओं की मियाद को नहीं बढ़ाया जाना चाहिये यह देश और राज्य सरकार दोनों के लिए घातक है और होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यह चुनाव कायम रहता है तो समाज में अविश्वास की भावना बढ़ेगी। इसलिये बढ़ेगी क्योंकि गाँव के लोग समझते थे कि अगर इन्होंने अच्छी तरह से काम नहीं किया तो ५ साल के बाद इनको निकाल देंगे। जब हम आज गाँवों मे जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि आप कब चुनाव करवा रहे हैं। इसके पीछे एक ही रहस्य है कि जिन गाँवों में लोग ऐसे लोगों से ऊबे हुये हैं वह उनको जल्दी से जल्दी अपने कंधों से उतार फेंकना चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार उनकी एक साल के लिये और मियाद बढ़ा देना मुनासिब समझती है इसके माने यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि उन गाँवों में ऐसे लोगों का ही जुआ एक साल तक और किसानों के ऊपर बना रहे। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर इसकी मियाद बढ़ाई जाती है तो जनता में अविश्वास की भावना अवश्य बढ़ेगी कि सरकार ने ५ साल के बजाय ६ साल कर दिया।

जब गाँवों में मिनिस्टर्स या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज जाते हैं तो वहां के सभापति तथा सरपंच और मेम्बर इत्यादि को निमंत्रित किया जाता है वह जनता का प्रतिनिधित्व करने आते हैं। लेकिन जनता नहीं समझती क्योंकि लाभकारी संदेश वे नहीं ले जाते। इसलिये यह मुनासिब होगा कि माननीय मंत्री जी जनता में अविश्वास की भावना ज्यादा न फैलने देने के लिये एक साल का कार्यकाल बढ़ाना जो चाहते हैं उसको वापस ले लें और ऐसे कान्फ्रेंस बन्द करें क्योंकि इससे कुछ गड़बड़ी जरूर फैलेगी। अध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है कि जब गाँवों में हमारे मंत्री जाते हैं या शहरों में या जिलों का दौरा करते हैं तो उस समय वह अधिकतर गाँव सभा के सभापति, सरपंचों

[श्री रामेश्वरलाल]

और मेम्बरों को कांफ्रेंस बुलाते हैं। जब चुनाव का विशेष अवसर होता है, जब निष्पक्ष रहने का अवसर होता है तब तो इसकी अधिकता हो जाती है जब क्राइसिस का वक्त होता है तो उस समय ऐसी कांफ्रेंस में जो सुझाव दिये जाते हैं उनपर अमल नहीं होता। जिलाधिकारी के अनुसार नीति बरती जाती है। मैं समझता हूं कि लोगों को सही प्रेरणा नहीं मिलती है। वह लोग समझ कर जाते हैं कि उनका स्थान मुखिया का है, वह सरकार के एक अंग हैं यह भावना उनमें बढ़ती जाती है। फिर गांव के जो नीचे के समाज के लोग हैं उनमें और इनमें भेद हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टिकोण से इनका कार्यकाल बढ़ाना किसी भी तरह से उचित दिखाई नहीं पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, गांवों में आज वैमनस्य की भावना पैदा हो गई है। अखबार में पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अधिकतर गांवों में जो कत्ल होते हैं, गांवों में जो डकैतियां होती हैं जो चोरियां होती हैं, या जो डांठ वगैरह लोग फूंक देते हैं उनका कारण यही वैमनस्य है। आई० जा० के० डिपार्टमेंट से जो पुस्तिका प्रकाशित हुई है उसमें आज ही मैंने देखा यह लिखा हुआ है कि आपस में वैमनस्य के कारण ही क्राइम्स की बढ़ोत्तरी हुई है। तो आपस के वैमनस्य के कारण जब क्राइम्स में बढ़ोत्तरी होती है, तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सभापतियों और ग्राम सरपंचों की दुर्नीति के कारण, उनकी व्यवस्था के कारण और उनकी असहयोगी भावना के कारण गांवों में आज जो वैमनस्य का बोलबाला है और अगर माननीय मंत्री जी इससे सहमत हों तो उनको चाहिये कि कार्यकाल बढ़ाने की भावना हटायें और इसको हटाने से क्राइम्स घटेंगे। गांव के रहनेवाले किसानों की जो आज बेवकूफी, निरक्षरता और गरीबी के कारण यह जानते हुये भी कि किसीका नुकसान नहीं करना चाहिये दुश्मनी की वजह से ऐसा करते हैं, तो उनकी भावना घटेगी और सरकार को थोड़ी शांति मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पंचायतों की और चीजों की तरफ भी ले जाना चाहता हूं। पंचायतों में आज आवश्यक है कि पंचायतों के जो और कागजात हैं वह एक निश्चित अवधि में माह के आखिर में पंचायतों द्वारा जिलाधिकारी के पास भेज दी जायं।

अधिष्ठाता--माननीय रामेश्वरलाल जी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि मेरा ख्याल है कि वह विषय से दूर जा रहे हैं। अबतक जो उन्होंने कहा वह ठीक था लेकिन अब तो वह पंचायतों के बारे में कह रहे हैं वह तो जो दूसरा बिल आयेगा उस समय कह सकते हैं।

श्री रामेश्वरलाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय की जानकारी तो हमें शिवनारायण जी से हुई।

वैसे मैं अबतक विषय पर ही बोलने का प्रयत्न करता रहा हूं.....

अधिष्ठाता--इसी वास्ते मैंने आपको रोका नहीं लेकिन चूंकि अब आप विषय के बाहर जा रहे हैं इसलिये यह मैं कह रहा हूं।

श्री रामेश्वरलाल--अध्यक्ष महोदय, यह पंचायत विधेयक जो प्रस्तुत है, उसमें जहां मैं यह उचित समझता हूं कि पंचायतों का कार्यकाल न बढ़ाया जाय वहां मैं उसी तरह से यह भी समझता हूं कि आज पंचायतों में जो गड़बड़ियां हैं, उनकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिये।

अधिष्ठाता--मैं यह निवेदन करूंगा कि उसका बिल तो आपके सामने आने वाला है। उस समय जितना डिस्कशन करना चाहें कर सकते हैं। यह बिल तो सिर्फ अवधि बढ़ाने का है इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि आप इसी विषय तक ही अपने को सीमित रखें।

श्री रामेश्वरलाल--तो अध्यक्ष महोदय, मैंने जो विचार रखना मुनासिब समझा था वह सदन के सामने रख दिया और मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री राजनारायण---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में जबकि यहां पर उपाध्यक्ष महोदय थे तो बहुत सी बातें और तर्क वितर्क रखे गये और यहां तक कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की त्रावनकोर कोचीन में क्या नीति है, उस नीति से क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी और उसको ले करके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों के इरादे के बारे में भी कहा गया, तो हमारे पक्ष के लोग उन बातों का जवाब अगर दें तो उसको यह कह करके कि यह विषय से बाहर है हम लोगों को बोलने से रोक दिया जाय, क्या हमारे अधिकारों को इससे रक्षा होती है ?

अधिष्ठाता---मैं माननीय राजनारायण सिंह से यह निवेदन करूंगा कि जो बिल आपके सामने आ रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और उसमें काफी स्कोप है, उसमें आप चाहें तो बहुत सी बातों का जवाब दे सकते हैं, कोई रोक नहीं हो सकती।

श्री राजनारायण---यहां मेरा कहना यह है कि अगर वह बिल आये और पता नहीं वह कब आये लेकिन आज जो तर्क वितर्क दिये गये हैं उनका जवाब देने के लिये आप हमको आज यह अधिकार दें कि जो सवाल उन्होंने उठाये हैं उनका जवाब हम दें।

अधिष्ठाता---अच्छी बात है। अगर आप मुनासिब समझें तो आप उन बातों का जवाब दे सकेंगे। हम उस पर उस समय विचार करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी---अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक केवल इतने में ही सीमित है कि ग्राम पंचायतों की अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ा दी जाय। जो ग्राम पंचायतों का चुनाव होने वाला था वह इस समय स्थगित करके एक वर्ष के बाद किया जाय। मैं अपने को इतनी ही सीमा में सीमित रखने का प्रयत्न करूंगा क्योंकि मैं यह समझता हूं कि इसी में इस सदन की शान है और इसीके अन्दर सीमित रह कर हमें वादविवाद करना उचित होगा।

माननीय स्वशासन मंत्री ने कुछ कारण इस संबंध में इस भवन के सम्मुख प्रस्तुत किये हैं। वे कारण निस्सन्देह विचारणीय हैं। मैंने भी उन कारणों पर विचार करने का प्रयत्न किया है। एक कारण तो उन्होंने यह बतलाया है कि चुनाव करने के पूर्व हमें यह निश्चित कर लेना चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और ग्राम पंचायतों का क्या संबंध होना चाहिये। निस्सन्देह यह एक बड़ा आवश्यकीय कारण है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी जिसकी बैठक अब से पूर्व हुई थी उसने इस विषय पर पूर्ण रूप से विचार किया था और अपनी यह सिफारिश की थी कि जितनी ग्राम पंचायतें हैं वे सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीन कर दी जायं और उसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऊपर एक प्रान्तीय बोर्ड बनाया जाय जो बोर्ड सब पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का कोआर्डिनेशन कर सके। यह सिफारिश उनके सम्मुख मौजूद है। इस सिफारिश के अनुसार आपको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और उसके करने के बाद ही फिर चुनाव कराने के आप योग्य होंगे। जो कारण बतलाये गये हैं यदि आप उन पर विचार करें तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा भी होता है कि एक वर्ष के अन्दर वे समस्त कार्य पूरे नहीं हो सकते और एक वर्ष की अवधि के बाद भी आप इन चुनावों को कराने में सफल नहीं हो सकते। इसलिये हमें यह विचार करना है कि क्या पंचायतों का कार्य अवधि बढ़ाना उचित होगा और क्या इस अवधि के अन्तर्गत जो कार्य आपके सम्मुख हैं उनको पूरा करके आप चुनाव करा सकेंगे।

दूसरा कारण हमारे सुयोग्य मित्र माननीय स्वशासन मंत्री ने जो बतलाया है वह यह है कि हमको तमाम ग्राम पंचायतों को कोआर्डिनेट करना है यानी कौन से गांव किन पंचायतों में रहे हैं, कितने गांवों की एक पंचायत बनाई जाय। मेरे खयाल से इसके लिये भी आपको कुछ नियमों में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। यह कार्य बहुत ही आवश्यकीय और उचित है। इसके लिये आपको उचित जानकारी हासिल करने की जरूरत होगी। इसमें काफी समय लगने की आशंका है।

[श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी]

इसके अतिरिक्त आपने तीसरा कारण जो रक्खा वह भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वह यह है कि ग्राम पंचायतें और ग्राम समाज को एक ही कर दिया जाय। मेरी तो यह सम्मति है कि ग्राम समाज और ग्राम पंचायतें एक गांव में अलग अलग चल कर सुयोग्य हाथों से अपना कार्य सम्पन्न नहीं कर सकेंगी। गांव में कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि उनका एकीकरण किया जाय। लेकिन ऐसा करने के लिये भी मेरे ख्याल में जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में कुछ संशोधन करने होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अपने सुयोग्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं कि एक वर्ष की अवधि जो आपने मांगी है उस अवधि के अन्दर आप इस समस्त कार्य को न कर सकेंगे और चुनाव न करा सकेंगे। यह नहीं भूलना चाहिये कि ग्राम पंचायत ऐक्ट, सन् १९४८ ई० में पास हुआ था और हमको यह भी नहीं भूलना चाहिये कि सन् ४९ ई० में पहला चुनाव इस ऐक्ट के अधीन किया गया था। हमको यह भी ध्यान में रखना है कि सन् ४९ में ३ वर्ष की अवधि के लिये हुआ था। वह ग्राम पंचायतों की अवधि में ३ वर्ष बीतने पर सन् १९५२ ई० में समाप्त हो गया। ५२ के पश्चात् १ वर्ष का समय और दिया गया और फिर आखिर सन् ५३ में वह समय समाप्त हो गया। अब सन् ५४ में एक वर्ष का और समय बढ़ाने के लिये आज यह विधेयक सदन के सामने उपस्थित है। मेरा ख्याल यह है कि माननीय मंत्री महोदय इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं कि यह चुनाव जिसको ४ वर्ष से अधिक का समय हो गया है उसको क्या एक दिन के लिये भी कायम रखना क्या उचित होगा? आज ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के अन्दर यह खलबली मची हुयी है कि जल्द से जल्द इन चुनावों को कराया जाय और नयी पंचायतें बनें यदि इन ग्राम पंचायतों की दशा को देखा जाय तो मुझे यह कहने के लिये जरूर आज्ञा प्राप्त होगी कि गांव समाज और पंचायतें जिस हालत में आज हैं वह हालत हमसे यह कहती है कि जितना जल्दी हो सके हम इन चुनावों को करा दें और उनके लिये कोई भी अवधि न बढ़ायी जाय। जितना जल्दी उनके चुनाव को करा दिया जाय उतना ही अच्छा है। जो पंच या सरपंच आज काम कर रहे हैं उनसे घबराकर लोग आज परेशान हैं और यह चाहते हैं कि यह चुनाव तुरन्त करा दिये जायं। इसमें मैं कोई अत्युक्ति नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात को गांव गांव में घूमकर देखने के बाद कह रहा हूं। इनकी अवधि ४ वर्ष की हो गयी है और इनका चुनाव जल्दी होना चाहिये? पंचायतों के अन्दर एक अवधि निश्चित करने के बाद हम आवश्यक कार्य के लिये अवधि बढ़ा सकते हैं लेकिन अवधि तभी बढ़ा सकते हैं जब कि हम देखें कि क्या ग्रामीण जनता इस अवधि बढ़ाने को पसन्द करती है। मेरा ख्याल यह है कि इस अवधि को बढ़ाने को ग्रामीण जनता पसन्द नहीं करती है। जिस प्रकार से आजकल पंचायतों का कार्य संचालन हो रहा है वह संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। जब संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है तो हमको दूसरे चुनाव जल्दी से जल्दी करा देने चाहिये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायतों का चुनाव यदि आप करा दें तो बहुत अच्छा है। मेरी प्रार्थना यह है कि एक वर्ष की अवधि बढ़ाना व्यर्थ होगा क्योंकि एक साल के अन्दर जिस कार्य के लिये आज आप चुनाव स्थगित कर रहे हैं वह पूरे न होंगे उसको नहीं कर पायेंगे और सरकार तब भी चुनाव न करा सकेगी। तो फिर यह कहा जा सकता है कि इसको दो साल के लिये बढ़ा दिया जाय यह नितान्त अनुचित होगा क्योंकि आगे अवधि बढ़ाना जनता की इच्छा के विपरीत है। इसलिये किसी तरह से भी अवधि नहीं बढ़ाना चाहिये। मैं अपना यह सुझाव देना चाहता हूं और अपने माननीय मित्र का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि हो सके तो आप इस पर विचार करें कि इन चुनावों को शीघ्र ही करा दिया जाय और चुनाव करने के पश्चात् इन तमाम कठिनाइयों को जिन्हें मंत्री महोदय ने बताया है दूर करने का प्रयत्न करें और इनको हल करें तब जितने आपको नियम और उपनियम बनाने हों इस संबंध में उनको बनावें। इस समय जल्दी में स्थगित करना और फिर समय लेकर विधेयक पेश करना फिर चुनाव करना असंगत होगा आपको फिर समय अधिक लेने के लिये आवश्यकता पड़ेगी जोकि अधिक समय लेना ग्राम पंचायतों के हित में नहीं है और जनता के विचारों के विपरीत है। इसलिये मैं यह कहूंगा

कि माननीय सदस्य महोदय इस संबंध में विचार करने की कृपा करें और यदि हो सके तो अभी गौर करके इस विधेयक को वापस लें और चुनाव कराने के बाद समस्त प्रश्नों को हल करने की कृपा करें।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि मैं देखता हूं कि हमारे बहुत से भाई बोलना चाहते हैं और उसके लिये मैंने माननीय नेता विरोधी दल से भी बात कर ली है और वह सहमत हैं, तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक यह प्रस्तुत विधेयक और श्री हरप्रसाद शिक्षा निधि विधेयक आज पास न हो जावें तब तक के लिये सदन की बैठक बढ़ा दी जाय।

श्री राजनारायण---हमने तो उनसे कह दिया था कि हमको कोई एतराज नहीं है। इसमें केवल एक ही बात थी कि जो उन्होंने छोड़ दी। वह खुद चाहते थे कि समय ज्यादा न बढ़े तो जितना वह बढ़ाना चाहते हैं वह कह दें। मैं यह चाहता हूं कि निश्चित समय कर दें और वह क्लोजर भी मूव करना चाहते थे। शिक्षा निधि में हमें अधिक कुछ नहीं कहना है।

श्री मोहनलाल गौतम---इस समय, समय नियत करना ठीक नहीं होगा, वैसे सबकी यही राय है कि ज्यादा देर न बैठा जाय। अगर एक ही माननीय सदस्य बोलते गये क्योंकि समय की लिमिट तो है नहीं, इसलिये ६ बजे तक का भी समय नियत करके यह जरूरी नहीं है दोनों बिल पास हो जावें तब तक।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि जब तक उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक, १९५४ और श्री हरप्रसाद शिक्षा निधि बनारस (समझौता पुष्टीकरण) (सम्पत्ति संक्रामण) विधेयक, १९५४ आज पारित न हो जावे तब तक यह सदन बैठे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस विषय पर बादविवाद समाप्त किया जाय।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अब इस विषय पर वाद-विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहनलाल गौतम---चेयरमैन साहब, आज की बहस में बहुत सी बातें तो ऐसी हैं जिनके लिये कई बार आपको या दूसरे अध्यक्ष महोदय को रोकना पड़ा।

श्री राजनारायण---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। श्रीमन्, दूसरे अध्यक्ष कौन हैं? अध्यक्ष तो यहां एक ही हैं।

अधिष्ठाता---उनका मतलब इससे पहले अध्यक्ष महोदय से था और फिर उपाध्यक्ष महोदय थे।

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन के लिये भी यदि अध्यक्ष कहूं, जो टैम्पोरेरी हैं, तो मेरे हिन्दी के कम ज्ञान के लिये वह मुझे क्षमा करेंगे। जो भी जिस समय इस कुरसी पर होगा वह अध्यक्ष होगा लेकिन इस तरह की छोटी छोटी बातों पर बहस करना सदन की मर्यादा के खिलाफ है इसलिये मैं उन चीजों की तरफ इशारा नहीं करूंगा जो कि इस बिल से संबंध में नहीं रखती। हमारा यह सदन संसार के सबसे बड़े डैमोक्रेटिक देश और सबसे बड़े प्रदेश का सदन है। हमें इसकी ऐसी शान रखनी चाहिये कि जो इसके स्टैन्डर्ड

[श्री मोहनलाल गौतम]

को ऊंचा करें। इसलिये ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि जो बात आउट आफ आर्डर हो वह न कहें। इसलिये ऐसी जो बातें कही गयी हैं उनका जवाब देने से मुझे वंचित रहना पड़ेगा।

मुख्य बात यह कही गयी और वह यह कि १ वर्ष की अवधि न बढ़ाई जाय और इस पर पंचायतों के अच्छे होने या बुरे होने के बारे में भी बहस हुई लेकिन किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि पंचायतों को तोड़ दिया जाय। कुछ माननीय सदस्यों ने इस तजुरबे की सराहना की, स्वागत किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और विशेषकर त्रिपाठी जी को। जिन लोगों ने इसके विरोध में जितनी बातें कहीं वे सही होते हुये भी और अगर उनको सही मान भी लिया जाय कि पंचायतों में बहुत सी खराबियां हैं तो हमें देखना यह है कि क्या इस तजुरबे को करना योग्य है या नहीं। अगर योग्य है तो हमें इन खराबियों को दूर करना चाहिये। इन खराबियों को दूर करने के लिये मैं पहले भी कह चुका हूं कि वे तीन तरीकों से दूर हो सकती हैं एक तरीका तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, दूसरा तरीका लेजिस्लेटिव हो सकता है, जिसको हम करने जा रहे हैं। तीसरा तरीका वह है जो कि पूरे समाज से संबंध रखता है और वह खराबी तभी दूर हो सकती है जबकि सारे समाज को ऊंचा किया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र जी वाजपेयी ने कहा कि तुरन्त चुनाव करा दिये जायं। वह मुनासिब नहीं मालूम होता। कारण यह है कि अगर पुराने ऐक्ट के अनुसार भी चुनाव कराये जायं तो भी हमें कुछ संशोधन अवश्य करने पड़ेंगे, उसमें भी समय लगेगा। इसलिये इस समय पुराने कानून के आधार पर चुनाव कराना संभव ही नहीं है। जब संशोधन करने ही पड़ेंगे तो प्रश्न यह रह जाता है कि थोड़े किये जायं या बहुत किये जायं विचार यह हुआ कि सारे संशोधन एक बार ही आ जायं ताकि एक बार अच्छी तरह से यह मसला तय हो जाय। बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि हाहाकार मच जायगा और यह कि चुनाव के बाद बहुत अच्छा इन्तजाम हो जायगा। अगर ऐसा हो जाय तो मैं स्वागत करूंगा। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी इशारा किया कि चुनाव के बाद अगर कोई इस नतीजे पर पहुंचे कि चुनाव के बाद म्युनिसिपैलिटियों की हालत अच्छी हो गयी है तो यह कहना प्रिमेच्योर होगा। अब सवाल यह है कि एक या डेढ़ साल बाद चुनाव करा देना भी मुमकिन होगा या नहीं। डैमोक्रेसी में एक बड़ा भारी कठिन सवाल यह है कि एक ऐक्सपेरीमेंट है जिसका लोग स्वागत करते हैं, कुछ साहब चाहते हैं कि इन पंचायतों को और अधिक अधिकार दिये जायं ताकि वे आजादी के साथ कार्य कर सकें और सरकारी अधिकारियों को वे लोग सलाम न झुकायें। लेकिन दूसरी तरफ से यह फटकार आती है कि जिन्होंने ऐसे गलत काम किये हैं उनको निकाल दिया जाय। अगर मैं कहूं कि बहुत से आदमियों को निकाल दिया जाय तो कहा जायगा कि चुने हुये सदस्यों को निकाल दिया गया, डैमोक्रेसी का गला घोंट दिया गया। अगर मैं कहूं कि नहीं निकाले गये तब कहा जायगा कि तुम सुस्त हो, कुछ काम नहीं करते हो, खराब पंचों और सरपंचों को निकाल कर जनता को राहत नहीं दे रहे हो। ये दोनों बातें ठीक हैं, ये दोनों ही होनी चाहिये। इसीलिये मेरा मार्ग बड़ा कठिन है। एक तरफ तो यह कि डैमोक्रेसी का गला न घुटे और दूसरी तरफ यह भी कि खराब आदमी अपने पदों पर बने रहें और जनता देखती रहे इस संबंध में मैं कुछ थोड़े से आंकड़े देना चाहता हूं कि कितने व्यक्ति निकाले गये। अब जो निकाले गये क्यों निकाले गये इस संबंध में स्वयं आप अपनी राय बना लें लेकिन यह मैं इसलिये देता हूं ताकि उससे इस मसले पर कुछ रोशनी पड़ सके।

प्रधान १९५०–५१ में १८ निकाले गये, ५१-५२ में २० निकाले गये और ५२–५३ में ४१ निकले गये। इस प्रकार कुल ७९ निकाले गये। उप प्रधान सन् १९५०–५१ में ४ निकाले गये और सन् १९५१-५२ में ६ निकाले गये। इस तरह से कुल १० निकाले गये। ग्राम पंचायतों के सदस्य सन् ५०–५१ में १६ निकाले गये, ५१–५२ में ५५ निकाले गये और ५२-५३ में १०२ निकाले गये। इस प्रकार कुल १७३ निकाले गये। सरपंच ५०-५१ में १०, ५१–५२

में २० और ५२-५३ में २२, इस तरह से कुल ५२ निकाले गये। पंच सन् ५०-५१ में ४६, ५१-५२ में १८ और ५२-५३ में ४१ निकाले गये। इस तरह से कुल १०५ निकाले गये। यानी पंच और अदालती पंच कुल १५७ निकाले गये और कुल संख्या ४२९ है।

एक सदस्य--किस मामले में ये निकाले गये ?

श्री मोहनलाल गौतम--किस मामले में निकाले गये, आगे जब समय आयेगा तो मैं बतला दूंगा। तो इसलिये यह कहना कि डेमोक्रेसी में गलत तजुरबा हुआ है या हो रहा है, मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा भारी कटाक्ष है। मैं समझता हूं कि जो प्रयोग हो रहा है वह डेमोक्रेसी का एक बड़ा सफल प्रयोग हो रहा है। मेरे भाई जो इसको खराब प्रयोग समझते हैं अगर उनके पास कोई इकाई होती जहां वे दिखलाते कि इस तरह का प्रयोग अच्छा है तो क्रिटिसाइज करने वालों की बात मेरी समझ में आती। इसलिये कि इस प्रदेश में इस देश में कोई भी यूनिट उनके पास नहीं है जिसको कि वे हमारे लिये एक एक्जाम्पिल सेट कर सकें जिसके पीछे हम चल सकते। मेरे दिमाग में एक बात आती है कि तमाम दुनिया भर के सोशलिस्ट लोग मिल कर एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते हैं और उनकी एक कांफ्रेंस रंगून में हुई थी और जिन लोगों को मिनिस्टर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके अमालनामे जब मैं देखता हूं तो सोशलिस्ट आर्डर बनाने वालों में मुझे सबसे पहले ऐटली नजर आते हैं। रंगून में जो कांफ्रेंस हुई थी उसमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता लोग देश में सोशलिस्ट आर्डर कायम करना चाहते हैं। अगर हमारे लिये कोई ऐसा कहे कि ऐटली जैसे समाजवादी नेता से गठबन्धन करो तो मैं कहता हूं कि मैं बाज आया ऐसे एक्सपेरिमेंट से। मैं उनके साथ काम करने के लिये कभी तैयार नहीं हूंगा जिसमें एटली जैसे लोग हों जिन्होंने अपनी हुकूमत के दिनों में इस तरह का व्यवहार किया जो कोई जनता का भला चाहनेवाला नहीं कर सकता है।

श्री राजनारायण--तो फिर कामनवेल्थ से अलग क्यों नहीं हो जाते ?

श्री मोहनलाल गौतम--कामनवेल्थ में रहते हुए भी जो गलत काम हुआ हो उसे आप बतलावें तो मैं बतला सकता हूं कि उसमें क्या असलियत है। हमारा डेमोक्रेसी का जो तजुर्बा हुआ है वह काफी सफल रहा है। आज सोशलिस्ट पार्टी की नजर ऐटली जैसे लोगों की तरफ है जिसने अपने अहदे हुकूमत में जनता के लिये खराब से खराब काम किया।

श्री राजनारायण--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, श्रीमन्, क्या किसी कांफ्रेंस की बात को लेकर बिल्कुल सप्रेशन आफ ट्रुथ किया जा सकता है। यहां पर सप्रेशन आफ ट्रुथ यह है कि जो एशियाटिक सोशलिस्ट्स कान्फरेंस रंगून में हुई थी उसने डिक्लेयर किया था कि इंटरनेशनल सोशलिस्ट आर्गनाइजेशन से वह कोई सम्बन्ध नहीं रखती और यहां की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने उससे एलाइएन्स किया। यह बिल्कुल सप्रेशन आफ ट्रुथ है। माननीय स्वशासन मंत्री जी को अखबारों के जरिये से खबर नहीं मिल सकी हो लेकिन सारी प्रोसीडिंग्ज हमारे कार्यालय में रखी हुई है और मैं यहां उनको लाकर दिखला सकता हूं। लेकिन बिल्कुल सप्रेशन आफ ट्रुथ करना यह प्रिविलेज का क्वेश्चन है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया इनको रोकें कि वह बिलकुल सप्रेशन आफ ट्रुथ न करें।

अधिष्ठाता--मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह सभी बातों पर प्रकाश डाल दें जिसमें किसी को इस बात की शिकायत न हो कि यह बिल्कुल सप्रेशन आफ ट्रुथ है।

श्री मोहनलाल गौतम-- मुमकिन है सारे समाचार-पत्रों में न आये हों और मुमकिन है कि सारी जानकारी मुझे न हो तो उसके लिये मैं अपने आपको गिल्टी कह सकता हूं क्योंकि मुझे समाचारपत्रों के एक-एक लफ्ज को पढ़ने का अवसर नहीं

[श्री मोहनलाल गौतम]

मिलता लेकिन मैं इतना विश्वास चेयरमैन साहब आपके द्वारा सम्मानित सदन के सदस्यों को दिलाना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल सप्रेशन किसी भी ट्रुथ का नहीं करता हूं और अगर ऐटली साहब का साथ नहीं था तो मैं चाहता हूं कि जो कान्फरेंस हुई थी उसमें जो सोशलिस्ट मिनिस्टर्स आये थे अगर उनमें से कोई अपने मुल्क की हुकूमत में कुछ नमूना हमारे सामने रखेंगे तो उस पर चलने का कम से कम मैं प्रयत्न करूंगा। इतना ही मैं कह सकता हूं।

श्रीमन्, एक सवाल तो इसके सिद्धान्त का है और दूसरे टैक्स का है। अभी बजट के बहस के समय जहां तक मुझे याद है बालेन्दु शाह जी ने कहा था कि इन लोकल बाडीज को अगर फाइनेंशल सेल्फ सफीशियेंसी नहीं देंगे तो ये लोकल बाडीज की तरह से डेवलप नहीं करेंगी। मैंने उसी समय इसकी ताईद की थी और यह कहा था कि मैं इसको मानता हूं। अब इसको यह कह देना कि यह सरकारी है और सरकार का अंग है तो मैं इसको गाली नहीं समझता और मैं कहता हूं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो भी यूनिट होगी वह सरकार का अंग होना चाहिये, उसका सरकार से सम्बन्ध होना चाहिये। हां, कितनी पावर्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की उस यूनिट को हो और कितनी न हों इस पर बहस हो सकती है इस पर आप कह सकते हैं कि नहीं साहब पंचायतों को इतने अधिकार हों और गवर्नमेंट को इतने हों लेकिन हर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट को सरकार के साथ सम्बन्ध जोड़ना पड़ेगा और डिवीजन आफ फंक्शन्स में कितनी हद तक गवर्नमेंट दखल देगी और कितनी हद तक लोकल बाडीज को अधिकार होगा अपने काम करने का और टैक्स लगाने का यह तो तय करने की बात है। इसलिये सरकारी पंचायतें हैं, सरकार का अंग है इसको गाली समझना भ्रम है। यह तो वास्तविकता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के यूनिट्स का डेवलपमेंट कैसे हो यह तय करना है। खुद टैक्स लगाने का अधिकार हो और खुद अपने काम को निश्चित करने का अधिकार हो एक तो रास्ता यह है और दूसरा यह भी है कि जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का रुपया आवे सब टैक्सों से उसका २५ प्रतिशत दिल्ली में रहे, २५ प्रतिशत लखनऊ में रहे, २५ प्रतिशत लोकल बाडीज को मिल जाय और २५ प्रतिशत गाव पंचायतों को मिल जाय। उसकी भी अपनी रूपरेखा होगी। बहरहाल यह बहस उस समय होगी जब यह अमेंडिंग बिल सदन के सामने होगा। हमारे सामने एक प्रश्न यह आया है कि टैक्स लगाने का अधिकार लोकल बाडीज को है। मैं कह चुका हूं और इस समय फिर दोहराता हूं कि गांव सभा का हर एक बालिग बैठ कर टैक्स लगाता है अपने ऊपर किसी दूसरे पर नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो टैक्स लगाने की राय रखता न हो और उस पर टैक्स लगे तो ऐसे टैक्स लगाने की बात को मैं टैक्स न कह कर वालन्टरी कंट्रीब्यूशन कहा करता हूं वह कैश में भी और काइन्ड में भी होता है जिसको लोगों ने बेगार कहना शुरू किया है। बहरहाल यह बहस लम्बी है और मैं इसमें सदन का समय लेना नहीं चाहता। लेकिन यह कंट्रीब्यूशन होना चाहिये और हो रहा है। और इसलिये पंचायतों का रखना आवश्यक है। उनकी खराबियों को हम जानते हैं और हम उनको दूर करना चाहते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। एक बात यह कही गई है कि सेक्रेटरियों ने टैक्स लगाया। ऐसे ही बहुत सी बातें हैं। कुछ चीजें सही हैं उनको मैं रखना चाहता हूं। माननीय उपाध्याय जी ने जो मिसाल दी थी वह दो साल पहले की थी। अब जब कि हम सेक्रेटरियों को सरकार की तरफ से तनख्वाह दे रहे हैं इसलिये अब उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है कि वह कोई टैक्स लगायें। अब तो कुदरती तौर से वह चीज खत्म जानी चाहिये।

दूसरी बात जो पेपर्स और बुक्स की कही गयी कि जबर्दस्ती खरीदवाते हैं उसके लिये मैंने अभी ७ सितम्बर को एक सर्कुलर भेजवाया है कि जिस काम के लिये

बजट में प्राविजन न हो उस पर रुपया खर्च न किया जाय। इसलिये यह कहना कि प्रेस करके अखबार और किताबें खरीदवाई जाती हैं ऐसी बात नहीं है। एक भाई ने यह कहा कि "संघर्ष" ब्लैकलिस्ट में है। पंचायत राज में ब्लैकलिस्ट कोई नहीं है एप्रूब्ड लिस्ट जरूर है।

इन शब्दों के साथ, सदन का और समय न लेकर, मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक, १९५४ पर, जैसा वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में पद "गांव पंचायत", "गांव सभा" और "पंचायती अदालत" का तात्पर्य यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के अधीन स्थापित क्रमशः "गांव पंचायत", "गांव सभा" और "पंचायती अदालत" से है। परिभाषा। १९४७ का यू० पी० ऐक्ट २६।

अधिष्ठाता—अब मैं इस विधेयक के खंडों को एकएक करके लूंगा। पहले मैं खंड दो को लेता हूं। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३ तथा ४

३—किसी गांव पंचायत के सदस्य तथा गांव सभा के वाइस प्रेसीडेंट अथवा प्रेसीडेंट तथा पंचायती अदालत के पंच अथवा सरपंच की, जो इस अधिनियम के आरम्भ पर उस रूप से पद ग्रहण किये हों, पदावधि इस प्रकार अवधारित की जायगी मानो यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११ की उपधारा (३) और धारा १२ की उपधारा (३) और धारा ४५ की उपधारा (१) में शब्द "five years" के स्थान पर शब्द "six years" रख दिये गये थे और छः वर्ष का कार्यकाल निर्दिष्ट करती हुई घोषणा उक्त धाराओं के अनुसार तथा अधीन यथोचित रूप से कर दी गयी हो। गांव सभाओं के प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंट तथा गांव पंचायतों के सदस्य तथा पंचायती अदालतों के पंचों और सरपंचों की पदावधि का बढ़ाना।

४—उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) अध्यादेश, १९५४ एतद्द्वारा निरस्त (repealed) किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि यह उत्तर प्रदेश के किसी ऐक्ट (अधिनियम) द्वारा निरस्त ऐक्ट (अधिनियम) हो। निवर्तन।

श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)—सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक, १९५४ में यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि खंड ३ की पंक्ति २ के शब्द 'तथा पंचायती अदालत के पंच अथवा सरपंच' निकाल दिये जायं।

[श्री प्रतिपाल सिंह]

महोदय, जहां तक इस विधेयक की आवश्यकता का प्रश्न है मैं अपने साथी श्री चौधरी बलवन्त सिंह जी की राय से पूर्णतया सहमत हूं कि इस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि अगर अवधि और भी बढ़ाना आवश्यक हो तो उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। महोदय, जहां तक ग्राम सभाओं और ग्राम-पंचायतों का संबंध है उनकी बाबत मैं एक बहुत ही अच्छी राय रखता हूं और मेरा यह दावा है कि ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों ने बड़े सुन्दर कार्य किये हैं और यदि वह न होतीं तो नियोजन अथवा श्रमदान की बहुत सी योजनायें कागज में ही रह जातीं। भले ही हम कांग्रेस मैनों ने अथवा दीगर राजनीतिक पार्टियों ने इसमें कोई सहयोग न दिया हो, भले ही हमारे अफसरों द्वारा भेजे गये आंकड़े बहुत सही न हों, भले ही उनको यानी अफसरों को इसका श्रेय न हो, लेकिन यह बात ग़लत होगी यदि कम से कम ७५ फीसदी इन कामों का श्रेय ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को न दिया जाय। मेरा तो विचार है कि यदि यह पंचायतें न बन गयीं होतीं तो सरकार अपने नियोजन और श्रमदान के कार्य में कदापि सफल न हुई होती। तो जहां तक इन ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों का ताल्लुक है, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं उनकी बाबत एक बहुत अच्छी राय रखता हूं। ग्राम सभाओं की स्थापना हमारी इस सरकार के बहुत से महत्वपूर्ण लेजिस्लेशनों और कार्यों में से एक है। यदि उसको केवल इसलिये ही महत्व दिया जाय कि उसके द्वारा डिसेंट्रेलाइजेशन हुआ है, तो मैं केवल उसको ही बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं मानता। मैं ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों की स्थापना को इसलिये महत्वपूर्ण मानता हूं कि हमारी आजादी के बाद हमारे ऊपर जो जनतंत्रवाद को सफल बनाने की जिम्मेदारी आयी है, उसमें यह एक प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर हैं, शिक्षालय हैं और बगैर जनतंत्रवाद की शिक्षा पाये आजकल के जमाने में यह भारत, यह प्रदेश और यह देश कदापि सफल नहीं हो सकता।

अधिष्ठाता---माननीय प्रतिपाल सिंह जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि जो संशोधन उन्होंने पेश किया है, उसके लिये अपने तर्क पेश करें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री प्रतिपाल सिंह--- तो मैं उधर ही जा रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि मैं जिस चीज का विरोध करूंगा, उस अंश को जिसको कि मैं मजबूत तरीके से मानता हूं, जिसकी उपयोगिता पर मैं विश्वास रखता हूं, जब तक उसको पूर्णतया इस सदन के सामने प्रस्तुत न कर दूं, तब तक उस विचार का जिसका मैं कट्टर विरोधी हूं और जिसके इस सदन में कुछ व्यक्ति कट्टर पक्षपाती हैं उनके ऊपर प्रभाव डालने में असफल हूंगा। तो जैसा मैंने कहा कि ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों की स्थापना इसलिये और भी आवश्यक है कि कर्तव्य और अधिकार की जो शिक्षा है वह सबसे पहले हम यहां से ग्रहण करेंगे। जहां तक कि कर्तव्य और अधिकार की शिक्षा का ताल्लुक है, उस दिशा में इन ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों ने काफी प्रगति की है। उन्होंने उस दिशा में जो काम किया है वह सराहनीय है। किन्तु मैं खेदपूर्वक कहूंगा कि पंचायती अदालतों ने इस दिशा में जो कार्य किया है वह इस धारणा के बिल्कुल विपरीत है। कर्तव्य की तरफ तो उन्हें प्रेरणा नहीं ही मिली किन्तु अधिकारों का दुरुपयोग उन्होंने किया है। उस दिशा में उन्हें बढ़ावा मिला है। इसलिये मैं इन अदालती पंचायतों या अदालती पंच या सरपंच की मियाद बढ़ाने के विरोध में हूं। मैं इस जगह पर वह मिसालें जो कि इन पंचायती अदालतों और पंचों और सरपंचों आदि की हमारे सामने प्रस्तुत हुई हैं, हम लोगों के सामने दिन प्रतिदिन आती हैं, उनका एक वृहद् रूप सामने रख कर जज़बात को उभारना नहीं चाहता। किन्तु मैं इतना कह देना आवश्यक समझता हूं कि आजादी मिलने के बाद और युद्ध के वातावरण के

बाद हमारे इस देश में जो अनैतिकता की लहर बढ़ी, डिवीजन हुआ और कंट्रोल और सप्लाई के जमाने में जो अनैतिकता फैली उसको देखते हुये ये पंचायतें और भी सफल नहीं हो सकतीं । पंचायत शब्द एक बड़ा पुराना शब्द है और उसमें बड़ा महत्व है बड़ा ओज है. पवित्रता है और उसके पीछे ईश्वरीय प्रेरणा है। मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि वह कृपया पंचायत शब्द की पवित्रता को ध्यान में रखते हुये अदालतों के पीछे पंचायत शब्द न जोड़ें तो ज्यादा बेहतर है। कुछ इस सम्बन्ध में आखिर में सुझाव भी दूंगा। लेकिन इस नाजुक मौके पर जब कि स्वार्थ और सत्ता के लिये हर जायज और नाजायज प्रयत्नों की होड़ लगी हुई है पंचायत शब्द की पवित्रता कदापि नष्ट न की जाय। पंचायत शब्द हमारी बहुत पुरानी भारतीय संस्कृति का द्योतक है और इस शब्द के पीछे जो अदालती स्पिरिट है, जो आज अदालतों में स्पिरिट मौजूद है वह यदि इसमें न लपेटी जाय तो मैं पंचायत राज कानून का एक बहुत उपयोगी क़ानून के रूप में समर्थन करूंगा। चूंकि समय बहुत थोड़ा है, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, जब दूसरा विधेयक सामने आयेगा तब यदि मुझे मौका मिला तो मैं अपने विचार इस सम्बन्ध में प्रकट करूंगा। लेकिन जहां तक न्याय अदालतों का सम्बन्ध है या सरकार द्वारा जनता को न्याय पहुंचाने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि न्याय पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि किस प्रकार जनता को सस्ते दामों में जल्दी और उचित न्याय प्राप्त हो । यह जिम्मेदारी अभी पंचों के सुपुर्द नहीं की जा सकती और यदि की जायगी तो इसको मैं दावे से कहता हूं, अपने तजुर्बे की बिना पर कहता हूं कि यह जो तीन साल का तजुर्बा हुआ है यदि यह और हुआ तो इस दिशा में जो हालत बिगड़ी है उससे कहीं अधिक हालत बिगड़ जायगी और फिर उससे पिंड छुटाना मुश्किल हो जायगा। कुछ चन्द बातें जो इस सम्बन्ध में हैं उनका भी मैं जिक्र करूंगा। जैसा मैंने कहा कि न्याय की जिम्मेदारी पंचायती अदालतों के सुपुर्द नहीं करनी चाहिये तो सवाल उठता है कि फिर हो क्या? मेरी राय है कि न्यायालय कायम हों। पंचायत शब्द उसमें न जोड़ा जाय, चाहे गवर्नमेंट उनको नामजद करे, चाहे जिस तरह से मैजिस्ट्रेट्स होते हैं वैसे करे या किसी एजेंसी से किया जाय, लेकिन पंचायत राज ऐक्ट से उसका सम्बन्ध न रखा जाय। दूसरी बात जो इस सम्बन्ध में मुझे कहनी है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह यह है कि यदि ऐसा किया गया तो पंचायतों की आटोनामी नष्ट हो जायगी और जिस प्रकार से वे सरकारी कर्मचारियों से गठबंधन करेंगे वह स्थिति भयावह होगी मुझे इसका तजुर्बा है। मैंने देखा है कि अदालतों के सरपंचों ने अपने पक्ष के समर्थन के लिये अफसरों की खुशामदें की हैं और रुपया खर्च किया है। तो इस रूप में मैं इसको और नापसन्द करता हूं कि पंचायतों की सत्ता इससे नष्ट हो। और मेरा निश्चित मत है कि इससे अवश्य नष्ट होगी । कुछ बातें इस सिलसिले में और कही गईं । यद्यपि वह बजट के सिलसिले में कही गई थीं और मैं उनका जिक्र करना चाहता था लेकिन समय थोड़ा है, इसलिये मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा ।

आखीर में उन तीन बातों के सम्बन्ध में जो हमारे मंत्री जी ने अपने भाषण के आखीर में बयान कीं उनकी बाबत कुछ कह देना जरूरी समझता हूं ।

अधिष्ठाता---(श्री प्रतिपाल सिंह) से आप जरा बैठ जाइये । माननीय स्वशासन मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ।

१९५४-५५ के आय-व्ययक में अनुदानों पर विचार के कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री मोहन लाल गौतम---चैयरमैन साहब, मुझे अफसोस है कि हमारे वित्त मंत्री जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है । इसलिये जो ग्रुप १५,१६ और २२ को जो वर्ग संख्या वित्त मंत्री जी और सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी की है उसको २३,२४ और २५ मार्च को ले लिया जाय

[श्री मोहनलाल गौतम]

और २३, २४ और २५ मार्च को जो वर्ग संख्या माल मंत्री तथा न्याय मंत्री की है उसको १५, १६ और २२ मार्च को ले लिया जाय। यह बात मुझसे व्हिप ने कही है और विरोधी दल के नेता ने इसको स्वीकार कर लिया है।

श्री राजनारायण—जी हां, हमने स्वीकार कर लिया है।

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक, १९५४ क्रमागत

श्री प्रतिपाल सिंह—मैं आखीर में इतना ही कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि पंचायतों के संबंध में तीन तरह की शिकायतें हैं वह तीन ही तरीके से दूर की जा सकती हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है। इसके जरिये से जो नुक्स दूर हो सकते हैं वह उनको दूर करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि पंचायतों का नुक्स किसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से दूर नहीं किया जा सकता है। फिर उतनी फुरसत कहां है कि वह गांवों के मामले में दखल दे इसे वहां पहुंचने तक का समय नहीं है। यह नहीं कि इच्छा नहीं है। किन्तु जो लोकल बाडीज हैं या डिस्ट्रिक्ट लेविल पर और डिपार्टमेंट्स हैं वहां तक भी यह नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार से मैं नहीं समझता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव नुक्स है वह किस प्रकार से दूर हो सकेगा।

दूसरी बात लेजिस्लेचर की है। मेरा निवेदन है कि यदि इस समय नहीं तो उस अवसर पर जब दूसरा बिल हाउस के सामने प्रस्तुत हो तो वह सदन गंभीरतापूर्वक विचार करेगा कि लेजिस्लेशन के द्वारा इन नुक्सों को दूर किया जाय और यदि आवश्यकता हो तो पंचायती अदालतों को ड्राप किया जाय हमारे समाज में विदेशी शासन के कारण जो परिस्थिति पैदा हुई उससे समाज में नुक्स आ गया है। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सोशल आर्डर को ज्यादा विकृत होने से बचाने के लिये आवश्यक है कि यह प्रयोग आगे न किया जाय।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि न्यायी पंचायतों को आप तोड़ देंगे और ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को कार्य दे देंगे तो जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि यह जो नुक्स हैं इसी विभाग में नहीं है बल्कि सब विभागों में है। मेरा दावा है कि ग्राम पंचायतें और ग्राम सभाएं ही इसके सभी विभागों से समाप्त कर देंगी।

अंत में मैं एक सुझाव और दूंगा चूंकि मुकद्दमों की बाबत पूरी जिम्मेदारी सरकार की है.....।

अधिष्ठाता—सुझाव तो दूसरे बिल के साथ दे सकते हैं। दूसरा बिल जब आपके सामने आयेगा तो उस समय आप सुझाव दे सकते हैं।

श्री प्रतिपाल सिंह—मेरा अभिप्राय है कि यदि यह आवश्यकीय ही हो कि पंचायतों को कुछ अधिकार दिये जायं, तो मैं समझता हूं कि इस समय कुछ अधिकार ग्राम सभाओं और ग्रामपंचायतों को हैं उनको विस्तृत कर दिया जाय और दफा ९९ में जो पेनाल्टी रखी गई है उसको और ज्यादा विस्तृत कर दिया जाय। उस पेनाल्टी की सूरत में कुछ अख्तियारात लोगों को दे दिये जायं कि अगर कोई अनुचित काम करे तो उसको पेनालाइज किया जा सके। दूसरी बात जो पिछले बिल में थी और नये अमेंडमेंट बिल में भी है दफा ८२, इसमें जो स्पेशल जुरिस्डिक्शन ग्राम सभाओं को प्राप्त है उसका उपयोग किया जाय। इस प्रकार से ग्राम पंचायतें न्याय का भी काम कर सकेंगी और उनकी वह पवित्रता जो हमारे पुराने जमाने से चली आयी है वह भी अक्षुण्य रहेगी। मुझे केवल इतना ही अर्ज करना था। अन्त में मैं यह माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे इन सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और न्याय पंचायतों की स्थापना से पूर्व उनकी जो गड़बड़ियां हैं, उनमें जो खराबियां हैं उन पर पूर्ण रूप से विचार करें।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय चेयरमैन साहब, यह संशोधन और जो व्याख्यान माननीय सदस्य ने दिया है उसमें काफी विरोध है। संशोधन केवल इतना है कि एक वर्ष की जो अवधि बढ़ाई गई है वह पंच और सरपंचों की न बढ़ायी जाय। जब तक कानून यह है कि उसमें न्याय पंचायतों का पंचायती अदालतों का अधिकार है तो अगर इस वक्त अवधि न बढ़ाई गई तो उसका अर्थ यह होगा कि वह बन्द हो जायेंगी और जब तक कि पंचायत ऐक्ट है, उस समय तक हमको मजबूरन उनका नया चुनाव उसी आधार पर जिस पर कि पहले हुए थे कराना पड़ेगा, अर्थात् न्याय पंचायतों का चुनाव तुरंत कराया जाय पुराने आधार पर, उसके यह मानी हो जायंगे अगर यह संशोधन मंजूर हो जाय। लेकिन जितनी स्पीच प्रतिपाल सिंह जी दी उसका अर्थ यह था कि इसमें गड़बड़ियां हैं, खराबियां हैं इनको दूर किया जाय, ये तोड़ दी जायं। तो यह तोड़ने का, उनकी खराबियों को दूर करने का काम तो तब सम्भव होगा जबकि वह अमेंडिंग बिल आयेगा। इसलिये इस समय जब तक कि पंचायती अदालतें और पंचायत राज कानून है, उस वक्त तक इनकी मियाद न बढ़ाने का मतलब सिवाय इसके कि फौरन इनका चुनाव कराया जाय और कुछ नहीं है और इसको शायद वह भी नहीं चाहते हैं। तो अगर वह मेरी इस बात को मान लें तो वह अपना संशोधन वापस लेने की आवश्यकता महसूस करेंगे।

श्री प्रतिपाल सिंह—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तुत विधेयक के खंड ३ की पंक्ति ६ में शब्द "Six years" के स्थान पर शब्द "five and a half years" रख दिये जायं।

अधिष्ठाता—मैं माननीय नारायणदत्त जी से यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में सिक्स ईयर्स है और आप फाइव ऐंड हाफ ईयर्स चाहते हैं। केवल ६ महीने का अन्तर है तो आप इसी डिफरेंस पर बोलेंगे कि ऐसा आप क्यों चाहते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, मैं वही कह रहा था लेकिन आपने क्या आज्ञा दी?

अधिष्ठाता—"Six years" के स्थान पर "five and a half years" रख दिये जायं, यह ६ महीने का डिफरेंस आप क्यों चाहते हैं इसके लिये आप तर्क उपस्थित करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं वही कह रहा हूं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विधेयक के उद्देश्य और कारण की ओर ले जाना चाहूंगा। उसके पैरा तीन में लिखा गया है "राज्य सरकार शीघ्र ही विधान मंडल के समक्ष गांव पंचायतों और पंचायती अदालतों के निर्णय, कार्य और अधिकारों के संशोधन के लिये एक विधेयक उपस्थित करेगी।" तो श्रीमन्, वह विधेयक आज उपस्थित हो चुका है। आगे चल कर इसी पैरा में कहा गया है "इन आगे किये जाने वाले परिवर्तनों को देखते हुए यह आवश्यक है कि वर्तमान संस्थाओं की पदावधि, राज्य विधान मंडल द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों पर विचार किये जाने तक, जारी रखी जाय।"

इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार और माननीय मंत्री जी की मंशा यह है कि जब इस पर विचार समाप्त हो जाय, यह आज का प्रस्तुत विधयक पारित हो

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जाय तो नये चुनाव हो जायंगे। तो मैं यह समझता हूं कि यह जो वर्तमान पंचायत राज विधेयक है यह वर्तमान बजट अधिवेशन में पारित हो जायगा। अप्रैल के अन्त तक या मई के पहले हफ्ते तक इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो जायंगे। तो कोई कारण नजर नहीं आता कि जब माननीय मंत्री स्वयं यह कहते हैं "प्रस्तावित परिवर्तनों पर विचार किये जाने तक" उनके ही उद्देश्य और कारण को देखते हुए ६ महीने की अवधि इसके लिये काफी है और इतनी ही अवधि में नये किये जाने वाले परिवर्तनों के अनुसार ग्राम न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों का चुनाव शीघ्र से शीघ्र हो जाना चाहिये और ६ महीने का समय विधान को बदल कर चुनाव कराने के लिये पर्याप्त है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह आज से ही तमाम पंचायत राज्य मशीनरी को और जिला अधिकारियों को इस बात की हिदायत कर दें कि वे चुनाव के लिये तैयारियां शुरू कर दें और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी अगर चुनाव की तैयारियों के लिये आदेश दे देंगे तो जुलाई तक चुनाव हो जायंगे और सारे प्रदेश में नये विधान के अनुसार कार्य हो सकेगा। मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी अपने ही उद्देश्य और कारण को देखते हुए मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि पंचायतों के चुनाव में जितनी जल्दी हो सकेगी की जायगी, देरी न की जायगी लेकिन जैसा मैंने पहले कहा अब भी मैं उसी को फिर दुहराने की आज्ञा चाहता हूं। अगर गांव समाज और गांव सभाओं दोनों का क्षेत्र बराबर करना है। मैंने माल मंत्री जी से पूछा कि कितने जिलों से फायनल लिस्ट इस सिलसिले में आ गई है। मालूम हुआ कि केवल चार जिलों से आई है। इस एक चीज से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव कराने में कितना समय लगेगा। दूसरे जो विधेयक इस समय सदन के सामने प्रस्तुत है वह कब पास होगा, अपर हाउस में कब जायेगा और फिर अपर हाउस, जो अमेंडमेंट यहां से पास हुए हैं उन पर कब विचार करेगा, वह फिर वहां से पास होकर यहां आयेगा या उससे पहले ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी होगी इस कानून को पास करने के लिये जो यह सारा प्रोसीजर है वह बहुत लम्बा है। मुझे आशा नहीं कि दस पांच दिन में वह पास हो जाय। अभी तो बजट ही चल रहा है। उसके बाद रूल्स बनेंगे। उसके बाद इलेक्शन की तैयारी होगी। जो ६ महीने का समय नारायणदत्त जी ने प्रस्तावित किया है उसमें से कुछ समय बीत भी चुका है, इसलिये मुझे सन्देह है कि बकाया समय में अगर मैं उनका संशोधन मान भी लूं तो चुनाव कराये जा सकते हैं। इतना मैं विश्वास दिला सकता हूं कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जायंगे और इनमें खामख्वाह देरी न की जायगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जानता हूं कि मंत्रीजी तो इस पर तुले हैं कि साल भर की मियाद रखें। लेकिन हम लोगों को नींद नहीं आ रही है क्योंकि गांव के लोग यह चाहते हैं कि गांव सभापतियों ने जिन्होंने हमारे ऊपर बगैर पूछे टैक्स लगाये हैं उनको हम जल्दी से निकाल दें। इसलिये हम चाहते थे कि साल के बजाय ६ महीने हो जांय। मंत्री जी ने यह भी कहा कि हम लोग एक ओर तो यह चाहते हैं कि ये लोग निकाले ही ना जावें और दूसरी ओर चाहते हैं जल्दी निकाले जावें। वह नाराज न हों तो मैं उनसे कहूं कि हम अभी भी जोरों से कहते हैं कि ग्रामसभापतियों को सरकार को निकालने का अधिकार नहीं होना चाहिये और जो भी जनता से चुनकर आवें, चाहे वह एम० एल० ए० हो या कोई हो, उसे सरकार न निकाल सके। वह दो-तिहाई की लिमिट कम करनी चाहिये। तो यदि ६ महीने वह रख दें तो अच्छा हो।

*श्री गेंदासिंह---श्रीमान्, मैं माननीय नारायणदत्त जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। मंत्री जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि ६ महीने से भी उनका मतलब पूरा हो जाता है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि पंचायतों के बजट के २ हिस्से होते हैं और इस क़ानून में यह बात कि गाँव सभायें अपने आयव्ययक पेश करेंगी और उन पर स्वकृति लेंगी। तो यह ६ महीने की अवधि २८ फरवरी के बाद जुलाई तक समाप्त हो जायगी। अप्रैल या मई में जो बजट गांव सभाओं के सामने आवेगा उसे वह पास कर लेंगे। लेकिन जो क्वार या अक्टूबर में बजट आये उसे नई गांव सभा पास करे, यह ज्यादा मुनासिब है। मैं इस इन्तजार में था कि जिस समय माननीय स्वशासन मंत्री जी और माननीय राजस्व मंत्री जी दोनों इस सदन में हों तब मैं एक दरख्वास्त करूं क्योंकि इन दोनों मंत्रियों में गांव पंचायतों के सम्बन्ध में दो राय हैं। माननीय स्वशासन मंत्री जी कहते हैं कि यह पंचायतें बहुत अच्छी हैं और मैं भी उसमें शामिल हूं। इन गांव सभाओं के आउटराइटली अपोज करने को मैं तैयार नहीं हूं। सम्भवतः मुसकरा रहे हैं राजस्व मंत्री जी। हमारा विरोध भी तो वह सीधे-सीधे नहीं करेंगे। लेकिन तब हम यह दरख्वास्त करेंगे कि इन गांव सभाओं को वसूली का काम दे दिया जाय जिसमें लाखों रुपया मुझे इस समय स्मरण नहीं आ रहा है शायद ७०, ८० लाख रुपया जो खर्च हो रहा है इस कर का वह गांव पंचायतों के पास चला जाय या गांव वालों का यह पैसा बच जाय। इस संबंध में राजस्व मंत्री जी यह कहेंगे कि अभी इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपने २८२ गाँव पंचायतों पर तो भरोसा किया और उन पंचायतों का काम जहां तक मालूम हुआ है उनके विभाग से और उनकी विज्ञप्तियों से कि जो उनकी फौज सारे सूबे में डंडे के बल पर मालगुजारी वसूल करती है उससे बहुत अच्छा काम किया है। कहीं कहीं पर तो मालगुजारी उसने एक एक और दो दो घंटे में वसूल किया है। तो इसलिये मैं सोचता हूं कि यह गांव सभायें बनी थीं वह एक प्रारम्भिक रूप में बनी थीं। एक नया कानून आया और उस कानून के मुताबिक गांवों में गांव सभायें बनायी गयीं तो उसमें बुराई आना लाजिमी था। मैं उन गांव सभाओं को दोष देना नहीं चाहता हूं। उसमें कुछ ऐसी बातें थीं कि जिनका प्रयोग नहीं हुआ था और उसका अनुभव नहीं हुआ था। इसलिये बुराई आना भी स्वाभाविक था। अब इस समय गांव समाज उसको नाम दिया जा रहा है। अपने वक्तव्य में जो स्वशासन मंत्री महोदय ने कहा कि उसको हम गांव समाज का रूप दे रहे हैं। इस समय गांव समाज का अधिकार जो है वह बहुत बढ़ा हुआ है। इसकी कल्पना उस समय नहीं करते थे कि यह गांव समाज बनेगा हालांकि यह बात सही है कि जमींदारी विनाश के पास होने के समय उसमें दिक्कत बतायी जाती थी।

श्री रामनरेश शुक्ल---यह विषय क्या है जिसके ऊपर प्रवचन हो रहा है?

श्री गेंदा सिंह---मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर के बिना उठाये ही रामनरेश जी की सूरत देखते ही बैठ जाता हूं इसलिए कि वह मेहरबानी करके क्लोजर मूव करते हैं। मेरा विषय यही है कि अगर ६ महीने के अन्दर इन गांव सभाओं की बदली हो गयी तो संभवतः माननीय राजस्व मंत्री कुछ विचार बदलेंगे और कहेंगे कि गांव सभायें भरोसा करने के लायक हैं। भरोसा करने के लायक गांव सभायें हो गयीं और उनको वसूली का काम दे दिया गया तो ऐसी हालत में बड़े भारी कर के बोझ से गांववालों को मुक्ति मिल जायगी। राम नरेश जी ने १,२ बार इशारा किया कि बड़ी भारी बेकारी फैलेगी। उस बेकारी को दूर करने का भी बन्दोबस्त है वह मैं रामनरेश जी की खिदमत में पेश करूंगा कि कैसे बेकारी दूर हो सकती है। बेकारी इस तरह से दूर नहीं हो सकती कि अपने खून और पसीने की कमाई का पैसा आप एक करोड़ किसानों से वसूल करें और उस पैसे को लेकर आप पानी की तरह बहा दें? इस प्रकार से बेकारी दूर नहीं होगी। बेकारी का इन्तजाम हो सकता है लेकिन उस प्रश्न को रामनरेश जी यहां पर न पूछें। समय आयेगा तो उसका इलाज भी बताया जायेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस ६ महीने के भीतर चुनाव हो जाने की बंदिश हम बंदिश कर देते हैं तो यह निश्चय है कि सारा काम ६ महीने के अन्दर हो सकता है, मैं माननीय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंदासिंह]

स्वशासन मंत्री जी की एक शिकायत करूंगा कि यदि वह यह समझते थे कि यह काम इतना अहम है जिसके लिये संविधान में गुंजाइश है। प्लानिंग कमीशन जब बैठा तो उसने यह फैसला किया कि उत्पादन समितियां बनानी चाहिये तथा और भी सहकारी समितियां बनानी चाहिये। तो अब संविधान और प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट होते हुये माननीय स्वशासन मंत्री जी का ध्यान दूसरी तरफ चला गया और वर्षों यह विचार न हो सका कि गांव सभा कानून में तब्दीली होनी चाहिये। मैं ऐसा सोचता हूं कि उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। अगर उनको एक बरस की अवधि मिल गयी तो उनको फिर फुरसत मिल जायगी और भी बड़े बड़े काम हैं उनको फुरसत नहीं मिलेगी और गांव सभाओं का संगठन नहीं हो पायेगा। गांव सभाओं का आर्थिक संकट संगठन नहीं है उनकी अवस्था अस्तव्यस्त हो रही है, उनकी इस अवस्था को सुधारने के लिये स्वशासन मंत्री जी को प्रयत्न करना चाहिये और इस पर एक बार फिर विचार करना चाहिये। वसूली का काम उनको मिल गया तो उनका अधिकार क्षेत्र भी बढ़ जायगा और मदद भी मिल जायगी। दोनों मंत्रिगण यह काम किस तरह से सुचारुरूप से चलाया जाय इस पर विचार कर लें। इसलिये मैं समझता हूं कि ६ महीने की मियाद इसके लिये काफी होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आदरणीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया कि जो बिल को प्रस्तुत करने का उद्देश्य और कारण लिखा हुआ है केवल वही नहीं है। अगर हम उसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ें तो कहीं भी इसका जिक्र तक नहीं नहीं है कि जब तक कि प्रस्तावित परिवर्तनों पर विचार न हो जाय तब तक के लिये समय बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने बतलाया माननीय मंत्री जी अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह तक नये विधेयक को पास कर सकते हैं और जुलाई में चुनाव करा सकते हैं। एक बात और और वह यह कि अगर माननीय मंत्री जी की इच्छा हो कि यह कह कर कि पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव साथ साथ नहीं हो सकते इसलिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव को भी टाल दें तो वह बात अलग है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव भी अगले वर्ष में ही आते हैं। वे कह सकते हैं कि दोनों देहातों के चुनाव हैं इसलिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव किस प्रकार से कराये जा सकते हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जनता को विश्वास दिलाया जाय कि सरकार जल्दी से जल्दी चुनाव कराती है और किसी प्रकार से भी समय को बढ़ाने की उसकी इच्छा नहीं है और तभी जनतंत्र का ढांचा भी कायम रह सकता है। लोग समझते हैं कि तारीखें बढ़ ही जायंगी। लोग समझते हैं कि जो एक बार पदारूढ़ हो गया वह बने रहने के लिये नाना प्रकार के साधन इस्तेमाल करेगा। जब वे समझते हैं कि स्वयं विधान सभा द्वारा पदारूढ़ रहने का प्रयत्न किया जा रहा है तो विधान सभा की पद्धति से भी लोगों की आस्था उठती चली जा रही है। इसलिये यह कोई बड़ी बात नहीं है और वे ६ महीने का समय स्वीकार कर लें। ६ महीने पहले ही वे चुनाव करा लें और गांवों में नया शासन स्थापित करने का मौका दें।

श्री मोहनलाल गौतम---चेयरमैन साहब, जो दलीलें दी गयीं उनमें कोई नयी बात नहीं है इसलिये इसका कोई उत्तर देने की आवश्यकता मुझे मालूम नहीं पड़ती। माननीय गंदासिंह जी ने जो सुझाव दिया उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ३ की पंक्ति ६ में शब्द 'Sex Years' के स्थान पर शब्द 'Five and a half Years' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ३ और ४ इस विधेयक के अंग बन जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक, १९५४

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के उपबन्धों को कुछ प्रयोजन के निमित्त अनुपूरित करने का

विधेयक

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) अध्यादेश, १९५४ द्वारा संशोधित हुआ था और उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल के अधिनियम का होना आवश्यक है। अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) इसे १८ जनवरी, १९५४ से प्रचलित समझा जायेगा।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहनलाल गौतम—चेयरमैन साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपरोक्त विधेयक पारित किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि पूरा विधेयक न पढ़ कर माननीय मंत्रीजी का "उपरोक्त विधेयक पारित किया जाय" कहना क्या यह विधान के अनुसार है?

श्री मोहनलाल गौतम—जब ऐसी बात है तो मैं नाम पढ़ देता हूं। मैंने तो यह सोचा था कि चेयरमैन साहब जब इसको पढ़ेंगे तो वह पूरा आ ही जायगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायतराज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक, १९५४ को जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायतराज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†श्री हरप्रसाद शिक्षानिधि बनारस (समझौता पुष्टीकरण) (सम्पत्ति संक्रामण) विधेयक, १९५४

***माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)**—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरप्रसाद शिक्षानिधि बनारस (समझौता पुष्टीकरण) (सम्पत्ति संक्रामण) विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय। इस विधेयक को लाने की क्यां आवश्यकता हुई, इस विधेयक में बहुत विस्तार के साथ बयान कर दिया गया है। मैं भी संक्षेप में ही किसी माननीय सदस्य ने जो विधेयक को पूरा पढ़ने का कष्ट न किया हो उनकी सहूलियत के लिये कुछ अर्ज कर देना चाहता हूं। श्री

---

† ४ मार्च, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

शिवप्रसाद गुप्त की एक डिग्री थी राजा मोतीचन्द और दूसरे लोगों के खिलाफ जिसे उन्होंने श्री हरप्रसाद शिक्षा निधि के हक में मुन्तकिल कर दिया और यह निधि काशी विद्यापीठ को चली गयी। लेकिन जो जजमेंट डेटर थे उन्होंने इन्कमबर्ड स्टेट्स ऐक्ट के मातहत दरख्वास्त दी थी इसलिये यह डिग्री जारी नहीं हो सकी। बाद में मुद्दइयन और हर प्रसाद शिक्षा निधि के बीच में फैसला हो गया कि इस जायदाद को मुन्तकिल करके इस डिग्री में जो बाकी है उसमें दे दिया जाय। इस फैसले का रिकार्ड कराने के लिये जो स्पेशल जज थे उनके यहाँ मुद्दइयन ने दरख्वास्त दी लेकिन स्पेशल जज इन्कम्बर्ड स्टेट ऐक्ट की दरख्वास्त कलेक्टर यहाँ मुन्तकिल कर चुके थे इसलिये इंकम्बर्ड स्टेट ऐक्ट के मातहत समझौते की इजाजत कलेक्टर ही दे सकता था। तो दो दरख्वास्तें जजमेंट डेटर्स की तरफ से कलेक्टर को दी गयीं कि हम यह जायदाद हरप्रसाद शिक्षा निधि के हक में हस्तान्तरण करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से कलेक्टर साहब ने उसकी इजाजत नहीं दी। तो फिर अपील की गई कमिश्नर के यहाँ और कमिश्नर उस अपील पर यों फैसला न दे सके कि टेनेंट्स एक्वीजीशन आफ प्रिविलेजेज ऐक्ट के मातहत जितने एन्कम्बर्ड स्टेट्स के केसेज होते हैं जो भी शिकायतें होती हैं उसपर कानूनन फैसला नहीं दे सकते थे। इस बीच में जमींदारी खत्म हो गयी। मैं बीच में कहना भूल गया कि यह फैसला निधि और निधि के जो जजमेंट डेटर्स हैं उनके बीच २४ अक्टूबर सन् १९५० को हुआ। अगर ३० जून, सन् १९५२ से पहले किसी भी तरह का फैसला करने की इजाजत कलेक्टर या कमिश्नर से मिल जाती तो हरप्रसाद शिक्षा निधि की उस जायदाद की मिल्कियत हो जाती जिसका कि जिक्र शिड्यूल के ऐपेन्डिक्स में है। उसका ब्योरा है कि वह उस जायदाद की मालिक हो जाती लेकिन वह नहीं हो पायी और अगर उस जायदाद की मालिक ३० जून सन् १९५२ से पहले हो जाती तो ऐनुइटी को अधिकारिणी हो जाती। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था ऐक्ट के अन्दर जितनी पक्की आय किसी निधि की होगी वह पक्की आय हमेशा उनको मिलती रहे। गवर्नमेंट ने यह जिम्मेदारी ली है जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था कानून के मातहत कि जो ब्योरली रेलीजस या चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं उनको जो नेट असेट्स हैं जो सालाना आय है वह गवर्नमेंट हमेशा उनको देती रहेगी। तो इस टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से कानूनी दिक्कतों की वजह से वह काशी विद्यापीठ या काशी विद्यापीठ को चलाने वाली जो संस्था हरप्रसाद शिक्षा निधि है वह वंचित रह गयी और उस आय का फायदा नहीं उठा सकी जो कि और ट्रस्ट वक्फ और न्यास आज उठा रहे हैं जमींदारी अबालीशन ऐक्ट के मातहत। तो इसलिये यह बिल लाया गया है ताकि वह जो कंप्रोमाइज उनमें हुई थी उस कम्प्रोमाइज को रिकार्डेड समझा जाय और यह समझा जाय कि जायदाद की मालिक शिक्षा निधि २४ अक्टूबर सन् १९५० से हो गई थी और अगर ऐसा समझा जाता है तो वह निधि उस लाभ की मुस्तहक हो जाती है जिसको और ट्रस्ट उठा रहे हैं। यह बात विस्तार से दी हुई है। प्रस्तावना के तौर पर मैंने जो अर्ज किया है मैं समझता हूं कि उसकी बाबत दो राय नहीं हो सकती कि काशी विद्यापीठ ने देश की बड़ी भारी सेवा की है, राष्ट्रीय संस्था रही है और जबकि हमारे देश में फिरंगी राज्य छाया हुआ था और विदेशी हुकूमत के काले बादल छाये हुये थे उसके संचालकों ने, उसके स्नातकों ने और जो लोग उसमें से पढ़कर निकले वे राजनीतिक विचारों से ओतप्रोत थे और देश की अकथनीय सेवायें उन्होंने की थीं। इसलिये हम सब लोगों का फर्ज है, कि जो कानूनी दिक्कत बाधक के रूप में अड़ गई है वह दूर हो और जो और ट्रस्टों का फायदा हो रहा था वह फायदा उनको भी पहुंचे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--माननीय चेयरमैन साहब, यह जो विधेयक प्रस्तुत है इस विधेयक का उद्देश्य है कि काशी विद्यापीठ ने जो राष्ट्रीय सेवायें कीं और जो काशी विद्यापीठ के स्नातक निकले उन्होंने जिस जिम्मेदारी के साथ देश के निर्माण में योग दिया उन तमाम बातों को देखते हुये काशी विद्यापीठ को आर्थिक संकट से मुक्त कराया जाय। जहाँ तक इसका उद्देश्य है वह बहुत ही पवित्र उद्देश्य है और हम उसका स्वागत करते हैं।

इसीके साथ साथ श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि काशी विद्यापीठ की इस समय जो अवस्था है, उसकी जो आर्थिक परिस्थिति है उसको यदि वे सुदृढ़ करना चाहते हैं तो यह विधेयक तो उसको बहुत काफी दूर तक पूरा करेगा ही मगर माननीय मंत्री जी को और भी प्रयत्न करना चाहिये ताकि काशी विद्यापीठ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़तर हो जाय। जबकि शिवप्रसाद जी का नाम सामने आता है और उसीके साथ साथ जब काशी विद्यापीठ का नाम सामने आता है तो पुरानी स्मृतियाँ ताजी हो जाती हैं और यह सोचने के लिये हम मजबूर होते हैं कि क्या हमारे बस में यह बात है कि काशी विद्यापीठ को आर्थिक परिस्थिति से पूर्ण करके उसमें सुधार करें। श्रीमन्, काशी विद्यापीठ की जो व्यवस्था है और जो निधि या ट्रस्ट बना उसकी शर्तों में एक शर्त ऐसी है जोकि हमारे इस समय राष्ट्र के नायकों के मस्तिष्क को काफी परेशान किया करती है? वह यह है कि श्री शिव प्रसाद जी गुप्त यह चाहते थे कि आजादी यदि हो और राष्ट्र की सरकार बने तो काशी विद्यापीठ राष्ट्रीय सरकार से भी आर्थिक सहायता की माँग न करे। किस उद्देश्य, किस ऊंचे लक्ष्य और किस सम्मान को लेकर उस समय माननीय शिव प्रसाद जी ने इन भावों को व्यक्त किया, चन्द लाइनों में उसकी जितनी भी सराहना की जाय मैं समझता हूं कि हमारे पास वह शब्द नहीं हैं जिनके द्वारा कि हम उनकी सराहना कर सकें।

श्रीमन्, पुरुषोत्तम दास जी टंडन जोकि हमारे सदन के अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुके हैं उनमें और दूसरे विद्वानों में इस संबंध में काफी विचारविनिमय चल रहा है। जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि इस सदन में इस पर दो राएं नहीं हो सकतीं। हम भी चाहते हैं कि काशी विद्यापीठ को जितना अधिक से अधिक क्षमता हो हम आर्थिक सहायता उसे प्रदान करें। तो हम चाहते हैं कि सरकार और माननीय मंत्री जी भी ऐसा कोई प्रयत्न करें जिससे कि जितने पैसे की भी जरूरत हो वह उनकी पुरानी ख्याति और उनके पुराने कारनामों को देखते हुये वह पूरी हो और आगे भी उस प्राचीन परम्परा को सुरक्षित करने वाले नौजवानों को पैदा करो। मंत्री जी इन तमाम बातों के लिये जरूर कोई ऐसी व्यवस्था करें और इस सरकार से करवावें कि काशी विद्यापीठ को आर्थिक परिस्थिति के संकट का सामना न करना पड़े। इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसकी तमाम वह बातें (कर्ज और कर्ज लेने वालों को) जिनका माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया उस संबंध में इस सदन में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। मैं इन्हीं २ शब्दों के साथ इस आशा में कि अगर काशी विद्यापीठ को किसी भी तरह से आर्थिक परिस्थिति बाध्य करे और वहाँ के काम में रुकावट डाले तो सरकार का फर्ज हो जाता है और उस सरकार का जो सरकार शिवप्रसाद जी का नाम लेते हुये प्रफुल्लित होती है और हर्ष प्राप्त होता है कि वह सरकार वहाँ पर चाहे जो कुछ लिखा हो, आज उस भाषा के विशारद विद्वान लोग चाहे कुछ भी अर्थ लगावें मगर सरकार का अपना फर्ज हो जाता है। चाहे काशी विद्यापीठ के लोग उस भाषा को रखते हुये उसके लिये कोई याचना न करें मगर सरकार को जैसे कि सबको देखना उसका फर्ज होता है उसी प्रकार काशी विद्यापीठ को आर्थिक सहायता प्रदान करे। यहाँ पर श्रीमन्, चन्द शब्दों में और कह देना चाहता हूं। वह यह है कि सरकार से जहाँ हम यह आशा करते हैं कि वह काशी विद्यापीठ को आर्थिक संकट से मुक्त कराये वहां हम सरकार को यह चेतावनी भी देना चाहते हैं कि सरकार अपने दिल के किसी कोने में भी काशी विद्यापीठ को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुये काशी विद्यापीठ पर सरकारी कंट्रोल रखने की मनोवृत्ति न रखे। अगर सरकार काशी विद्यापीठ पर आर्थिक सहायता प्रदान करते हुये कंट्रोल की मनोवृत्ति रखेगी तो जो कुछ भी पुरानी शिवप्रसाद जी की आत्मा रही, उनकी इच्छा या मनोभावना रही है उस मनोभावना के विपरीत सरकार जायगी।

अधिष्ठाता—माननीय गेंदासिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि समय पर कोई रोकथाम नहीं है, मगर छः बजे तक यह बिल पास हो जाय।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बिल्कुल थोड़े समय में अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं खड़ा भी न होता लेकिन मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का एहसान फरामोश हूंगा यदि मैं उनको बधाई दिये बिना इस विधेयक को पास हो जाने दूं। मैं केवल रस्म अदायगी के लिये यह बधाई नहीं दे रहा हूं। मैं उनका बहुत अनुगृहीत हूं। उनकी यह इच्छा थी कि किसी तरह से काशी विद्यापीठ को आर्थिक संकट से बचाया जाय। जब कभी भी उनसे इस सम्बन्ध में बात हुई, तो उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर की। मुझे ऐसा भी मालूम हुआ है कि न केवल यही बल्कि माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, जिनसे मेरी बड़ी घनिष्ट मित्रता है, उनकी भी ऐसी इच्छा थी। इस काम को पूरा करने के लिये थोड़ा सा कहीं इधर उधर भी कदम चाहे रखना पड़ा हो लेकिन उसके लिये रास्ता निकाला गया कि किसी तरह से काशी विद्यापीठ की सहायता की जाय। मैं इसके लिये बहुत आभारी हूं इस सरकार का और सारा देश आभारी होगा, न सिर्फ मुझे आभारी होने का कोई प्रश्न उठता है क्योंकि काशी विद्यापीठ सारे देश का भला करने वाली और सारे देश का उपकार करने वाली संस्था है।

अन्त में मैं एक दो शब्द कहना चाहता हूं माननीय राजस्व मंत्री जी से, जिसका इस विधेयक से सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जमींदारी एबोलिशन हो जाने के बाद कुछ ऐसी संस्थाएं इस प्रदेश में हैं जो इस समय एक तरह से टूट-फूट रही हैं, उनकी तरफ भी उनका ध्यान होना चाहिये कि जो जमींदार किसी तरह से पुराने जमाने में जब उनके पास जमींदारी थी और जो गांवों में आमदनी रह जाती थी, उस आमदनी से उन संस्थाओं को चलाते थे, वह संस्थाएं आज नहीं चल पा रही हैं, उनके अस्त-व्यस्त हो जाने का खतरा है, उस तरफ भी उनकी दृष्टि जानी चाहिये। इतना कहते हुये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री चरणसिंह---श्रीमन्, मैं गेंदासिंह जी को उनके अच्छे अच्छे शब्दों के लिये उनको धन्यवाद देता हूं और उनको यकीन दिलाता हूं कि जिन संस्थाओं के हक में कोई ट्रस्ट था जमींदारों की ओर से, तो कानून के मुताबिक तो उनको ही ऐनुइटी दी जा सकती है। उनके हक में एक तरमीम कानून में की भी जा चुकी है ताकि ऐनुइटी पहली जुलाई, सन् ५२ से दी जा सके, वरना ऐक्ट में यह था कि जब कम्पेंसेशन डिटरमिन हो जाय, तब दी जाय। इसीलिये संशोधन किया गया कि उनको आर्थिक कष्ट है, इसलिये पहली जुलाई, सन् ५२ से दी जाय और पहली जुलाई और पहली जनवरी, जबतक कि बांड्स तैयार न हों, तबतक हर छःमाही जितनी मालगुजारी उनकी जायदाद की थी उसका तीन चौथाई तक वे ऐनुइटी ले सकते हैं। अब जो ऐसी आमदनी जमींदार अपने पास से दे दिया करते थे कि जिनकी जायदाद बाकायदा एंडाऊमेंट के तौर पर या ट्रस्ट के तौर पर उनके हक में नहीं लगी हुई थी, उसमें एक कानूनी दिक्कत है। जमींदारी एबालिशन के मातहत वह ट्रस्ट नहीं माना जाता। अपने पास से अगर कोई आदमी देता है तो वह ट्रस्ट नहीं माना जाता है। ऐसी संस्थाओं को जरूर परेशानी है लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके सिलसिले में क्या किया जाय, सिवाय इसके कि शिक्षा विभाग से उन संस्थाओं को ग्रान्ट कुछ और बढ़ाई जाय।

अब मैं केवल एक ही बात माननीय राजनारायण जी से कहना चाहता हूं और वह हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर शुभ से शुभ घड़ी में छींक आ जाय यानी कभी तो किसी मामले में खूबसूरती के साथ और महब्बत के साथ काम हो जाना चाहिये। यह जो विधेयक पेश हुआ था इसमें दो रायें हो ही नहीं सकती थीं लेकिन उन्होंने इधर उधर से निकाल करके एक चेतावनी दे डाली और

दूसरी बात यह कह डाली कि कंट्रोल करने की बात गवर्नमेंट न सोचे। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या उससे वास्ता है इस चीज़ का। लेकिन मैंने जिस भाव से यह बात कही है मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे विरोधी दल के नेता उसी भाव से मेरी बात को ग्रहण करेंगे और गुस्सा न करेंगे।

श्री राजनारायण—मैं ज़रा पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दूं। मैं छींक नहीं रहा हूं। माननीय चरण सिंह जी खुद छींक करके लीप रहे हैं। मैं सरकार की मनोवृत्ति जानता हूं कि वह इसी वजह से मदद नहीं दे रही थी। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं कहिये उनको बधाई दूं और उनको अपने सिर पर चढ़ा कर लोका दूं। मगर जो सरकार की एक छिपी हुई मनोवृत्ति है उसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने आगाह किया और अपने कर्तव्य का पालन किया। अगर मैं सरकार की उस कमी को न बताता तो अपने कर्तव्य को पूरा न करता और मैं फिर उनको जोर दे कर कहना चाहता हूं कि ऐसे विधेयक के लिये मैं उनका आभारी हूं मगर आभारी होने के साथ साथ उनके अगले क़दम का मैं विरोधी हूं और सख्त विरोधी हूं।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि श्री हरप्रसाद शिक्षा निधि बनारस (समझौता पुष्टीकरण) (सम्पत्ति संक्रामण) विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २—५

२—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में "निहित होने का दिनांक" (date of vesting) का तात्पर्य १९५० ई० के उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) में अभिदिष्ट (referred) दिनांक से है। परिभाषाएं।

३—दिनांक २४ अक्टूबर, १९५० को ट्रस्ट और कर्ज़दारों (debtors) के मध्य हुआ समझौता (जिसकी प्रति इससे संलग्न परिशिष्ट १ में दी गई है) एतद्द्वारा पुष्ट (confirm) किया जाता है और वह दिनांक २४ अक्टूबर, १९५० से [जिसे यहां पर आगे चल कर "निर्दिष्ट दिनांक" (specified date) कहा गया है] प्रभावशाली होगा। समझौतापत्र का पुष्टीकरण।

४—धारा ३ के उपबन्धों की व्यापकता (generality) को न बाधित करते हुए एतद्द्वारा यह प्रख्यापित (declared) किया जाता है कि— समझौतापत्र के पुष्टीकरण के परिणाम।

(क) परिशिष्ट १ और २ में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट सम्पत्तियों में क़र्ज़दारों के सभी अधिकार, आगम और स्वत्व (rights, title and interest) निर्दिष्ट दिनांक पर ट्रस्ट को संक्रान्त तथा उसमें निहित (vested) हो जायंगे और उक्त ट्रस्ट को संक्रांत तथा उसमें निहित समझे जायेंगे।

(ख) सबार्डिनेट जज, इलाहाबाद के न्यायालय की १३,८०,७७५ रु० ७ आ० और ६ पाई की क़र्ज़दारों (debtors) के विरुद्ध साधारण धन डिक्री (simple money decree) संख्या १३, १९२६, सभी प्रयोजनों एवं अवसरों के निमित्त निर्दिष्ट दिनांक (specified date) पर यथोचित रूप से भरपाई की हुई (duly satisfied) समझी जायगी।

(ग) इस प्रकार संक्रान्त सम्पत्ति से, निर्दिष्ट दिनांक से निहित (vested) होने के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक तक की अवधि में, उत्पन्न अथवा मिलने वाले (arising or accruing) लगान, अबवाब या अन्य आय या लाभ अथवा उनके अंश जिन्हें क़र्ज़दारों (debtors) ने इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व वसूल किये हों, इससे पहले किसी बात के उल्लिखित होते हुये भी उन्हीं के होंगे और उन्हीं के पास रहेंगे और अवशिष्ट भाग ट्रस्ट का होगा और ट्रस्ट द्वारा, न कि क़र्ज़दारों (debtors) द्वारा, उसकी वसूली की जा सकेगी ।

(घ) निर्दिष्ट दिनांक से निहित होने के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक तक की अवधि में किये गये 'लीज' अथवा पट्टे से भिन्न, परिशिष्ट १ और २ में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट सम्पत्ति का कोई भी संक्रामण निर्दिष्ट दिनांक से निरर्थक (void) हो जायगा, और

यू० पी० ऐक्ट सं० २५, १९३४ ।

(ङ) यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा ४ के अधीन कार्यवाहियों से भिन्न, एतद्द्वारा संक्रान्त सम्पत्ति के संबंध में क़र्ज़दारों (debtors) द्वारा अथवा उनकी ओर से प्रस्तुत सभी वाद और व्यवहार (suits and proceedings) जो इस अधिनियम के आरम्भ के दिनांक पर आदिम न्यायालय (Court of first instance), अपील अथवा पुनरीक्षण (revision) के न्यायालय में अथवा अन्य किसी प्राधिकारी (authority) के समक्ष विचाराधीन हों, ट्रस्ट द्वारा जारी रखे जा सकेंगे और उक्त न्यायालय अथवा प्राधिकारी, ट्रस्ट द्वारा प्रार्थनापत्र दिये जाने पर क़र्ज़दारों (debtors) के स्थान पर ट्रस्ट को पक्ष (party) बना देगा, किन्तु ट्रस्ट ऐसे व्यय (costs) देगा, जिसे न्यायालय या प्राधिकारी (authority) आवश्यक या उचित समझे ।

स्पष्टीकरण---१९५० ई० के जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अधीन प्रतिकर अथवा पुनर्वासन अनुदान (Rehabilitatio grant) के निर्धारण तथा भुगतान (assessment and payment) से सम्बद्ध कार्यवाही में यह खण्ड प्रवृत्त (apply) होगा ।

(च) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अध्याय ३ और ५ के अधीन प्रतिकर एवं पुनर्वासन अनुदान (compensation and rehabilitation grant) के निर्धारण के प्रयोजनों के लिये, एतद्द्वारा संक्रामित सम्पत्तियों में क़र्ज़दारों (debtors) के सभी अधिकार, आगम और स्वत्व (rights, title and interest) उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर, उक्त अधिनियम में किसी विरोधी उपबन्ध के होते हुये भी ट्रस्ट के और उसमें निहित समझे जायेंगे, और

(छ) उक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में क़र्ज़दारों (debtors) के अधिकार, आगम और स्वत्व (rights title and interest) के विषय में १९५० ई० के उत्तर प्रदेश ज़मींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन मिलने वाला प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान (compensation and rehabilitation grant) ट्रस्ट को देय होगा और उसे ही मिलेगा, न कि क़र्ज़दारों (debtors) को।

५—राज्य सरकार, सरकारी गज़ट में आज्ञा प्रकाशित करके, इस अधिनियम से धारा ३ के अधीन संक्रामण (transfer) को पूर्ण रूपेण कार्यान्वित करने एवं यथावश्यक आनुषंगिक (incidental) तथा अन्य विषयों के निमित्त, ऐसी व्यवस्था कर सकती है जो उसे आवश्यक और उचित प्रतीत हो। इस अधिनियम को प्रचलित करने से सम्बद्ध आज्ञाएं।

अधिष्ठाता—अब मैं इस विधेयक के खंडों को आपके सामने पेश करता हूं। खंड २ से लेकर ५ तक कोई संशोधन नहीं है, इसलिये खंड २ से ५ तक मैं एक साथ लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २ से ५ तक इस विधेयक के अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

परिशिष्ट १

IN THE COURT OF THE SPECIAL JUDGE FIRST GRADE, BANARAS

E. E. Act case no. 49 of 1936.

Babu Gokul Chand and others—landlord applicants.

THE HUMBLE APPLICATION OF

B. GOKUL CHAND, son of B. LAKSHMI PRASAD, aged about 70 years.

B. RAJ KUMAR, son of B. GOKUL CHAND, aged about 31 years for self and as guardian of his son KUSH KUMAR, aged about 10 years.

B. BIJAYA KUMAR, son of B. GOKUL CHAND, aged about 28 years for self and as guardian of his son, MANOJ KUMAR, aged about 10 years.

B. LALIT KUMAR GUPTA, son of B. GOKUL CHAND, aged about 25 years for self and as guardian of his sons GANESH aged about 4 years and SUNIL KUMAR, aged about 2 years.

B. PRAMOD KUMAR GUPTA, son of Babu GOKUL CHAND, aged about 21 years.

Babu SAROJ KUMAR GUPTA, son of the late KUMAR KRISHNA KUMAR, deceased, aged about 18 years.

All by caste Agarwala and residents of Mohalla Nandan Sahu Lane, Banaras City, landlord applicants.

Respectfully showeth:—

1. That on 5-10-36 the applicants filed an application under the provisions of the Encumbered Estates Act.

2. That in the aforesaid application under the Encumbered Estates Act the Applicants showed their liability amounting to Rs. 24,82,291-4-10.

3. That one of the creditors of applicants as mentioned in the aforesaid application is Shri Har Prasad Shiksha Nidhi and the amount of debt as mentioned in the claim filed by Shri Shiva Prasad Gupta predecessor-in-title of Shri Har Prasad Shiksha Nidhi on 10-7-37 was Rs. 13,64,842-14-3. As such the said Shri Har Prasad Shiksha Nidhi is the biggest creditor of the applicants.

4. That a compromise has been arrived at between the aforesaid Shri Har Prasad Shiksha Nidhi creditor no. 27 and the applicants by which compromise the applicants are transferring their Zamindari property and some other properties a list of which is given in the schedule attached to this application and marked no.1 in lieu of and in satisfaction of the claim of the aforesaid Shri Har Prasad Shiksha Nidhi.

5. That the applicants are desirous of entering into similar compromises with other creditors also.

6. That it will be to the advantage of the applicants including the minors and all their creditors including Shri Har Prasad Shiksha Nidhi if permission is given to the applicants to enter into above stated compromise and to transfer the properties mentioned in schedule no. 1 attached to this application.

Therefore, it is respectfully prayed that this Court may be pleased to declare that the compromise is for the benefit of such of the applicants as are minors and is also for the benefit of the general body of creditors and to sanction and record the compromise. The Court may be further pleased to send a copy of the compromise to the Collector of Banaras District and to obtain his sanction for the transfer by the applicants to the said Shri Har Prasad Shiksha Nidhi of the properties mentioned in Schedule no. 1 attached to this petition.

Dated 24-10-1950.

(Sd.) 1. Gokul Chand.

2. Raj Kumar for self and guardian of my son Kush Kumar.

3. Bijaya Kumar Gupta for self and as guardian of my son Manoj Kumar.

4. Lalit Kumar Gupta for self and as guradian of my sons Ganesh and Sunil Kumar.

5. Promod Kumar (IN HINDI

6. Saroj Kumar Gupta.
Counsel for Applicants.

SCHEDULE

Half of Zamindari including *Sir*, *Savar*, jungle and all other rights appertaining thereto in the following villages :

Total Annual profit valued at Rs. 57,000 (Rupees Fifty-seven Thousand only).

DISTRICT JAUNPORE

Tahsil, Shahganj, Pargana Ungali.

Name of villages	Extent of the share	Government Revenue in 1356 Fasli		
		Rs	a.	p.
1. Aharpur	Sixteen annas	342	13	8
2. Pura Bhulan	Ditto	95	9	9
3. Tisouli	Ditto	599	11	1
4. Udho Patti	Ditto	73	12	5
5. Puredala	Ditto	235	6	10
6. Salempur	Ditto	159	15	11
7. Chak Nohar	Ditto	24	11	8
8. Dharuali Koshal ..	Ditto	227	6	11
9. Dharuali Lachhan ..	Ditto	169	14	3
10. Akbarpur	Ditto	222	15	0
11. Nuruddinpur	Ditto	295	6	0
12. Sauraiya	Ditto	810	1	7
13. Turkauli	Ditto	236	15	10
14. Shera Patti ..	Ditto	367	14	2
15. Sherpur	Ditto	346	3	3
16. Kapasia	Ditto	300	1	11
17. Rasulpur	Ditto	613	4	0
18. Chak Bankata	Ditto	39	3	5
19. Bheoraha	Ditto	223	5	0
20. Khwajapur	Ditto	240	12	8
21. Banhara	Ditto	444	10	5
22. Pataila Khas	Ditto	188	14	5
23. Madarpur	Ditto	184	4	6
24. Gulamipur	Ditto	299	0	11
25. Mahammadpur *alias* Chak Gulamipur	Ditto	29	14	2
26. Chak Mominha ..	Ditto	40	10	1
Tahsil Kerakat, Pargana Kerakat				
27. Naupur	Ditto	477	11	0
28. Sohani	Ditto	568	0	9
29. Kanwani	Ditto	743	1	3
30. Jalalpur, district Allahabad	Ditto	100	1	6

Name of villages	Extent of the share	Government Revenue in 1356 Fasli		
		Rs.	a.	p
DISTRICT MIRZAPUR				
Tahsil Chmnar, Pargana Haveli				
31. Tammal Ganj }	Sixteen annas	146	3	0
32. Sujatpur }				
33. Lakhouri	Ditto	8	10	6
DISTRICT BANARAS				
Tahsil Banaras, Pargana Jalhupur				
34. Gaura Kalan and Gauru Khurd	Sixteen Annas	591	6	4
35. Siristi	Ditto	542	14	10
DISTRICT GONDA				
Tahsil Utroula, Pargana Mankapur				
36. Rendoura	Ditto	511	8	0
37. Balapur Sonthia ..	Ditto	550	0	0
38. Bankasaya	Ditto	841	8	0
39. Khas Batania Uraph Garhi	Ditto	730	0	0
40. Pure Pandit Mathatdari ..	Ditto	..	..	..
41. Pikoura	Ditto	550	0	0
42. Birepur	Ditto	1,122	0	0
43. Nandgaon (Jogapur) ..	Ditto	401	8	0
44. Harana Tayar	Ditto	1,585	0	0
45. Sohans	Ditto	1,210	0	0
46. Khoadi	Ditto	291	8	0
47. Harahawa	Ditto	880	6	0
Tahsil and Pargana Gonda				
48. Mahadeiya	Ditto	463	12	0
49. Gorava Kaunango ..	Ditto	418	12	0
DISTRICT JAUNPUR				
Tahsil Jaunpur, Pargana Rari				
50. Barbaspur	Ditto	326	13	3
51. Chawari	Ditto	524	7	2
52. Chhangapur ..	Ditto	494	8	6
53.. Jangipur Kalan and Khurd	Ditto	11	2	0
54 Bakkhopur	Ditto	304	10	0
55. Belawan	Ditto	1,008	14	0
56. Kharouna	Ditto	18	4	6
57. Dariaoganj	Ditto	1,418	8	0
58. Chak Haji Baksh ..	Ditto	..	..	..

	Name of village	Extent of the share	Governme nt Revenue in 1356 Fasli		
			Rs.	a.	p.
	Tahsil Jaunpur, Pargana Haveli				
59.	Ram Rai Patti ..	.. Sixteen Annas	42	11	0
60.	Har Singh Patti	.. Ditto	56	1	0
61.	Ram Nagar Bharsara	.. Ditto	100	14	8
62.	Sadipur ..	.. Ditto	195	1	4
	Tahsil Kerakat, Pargana Bealasi				
63.	Samoghar ..	.. Ditto	36	0	0
64.	Keshopur ..	.. Ditto	351	0	0
65.	Rajpur ..	.. Ditto	326	15	0
	Tahsil Mariahun, Pargana Mariahun				
66.	Nurpur Khas ..	.. Ditto	629	12	0
	DISTRICT BANARAS				
	Tahsil Banaras, Pargana Kaswar				
67.	Aswari } ..	.. Ten annas			
68.	Kachnar }	.. Dtito	393	7	0
	Tahsil Chandauli, Pargana Narwan				
69.	Barhani ..	.. Sixteen Annas	1,623	9	10
70.	Bhaisakalan ..	.. Four Annas	65	8	10

2. Half of the decree in original suit no. 88 of 1922 of the Court of the Sub-ordinate Judge, Rai Bareli. The Hon'ble Raja Moti Chand *vs.* Khan Bahadur Mohammad Wazih (Now B. Gokul Chand and others *vs.* wife of Mirza Mohammad Wazih and others) decided on 21-8-25 which is at present under execution at Rai Bareli.

Annual profit valued at Rs. 2,500 (rupees Two thousand and five hundred only).

3. Half of the decree in original suit no. 36 of 1928 of the Court of the Sub-ordinate Judge, Fyzabad the Hon'ble Raja Moti Chand *vs.* B. Mitra Sen Singh of Dhavaran (Now B. Gokul Chand and others *vs.* B. Devindra Bahadur Singh and others), decided on November 17, 1928 which is under execution at present at Fyzabad.

Annual profit valued at Rs. 500 (Rupees Five hundred only).

परिशिष्ट २

IN THE COURT OF THE SPECIAL JUDGE FIRST GRADE, BANARAS.

E. E. Acts case no. 50 *of* 1936.

B. Jyoti Bhushan Gupta and others—Landlord-applicants.

THE HUMBLE APPLICATION OF—

1. B. JYOTI BHUSHAN GUPTA, son of B. MANGLA PRASAD, aged about 35 years, and

2. B. ANIL KUMAR, son of B. JYOTI BHUSHAN GUPTA, aged about 12 years.

3. B. SHUSHIL KUMAR, son of B. JYOTI BHUSHAN GUPTA, aged about 10 years.

4. B. CHANDRA SHEKHAR, son of B. JYOTI BHUSHAN GUPTA, aged about 8 years.

5. BACHCHA, son of B. JYOTI BHUSHAN GUPTA, aged about one year.

All under guardianship of their mother Srimati Sulabha Devi w/o B. Jyoti Bhushan Gupta, all by caste Agrawala and resident of Azmatgarh Palace, Banaras landlord applicants.

1. That on 21-10-36 the applicants filed an application under the provisions of the Encumbered Estates Act.

2. That in the aforesaid application and written statement, dated 3-2-1937 under the Encumbered Estates Act a sum of Rs. 29,35,529-4-10, was alleged to be the liability of the applicants as well as of B. Gokul Chand and his family.

3. That one of the claimants of applicants as mentioned in the aforesaid application is Shri Har Prasad Shiksha Nidhi and the amount of claim as mentioned in the claim filed by Sri Shiva Prasad Gupta, predecessor-in-title of Sri Har Prasad Shiksha Nidhi on 9-7-37 was alleged to be Rs.13,75,201-6 as such the said Sri Har Prasad Shiksha Nidhi is the biggest claimant of the applicants.

4. That a compromise has been arrived at between the aforesaid Sri Har Prasad Shiksha Nidhi claimant no. 26-A and the applicants by which Compromise the applicants are transferring some of their Zamindari property and some other properties a list of which is given in the schedule attached to this application and marked no. 1 in lieu of and satisfaction of the claim of the aforesaid Shri Har Prasad Shiksha Nidhi.

5. That the applicants are desirous of entering into similar compromise with such other claimants also whose claims are admitted by the applicants.

6. That it will be to the advantage of the applicants including the minors, and all their creditors including Sri Har Prasad Shiksha Nidhi, if permission is given to the applicants to enter into above stated compromise and to transfer the properties mentioned in Schedule no. 1 attached to this application.

Therefore, it is respectfully prayed that this Court may be pleased to declare that the compromise is for the benefit of such of the applicants as are minors and is also for the benefit of the general body of creditors and to sanction and record the compromise.

The Court may be further pleased to send a copy of the Compromise to the Collector of Banaras District and to obtain his sanction for the transfer by the applicants to the said Sri Har Prasad Shiksha Nidhi of the properties mentioned in Schedule no. 1 attached to this petition.

Dated 24th October, 1950.

(Sd.) Jyoti Bhushan Gupta.

(Sd.) Sulbha Gupta (IN HINDI).

guardian of Anil Kumar, Susil Kumar, Chandra Shekar and Bachcha, minors.

Counsel for applicants.

SCHEDULE

Half of Zamindari including *Sir*, *Sayar*, Jungle and all other rights appertaining thereto in the following villages:

Total Annual profit valued at Rs.57,000 (Rupees Fifty-seven Thousand only).

DISTRICT JAUNPORE

Tahsil Shahganj, Pargana Ungali

	Name of Villages	Extent of the share	Government Revenue in 1356 Fasli
			Rs. as. p.
1.	Aharpur	Sixteen Annas	342 13 8
2.	Pura Bhulan	Ditto	95 9 9
3.	Tisouli	Ditto	599 11 1
4.	Udho Patti	Ditto	73 12 5
5.	Puredala	Ditto	235 6 10
6.	Salempur	Ditto	159 15 11
7.	Chak Nohar	Ditto	24 11 8
8.	Dharuali Koshal	Ditto	227 6 11
9.	Dharuali Lachhan	Ditto	169 14 3
10.	Akbarpur	Ditto	222 15 0
11.	Nuruddinpur	Ditto	295 6 0
12.	Sauraiya	Ditto	810 1 7
13.	Turkauli	Ditto	236 15 10
14.	Shera Patti	Ditto	367 14 2

Name of Villages	Extent of the share	Government Revenue in 1356 Fasli
		Rs. as. p.
15. Sherpur	Sixteen Annas	346 3 3
16. Kapasia	Ditto	300 1 11
17. Rasulpur	Ditto	613 4 0
18. Chak Bankata	Ditto	39 3 5
19. Bheoraha	Ditto	223 5 0
20. Khwajapur	Ditto	240 12 8
21. Banhara	Ditto	444 10 5
22. Pataila Khas	Ditto	188 14 5
23. Madarpur	Ditto	184 4 6
24 Gulamipur	Ditto	299 0 11
25. Mahammadpur *alias* Chak Gulamipur	Ditto	29 14 2
26. Chak Mominha	Ditto	40 10 1
Tahsil Kerakat, Pargana Kerakat		
27. Naupur	Ditto	477 11 0
28. Sohani	Ditto	568 0 9
29. Kanwani	Ditto	743 1 3
30. Jalalpur, district Allahabad ..	Ditto	100 1 6
DISTRICT MIRZAPUR		
Tahsil Chunar, Pargana Haveli		
31. Tummal Ganj	Ditto	146 3 0
32. Sujatpur	Ditto	
33. Lakhouri	Ditto	8 10 6
DISTRICT BANARAS		
Tahsil Banaras, Pargana Jalhupur		
34. Gaura Kalan and Gaura Khurd ..	Sixteen Annas	591 6 4
35. Siristi	Ditto	542 14 10

Name of Villages	Extent of the share	Government Revenue in 1356 Fasli		
		Rs.	as.	p.
DISTRICT GONDA				
Tahsil Utroula, Pargana Mankapur				
36. Rendoura	Sixteen Annas	511	8	0
37. Balapur Sonthia	Ditto	550	0	0
38. Bankasaya	Ditto	841	8	0
39. Khas Bhatania Uraph Garhi ..	Ditto	730	0	0
40. Pure Pandit Mathatdari	Ditto	..		
41. Pikoura	Ditto	550	0	0
42. Birepur	Ditto	1,122	0	0
43. Nandgaon (Jogapur)	Ditto	401	8	0
44. Harana Tayar	Ditto	1,585	0	0
45. Sohans	Ditto	1,210	0	0
46. Khoadi	Ditto	291	8	0
47. Harahawa	Ditto	880	6	0
Tahsil and Pargana Gonda				
48. Mahadeiya	Ditto	463	12	0
49. Gorava Kaunango	Ditto	18	12	0
DISTRICT JAUNPUR				
Tahsil Jaunpur, Pargana Rari				
50. Barbaspur	Ditto	326	13	3
51. Chawari	Ditto	524	7	2
52. Chhangapur	Ditto	494	8	6
53. Jangipur Kalan and Khurd ..	Ditto	11	2	0
54. Bakkhopur	Ditto	304	10	0
55. Belawan	Ditto	1,008	14	0
56. Kharouna	Ditto	18	4	6

	Name of Villages	Extent of the share	Government Revenue in 1356 Fasli		
			Rs.	as.	p.
57.	Dariaoganj	Sixteen Annas	1,418	8	0
58.	Chak Haji Baksh	Ditto	..		
	Tahsil Jaunpur, Pargana Haveli				
59.	Ram Rai Patti	Ditto	42	11	0
60.	Har Singh Patti	Ditto	56	1	0
61.	Ram Nagar Bharsara	Ditto	100	14	8
62.	Sadipur	Ditto	195	1	4
	Tahsil Kerakat, Pargana Bealasi				
63.	Samoghar	Ditto	36	0	0
64.	Keshopur	Ditto	351	0	0
65.	Rajpur	Ditto	326	15	0
	Tahsil Mariahun, Pargana Mariahun				
66.	Nurpur Khas	Ditto	629	12	0
	DISTRICT BANARAS				
	Tahsil Banaras, Pargana Kaswar				
67.	Aswari	Ten Annas	393	7	0
68.	Kachnar				
	Tahsil Chandauli, Pargana Narwan				
69.	Bharhani	Sixteen Annas	1,623	9	10
70.	Bhaisakalan	Four Annas	65	8	10

2. Half of the decree in original suit no. 88 of 1922 of the Court of the Subordinate Judge Rai Bareli. The Hon'ble Raja Moti Chand *Vs.* Khan Bahadur Mohammad Wazih (Now B. Gokul Chand and others *Vs.* wife of Mirza Mohammad Wazih and others) decided on 21-8-25 which is at present under execution at Rai Bareli.

Annual profit valued at Rs.2,500 (Rupees Two thousand and five hundred only).

3. Half of the Decree in original suit no. 36 of 1928 of the Court of the Subordinate Judge, Fyzabad the Hon'ble Raja Moti Chand *Vs.* B. Mitra Sen Singh of Dhavaran (Now B. Gokul Chand and others *Vs.* B. Devindra Bahadur Singh and others), decided on 17-11-28 which is under execution at present at Fyzabad.

Annual profit valued at Rs.500 (Rupees five hundred only).

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि परिशिष्ट १ और परिशिष्ट २ इस विधेयक के अंग बनें।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड १

१—(१) यह अधिनियम श्री हरप्रसाद शिक्षानिधि, बनारस (समझौता पुष्टीकरण) (सम्पत्ति संक्रामण) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग बने।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रस्तावना तथा शीर्षक

श्री हरप्रसाद शिक्षानिधि बनारस (समझौता पुष्टीकरण) (सम्पत्ति संक्रामण) विधेयक, १९५४

श्री हरप्रसाद शिक्षानिधि, बनारस, को इलाहाबाद के सबार्डिनेट जज के न्यायालय की डिक्री संख्या १३, १९२६ की भरपाई के रूप में कुछ सम्पत्तियों के संक्रामण की व्यवस्था के हेतु समझौते को कार्यान्वित करने का

विधेयक

बनारस निवासी श्री शिवप्रसाद गुप्त को माननीय राजा मोतीचन्द, नाईट, सी० आई० ई०, इत्यादि के विरुद्ध १३ लाख, अस्सी हजार, सात सौ पचहत्तर रुपये, साढ़े सात आने की साधारण धन डिक्री (simple money decree) संख्या १३,१९२६ सबार्डिनेट जज, इलाहाबाद के न्यायालय से प्राप्त हुई थी ;

उक्त श्री शिवप्रसाद गुप्त ने उक्त डिक्री को श्री हरप्रसाद शिक्षा निधि अपने द्वारा बनाये ट्रस्ट के नाम, जिसे यहां पर आगे चल कर "ट्रस्ट" कहा गया है, अभ्यर्पित (assign) कर दिया ;

श्री हरप्रसाद शिक्षानिधि, डिक्रीदार (decree holder) एक पक्ष तथा मदयून (judgement debtor) द्वितीय पक्ष के मध्य अन्त में समझौता हो गया जिससे मदयून (judgement debtors) ट्रस्ट द्वारा गृहीत उक्त डिक्री की भरपाईने, परिशिष्ट १ और २ में संलग्न अनुसूचियों में वर्णित सम्पत्ति ट्रस्ट को संक्रामित करने के लिये राजी हो गये;

कर्जदारों (debtors) ने यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा ४ के अधीन प्रार्थना-पत्र दिये और उक्त प्रार्थना-पत्र उक्त ऐक्ट की धारा ६ के अधीन स्पेशल जज के पास भेज दिये जाने पर कर्जदार उक्त ऐक्ट की धारा ७ की उपधारा (३) के अनुसार कलेक्टर की स्वीकृति के बिना संपत्ति का संक्रामण नहीं कर सकते थे इसलिये ऋणीगण ने दो पृथक प्रार्थना-पत्र दिये थे जिनमें से एक

१—बा० गोकुलचन्द

२—बा० राजकुमार

३—बा० विजयकुमार

४—बा० ललितकुमार गुप्त

५—बा० प्रमोदकुमार गुप्त

६—बा० सरोजकुमार गुप्त

ने और की ओर से और दूसरा

१—बा० ज्योतिभूषण गुप्त

२—बा० अनिलकुमार

३—बा० सुशीलकुमार

४—बा० चन्द्रशेखर

५—बच्चा

ने और की ओर से १६ मई, १९५१ को स्वीकृति के लिये कलेक्टर के पास दिये, किन्तु कलेक्टर ने कर्जदारों (debtors) के विरुद्ध कुछ दावेदारों (claimants) की आपत्ति पर स्वीकृति नहीं दी, और उक्त मदयूनों (judgement debtors) ने कलेक्टर की उक्त आज्ञा से असंतुष्ट हो कर कमिश्नर के समक्ष अपील प्रस्तुत की है,

उक्त अपीलों की सुनवाई १९५० ई० के उत्तर प्रदेश काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) (संशोधन) और प्रकीर्ण निदेश सम्बन्धी अधिनियम की धारा १० के अधीन रोक दी गई थी और वे अब भी विचाराधीन हैं, और हित रखने वाले पक्षों (parties interested) ने राज्य सरकार से निवेदन (representation) किया है कि समझौता (compromise) वैध रूप से हुआ था और स्वीकृति न देने की कलेक्टर की आज्ञा दोषपूर्ण थी और ट्रस्ट, जो एक सार्वजनिक और राष्ट्रीय संस्था है, के पक्ष में उक्त सम्पत्तियों का संक्रामण (transfer) कार्यान्वित किया जाय,

और यह आवश्यक है कि उक्त समझौते को कार्यान्वित किया जाय,

इसलिये अधिनियम निम्नलिखित बनाया जाता है :—

अधिष्ठाता—प्रस्तावना में एक संशोधन आया है माननीय शिवदान सिंह जी का।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मुझे उनकी अनुमति है कि मैं उसको पेश कर सकूं।

अधिष्ठाता—पेश कीजिये।

श्री रामनरेश शुक्ल—यह संशोधन शाब्दिक है इसलिये इसपर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

१—विधेयक की प्रस्तावना (preamble) के चौथे पैराग्राफ में शब्द 'ऋणीगण' के स्थान पर शब्द "कर्जदारों" रख दिया जाय।

२—उक्त पैराग्राफ में शब्द "सरोजकुमार गुप्त" के बाद आने वाले शब्द "ने और" के बाद का शब्द "की" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "इनकी" रख दिया जाय। इसी प्रकार शब्द "बच्चा" के बाद आने वाले शब्द "ने और" के बाद का शब्द "की" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "इनकी" रख दिया जाय।

श्री चरणसिंह—मुझको स्वीकार है।

अधिष्ठाता—मैं माननीय शिवदान सिंह का संशोधन जिसको कि माननीय रामनरेश शुक्ल ने पेश किया है सदन के सामने रखता हूं। प्रश्न यह है कि—

१—विधेयक की प्रस्तावना (preamble) के चौथे पैराग्राफ में शब्द "ऋणीगण" के स्थान पर शब्द "कर्जदारों" रख दिया जाय।

२—उक्त पैराग्राफ में शब्द "सरोजकुमार गुप्त" के बाद आने वाले शब्द "ने और" के बाद का शब्द "की" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "इनकी" रख दिया जाय। इसी प्रकार शब्द "बच्चा" के बाद आने वाले शब्द "ने और" के बाद का शब्द "की" निकाल दिया जाय और उनके स्थान पर शब्द "इनकी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि प्रस्तावना में पृष्ठ २ की पंक्ति १५ में शब्द "दिये" को निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "दिया जाय" कर दिये जायं।

यह केवल शब्दों का हेरफेर है। यह अंग्रेजी में लफ्ज है "बाई ऐंड बिहाफ" इसलिये यह ठीक है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमारे सम्मुख कुछ भी नहीं है। इसलिये कुछ उल्टा तो नहीं हुआ। इसलिये इतना अर्ज कर देना चाहता हूं कि कुछ उल्टा हुआ तो उनकी जिम्मेदारी है।

अधिष्ठाता—मैं आपके पास कापी भिजवा दूं?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इसको आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूं।

श्री चरणसिंह—मुझे स्वीकार है।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना में पृष्ठ २ की पंक्ति १५ में शब्द "दिये" को निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "दिया जाय" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री चरणसिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरप्रसाद शिक्षानिधि बनारस (समझौता पुष्टीकरण) (संपत्ति संक्रामण) विधेयक, १९५४, जैसा कि आज विधान सभा से संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि श्री हरप्रसाद शिक्षा निधि बनारस (समझौता पुष्टीकरण) (संपत्ति संक्रामण) विधेयक, १९५४ जैसा कि वह आज विधान सभा से संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५३ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
११ मार्च, १९५४।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२४ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी जी के प्रश्न सं० १ के उत्तर में उल्लिखित सूची

नैनीताल जिले के अलग-अलग डिवीजनों में फारेस्ट गार्ड, फारेस्टर, डिप्टी रेंजर तथा रेंजरों की संख्या

पद	डिवीजन				
	हल्द्वानी	रामनगर	तराई भावर	नैनीताल	ट्रेनिंग क्लास
१—फारेस्ट गार्ड	५१	५९	६३	५६	..
२—फारेस्टर	१३	१७	१८	६	..
३—डिप्टी रेंजर	९	५	९	५	..
४—रेंजर	६	७	१	५	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२४ पर।)

श्री नारायणदत्त तिवारी जी के प्रश्न सं० २ के उत्तर में उल्लिखित सूची ।

अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में सन् १९५२ तथा १९५३ में फारेस्ट गार्ड और फारेस्टरों के पदों में रिक्त होनेवाले स्थानों की संख्या और उनमें की गई नियुक्तियां ।

वर्ष	पद	जिला	(रिक्त स्थानों जिनके लिये नियुक्तियां की गईं) स्थायी रूप से	अस्थायी रूप से	योग
सन् १९५२	फारेस्ट गार्ड	अल्मोड़ा	३	..	३
	फारेस्टर	..	२	..	२
..	फारेस्ट गार्ड	नैनीताल	८	८	१६
..	फारेस्टर	..	..	१६	१६
..					
सन् १९५३	फारेस्ट गार्ड	अल्मोड़ा	६	..	६
	फारेस्टर	..	१	..	१
	फारेस्ट गार्ड	नैनीताल	७	४	११
	फारेस्टर	..	..	८	८
	कुल योग		२७	३६	६३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२६ पर।)

आजमगढ़ (घोसी) सामुदायिक योजना पर ३१,१२,१९५३ तक किये गये व्यय का मदवार विवरण।

	कर्जा	कर्जे के अलावा व्यय		योग	पूर्ण योग
		अनावर्त्तक	आवर्त्तक		
क–प्रधान कार्यालय (जिला तथा खंड)	३२,०००	६८,७१८	१८,८९२	८७,६१०	१,१९,६१०
ख–कृषि प्रसार तथा पशु पालन	६,७३१	२,९५९	२७,७८३	३०,७४२	३७,४७३
ग–सिंचाई	४५०	..	..	..	४५०
घ–जमीन का दुबारा प्राप्त किया जाना	३०,०१०	..	..	..	३०,०१०
च–स्वास्थ्य तथा ग्रामों की सफाई	..	२,१७५	४३,८४३	४६,०१८	४६,०१८
छ–शिक्षा	..	१५,८७४	६,४८८	२२,३६२	२२,३६२
ज–सामाजिक शिक्षा	..	२२,१७५	१,३०६	२३,४८१	२३,४८१
झ–यातायात	..	१,२१०	३६,०००	३७,२१०	३७,२१०
त–ग्राम्य कला, दस्तकारी और उद्योग	१०,०००	..	..	..	१०,०००
थ–प्रशिक्षण	..	१,९१०	..	१,९१०	१,९१०
योग ...	७९,१९१	१,१५,०२१	१,३४,३१२	२,४९,३३३	३,२९,५२४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२७ पर)

उत्तर प्रदेश के राजकीय टेक्निकल तथा इन्डस्ट्रियल शिक्षालयों की सूची

क्रम संख्या	शिक्षालय का नाम तथा उसकी स्थिति	शिक्षा का विषय
	१—हरकोर्ट बटलर टेक्नालोजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर।	१—जनरल रिसर्च (अ) डिप्लोमा कोर्स (ब) पोस्ट डिप्लोमा कोर्स २—आयल टेक्नालोजी (अ) डिप्लोमा कोर्स (ब) पोस्ट डिप्लोमा कोर्स ३—अल्पकाल के कोर्स (अ) आयल मिलिंग (ब) साबुन बनाना (स) आयल पेन्ट तथा वार्निश बनाना पी० एच० डी०
	२—राजकीय सेन्ट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, कानपुर।	१—जनरल टेक्सटाइल टेक्नालोजी (अ) इन्टरमीडियेट टेक्सटाइल्स वीविंग टेक्नालोजी। २—सीनियर पार्ट टाइम अपरेन्टिस कोर्स ३—रंगाई तथा छपाई का आर्टिजन कोर्स
	३—राजकीय टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ।	१—मेकैनिकल इंजीनियरिंग २—इलेक्ट्रिकल ३—लाइटमशीन मेकैनिक क्लास ४—आयल इंजिन ड्राइवर क्लास ५—वायरमैन क्लास ६—पेन्टिंग
	४—राजकीय अक्यूपेशनल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ।	१—मोटर मेकैनिक्स २—रेडियो मेकैनिक्स ३—विद्युतयन्त्र मेकैनिक्स ४—वेल्डर (विद्युत तथा गैस) ५—प्लम्बर्स ६—टिन तथा कापर स्मिथी ड्राइवर्स ७—स्टीम इंजिन क्लास ८—इंजिन ड्राइवर (इन्टर कम्बस्चन इंजिन)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	शिक्षालय का नाम तथा उसकी स्थिति	शिक्षा का विषय
५	राजकीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, गोरखपुर।	१—मेकेनिकल इंजिनियरिंग
		२—इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
		३—आर्टिजन क्लास
		४—वायरमेन क्लास
६	राजकीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, गाजीपुर	१—मिलराइट
		२—मशीनिस्ट
		३—मोल्डर्स
		४—स्मिथी
		५—बेल्डर्स
७	राजकीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, झांसी।	मेकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
८	राजकीय लेदर वर्किंग स्कूल, कानपुर।	१—हाई स्कूल (चर्मकला)
		२—सर्टीफिकेट इन लेदर
९	राजकीय सेंट्रल उड वर्किंग इंस्टीट्यूट, बरेली।	१—एलीमेन्ट्री कैबिनेट मेकिंग एन्ड ज्वाइनिंग
		२—एडवान्स कैबिनेट मेकिंग ऐन्ड ज्वाइनिंग
		३—फोरमेन कैबिनेट मेकिंग ऐन्ड ज्वाइनिंग
		४—आर्टिजन कैबिनेट मेकिंग ऐन्ड ज्वाइनिंग
		५—मशीन टूल्स क्लास
		६—पेंटिंग तथा पालिशिंग क्लास
		७—अपहोल्सट्री क्लास
		८—किन आरेटर्स
		९—वोकेनल क्लास ऐंण्ड ९ क्लास
१०	राजकीय ट्रेनिंग स्कूल, फतेहपुर।	टैनिंग का काम
११	राजकीय कार्पेन्ट्री स्कूल, इलाहाबाद।	१—जेनरल बुक वर्किंग क्लास
		२—ऐडवांस बुक वर्किंग क्लास
		३—टीचर्स ट्रेनिंग क्लास
		४—पेन्ट व पालिश क्लास
		५—अपहोल्सट्री क्लास
		६—हाई स्कूल (कारपेन्ट्री)
		७—आर्टिजन क्लास
१२	राजकीय अक्यूपेशनल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद।	१—जेनरल मशीनिस्ट
		२—टूल मेकर्स
		३—टर्नर
		४—कापर तथा टिन स्मिथी क्लास

उपर्य प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	शिक्षालय का नाम व स्थान	विषय
१३	राजकीय सेंट्रल वीविंग इंस्टीट्यूट, बनारस।	१—सीनियर क्लास सुपरिडेन्डेन्ट और मैनेजरों के लिये। २—ऐडवांस क्लास इंस्ट्रेक्टर और मिस्त्री के लिये। ३—जूनियर क्लास इन्सट्रक्टर और मिस्त्री के लिये। ४—आर्टिजन क्लास रंगाई व बुनाई।
१४	राजकीय स्कूल आफ आर्ट ऐन्ड क्राट्स, लखनऊ।	१—ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग क्लास। २—प्रांकिटेक्चरल डिजाइन तथा डैकट् समैनशिप ३—फाइन आर्ट्स ४—ड्राइंग रिप्रोडक्सन क्लास के लिये। ५—आर्ट प्रिंटिंग ६—वुड वर्क क्लास ७—गोल्ड स्मिथी ८—आयरन वर्कस क्लास ९—क्ले माडलिंग १०—शेप मेकिंग
१५	चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय बहुधन्धी शिक्षालय, मेरठ।	१—जनरल मेकैनिक २—मोटर मेकैनिक ३—इलेक्ट्रोप्लेटिंग ४—शीट स्मिथी ५—एलेक्ट्रोशियन
	दौराला में	केमिकल टेक्नालोजी
१६	राजकीय मेटल वर्किंग स्कूल, अलीगढ़।	१—मेकैनिकल क्लास २—आर्टिजन क्लास
१७	बटुकप्रसाद खत्री राजकीय एन्डस्ट्रियल इन्सटीट्यूट, बनारस।	१—नान आर्टिजन कोर्स २—आर्टिजन कोर्स
१८	राजकीय बहुधन्धी शिक्षालय, देहरादून।	१—एलीमेंट्री कैबिनेट मेकिंग एन्ड ज्वाइनिंग २—मोटर मेकैनिक ३—एलेक्ट्रीशियन
१९	राजकीय पालीटेक्निक श्रीनगर-गढ़वाल।	१—बुनाई एवं रंगाई २—बढ़ई कार्य ३—सिलाई

सत्यमेव जयते

क्रम संख्या	शिक्षालय का नाम तथा उसकी स्थिति	शिक्षा का विषय
	२०—राजकीय पालीटेक्नीक, टेहरी।	१—दर्जी का कार्य
		२—काष्ठकला
		३—बुनाई और रंगाई
		४—बेंत का काम
	२१—पंडित जनार्दन जोशी पालीटेक्नीक अल्मोड़ा।	१—बुनाई व रंगाई
		२—बढ़ई कार्य
		३—सिलाई
		४—होजरी
	२२—राजकीय इन्डस्ट्रियल स्कूल, चरखारी हमीरपुर।	१—बुनने का काम व रंगाई
		२—दरी और निवाड़ बुनना
		३—चमड़े का काम
		४—बढ़ई का काम
		५—सिलाई
	२३—राजकीय शिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र मऊ, आजमगढ़।	बुनाई व रंगाई
	२४—स्त्रियों का घरेलू उद्योग सम्बन्धी राजकीय स्कूल, रामपुर।	सिलने का काम और कटाई

उत्तर प्रदेश में राजकीय सहायता प्राप्त टेंक्निकल एवं इंडस्ट्रियल शिक्षालयों की सूची

क्रम सं०	शिक्षालय का नाम व स्थान	विषय
१	हरिजन आश्रम-इलाहाबाद।	टोकरी बनाना, चमड़ा पकाना व लोहे का काम।
२	म्यूनिसिपल लेदर वर्किंग स्कूल, इलाहाबाद।	चमड़े का काम
३	म्यूनिसिपल महिला शिल्पभवन, इलाहाबाद।	हाथ से बुनाई, चमड़े का काम और जिल्दसाजी।
४	यू० पी० डेफ ऐंड डम्ब इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद।	छपाई
५	टेकनिकल कालेज दयालबाग, आगरा।	इलेक्ट्रिकल व मेकैनिकल इंजीनियरिंग एवं आटो मोबाइल इंजीनियरिंग।
६	लेदर वर्कस स्कूल दयालबाग, आगरा।	चमड़े का काम
७	वायरमैन क्लास, दयालबाग, आगरा।	वायरमैन क्लास

क्रम सं०	शिक्षालय का नाम व स्थान	विषय
८	सेंट जौसेफ आरफनेज, आगरा।	सिलाई, हाथ से बुनाई
९	नरेन्द्र विद्या मंदिर, किरौली आगरा।	बुनाई, कताई, लोहारगीरी
१०	प्रेम विद्यालय, रानीखेत, अल्मोड़ा।	कताई
११	क्रिश्चियन स्कूल आफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, बदायूं।	सिलाई, कताई, बढ़ईगीरी
१२	म्यूनिसिपल लेदर वर्किंग स्कूल, बनारस।	चमड़े का कार्य
१३	वेज्ले टेक्निकल, स्कूल, बनारस।	बढईगीरी, सिलाई, लोहारगीरी वायरमैन क्लास
१४	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी सिरेमिक्स, बनारस।	मिट्टी व चीनी के बर्तन बनाना
१५	म्यूनिसिपल टेलरिंग स्कूल, बरेली	सिलाई
१६	हीवेट वीविंग स्कूल, बाराबंकी	बुनाई
१७	मैसन लेदर वर्किंग स्कूल, रुदौली बाराबंकी।	चमड़े का काम
१८	चौबे गुरुनारायण इंडस्ट्रियल स्कूल, मानिकपुर।	लोहारगीरी और विद्युत फिटिंग
१९	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वीविंग स्कूल, गोरखपुर।	बुनाई
२०	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वीविंग स्कूल, गोंडा	बुनाई
२१	महिला शिल्प निकेतन, गाजियाबाद	सिलाई और हाथ की बुनाई
२२	हादी कारपेंट्री स्कूल, हरदोई	कारपेंट्री
२३	डी० वी० इन्डस्ट्रियल स्कूल, हरदोई।	सिलाई-बुनाई
२४	हिन्दू अनाथालय, कानपुर	काष्टकला
२५	मुस्लिम अनाथालय, कानपुर	,,
२६	आर्य समाज टेलरिंग स्कूल, लखनऊ	टेलरिंग
२७	मुस्लिम मुमताज अनाथालय, लखनऊ।	कारपेन्ट्री व चमड़े का काम
२८	आल इन्डिया शिया आरफनेज लखनऊ।	बुनाई, सिलाई, बढ़ईगीरी व चमड़े का काम
२९	डेफ एडंडम्ब इंस्टीट्यूट, लखनऊ।	... ...
३०	काला नेहरू महिला शिक्षाकेन्द्र, लखनऊ	... ...
३१	स्टीवर्ट मेमोरियल स्कूल, सिकन्दरा आगरा।	कारपेन्ट्री टेलरिंग चमड़े का काम

विधान सभा

क्रम सं०	शिक्षालय का नाम व स्थान	विषय
३२	ईश्वरदास टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बहजोई, मुरादाबाद।	मेकैनिकल इन्जीनियारिंग
३३	कुंवर लालसिंह मानसिंह इंस्ट्रियल स्कूल, मैनपुरी।	वीविंग टेलरिंग कारपेन्ट्री और तारकशी का काम
३४	महिला शिल्प विद्यालय, मथुरा।	सिलाई, बुनाई, कसीदाकारी, खिलौने बनाना, चमड़े का काम व हाथ की बुनाई
३५	प्रेम महाविद्यालय इंजीनियरिंग, वृन्दावन, मथुरा	इंजीनियरिंग
३६	वैश्य अनाथालय, मेरठ।	कारपेन्ट्री तथा टेलरिंग
३७	उर्मिला महिला दस्तकारी स्कूल, मेरठ।	वीविंग टेलरिंग तथा खिलौने बनाना।
३८	महिला शिल्प कुटीर शीतलगली, आगरा।	सिलाई, कसीदाकारी, बुनाई, झंसी लेदर तथा कताई।
३९	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कारपेन्ट्री स्कूल, अल्मोड़ा।	काष्ठकला, तारकशी, पालिश तथा कैनिंग।
४०	राजेश शिल्प कला मन्दिर, कानपुर।	कसीदाकारी, सिलाई, मुलायम खिलौने बनाना तथा सलमे का काम।
४१	महिला शिल्प शिक्षालय, लखनऊ।	बुनाई, कसीदाकारी, सिलाई।
४२	श्री गांधी औद्योगिक कालेज, उरई, जालौन।	सिलाई, काष्ठकला, बुनाई तथा लोहारगीरी।
४३	महिला सोशल सर्विस लीग (यू० पी०) पालीटेकिनिक सेक्शन, लखनऊ।	सिलाई, कटाई कसीदाकारी तथा कताई।
४४	गीता आश्रम महिला इंडस्ट्रियल इस्टीट्यूट, मथुरा।	सिलाई, बुनाई, कसीदाकारी तथा कताई।
४५	पिकेट इन्डस्ट्रियल स्कूल खतौली, मुजफ्फरनगर।	काष्ठकला तथा लकड़ी के खिलौने बनाना।
४६	महिला शिल्प कला विद्यालय, नैनीताल।	करघे की बुनाई, कसीदाकारी, बुनाई, सिलाई तथा चमड़े का काम।
४७	नेत्र अस्पताल के साथ लगा हुआ अन्धों का निवास स्थान, सीतापुर।	.....
४८	श्रद्धानन्द अनाथ बनिता आश्रम, देहरादून।	दरी की बुनाई, बुनाई होजरी सिलाई,
४९	गर्ल्स कालेज आफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इलाहाबाद।	कटाई तथा सिलाई, हाथ की तथा मशीन की कसीदाकारी, सलमा तथा जरी का काम, बुनाई।
५०	कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल, कसौरी, अल्मोड़ा।	सिलाई, बुनाई, कसीदाकारी, कताई तथा बुनाई।

क्रम-संख्या	शिक्षालय का नाम व स्थान	विषय
५१	महिला शिल्प कला विद्यालय, कानपुर।	सिलाई, बुनाई व कसीदाकारी।
५२	महिला शिल्प कला केन्द्र, हरद्वार।	सिलाई, कटाई व कसीदाकारी।
५३	कन्याकला पाठशाला, मुरादाबाद।	सिलाई, कसीदाकारी बनाई, मशीन का काम
५४	महिला शिल्प कला विद्यालय, चन्दौसी।	सिलाई, कसीदाकारी, बुनाई
५५	महिला शिल्प सदन, मथुरा	सिलाई बुनाई और कसीदाकारी
५६	जिला बोर्ड आर्ट्स स्कूल, मुजफ्फरनगर	सिलाई तथा काष्ठकला
५७	बरेली कला केन्द्र, बरेली	सिलाई तथा कसीदाकारी
५८	महिला उद्योग केन्द्र, बनारस	कटाई, सिलाई, बुनाई समला तथा बदला का कार्य
५९	आर०, आर०, पी०, इंटर कालेज, मछलीशहर, जौनपुर	कताई व बुनाई

नत्थी 'घ' (१)

(देखिए तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३७ पर)

क्रम संख्या	मिल का नाम	१९५२-५३ सीजन: पूरे गन्ने का मूल्य	१९५२-५३ सीजन: शेष ३१-१-५४ तक	१९५३-५४ सीजन: पूरे गन्ने का मूल्य	१९५३-५४ सीजन: शेष ३१-१-५४ तक	टिप्पणी
		लाख रु० में		लाख रु० में		
	१	२	३	४	५	६
१	बेगमाबाद	२५.८०	..	२५.२१	३.३१	
२	मोहिउद्दीनपुर	११.७३	.१५	२४.६९	३.६४	
३	मलियाना	२५.२६	.८	?	६.०४	
४	सिभौली	३२.३६	..	२६.८७	६.४३	
५	डौराला	३३.९९	..	२६.६०	४.५१	
६	मवाना	२४.८४	..	??	५.५६	
७	खोती टांडा	२१.२७	.००४	१९.५७	३.१७	
८	शामली	५२.९९	..	३८.२४	२.९९	
९	खतौली	३२.४६	.०३	३०.७१	५.७२	
१०	रोहाना	३९.६४	..	३२.७४	६.२२	
११	मन्सूरपुर	३९.७३	..	३३.७७	६.६९	
१२	सहारनपुर	४६.२३	..	३०.१३	६.४०	
१३	लक्सर	४९.३६	..	२३.०२	५.८२	
१४	देवबन्द	४२.९१	..	३०.१६	३.८४	
१५	डोईवाला	१६.९५	..	८.९९	२.८४	

क्रम-संख्या	मिल का नाम	१९५२–५३ सीजन पूरे गन्ने का मूल्य	१९५२–५३ सीजन शेष (३१-१-५४) तक	१९५३-५४ सीजन ३१-१-५४ तक पूरे गन्ने का मूल्य	१९५३-५४ सीजन ३१-१-५४ तक शेष	टिप्पणी
	१	२	३	४	५	६
		लाख रु० में		लाख रु० में		
१६	बरेली	२९.५२	.१६ (१५-२-५४ तक)	२०.९२	४.७२	८-२-५४ तक।
१७	बहेड़ी	३९.७५	..	२२.३४	.४३	
१८	बिलाड़ी	३६.१५	.४५	३३.७५	२.७९	१५-२-५४ तक।
१९	अमरोहा	३८.२४	.०२	२९.२०	२.५४	
२०	बिजनौर	४९.४५	..	२६.३२	.३०	
२१	धामपुर	४०.२०	.३०	२०.९७	५.३६	
२२	सिवहारा	९२.६२	.०९	५२.३७	.६०	
२३	काशीपुर	३०.०२	.२१	१४.८३	३.६५	
२४	गोकुलनगर	२६.१४	१०.१५	..	..	
२५	पीलीभीत	६४.१४	..	३३.५९	११.२१	
२६	रामपुर	८२.८२	.०६	२७.२१	६.३०	
२७	रोजा	२०.६३	..	१३.८६	२.८९	
२८	नेवली	३६.२९	.००५	२३.४५	४.०२	१५-२-५४ तक।
२९	गोला	११८.९५	.२४	५४.३३	३.८६	
३०	ऐरा	११.२४	.६०	१.७९	.३०	
३१	हरगांव	९३.५२	.०७	४२.५३	१.०१	
३२	महोली	४२.८४	..	३२.५८	२.२२	१५-२-५४ तक।
३३	बिसवां	२६.९९	..	१८.६१	.९७	
३४	बुढ़वल	२१.६१	..	११.६०	१.२८	
३५	बाराबंकी	३१.३५	.१७	१८.७४	२.५३	
३६	मसोधा	२४.५२	.०४	?	३.३८	
३७	शाहगंज	२७.८०	.०३	?	१.७०	
३८	हरदोई	४२.३५	..	२७.९२	.८६	
३९	नवाबगंज	४०.१४	.०१	१६.४२	१.१८	
४०	बलरामपुर	३२.४०	.०८	१०.१६	३.२३	
४१	तुलसीपुर	२९.६८	.२६	११.८३	३.३७	
४२	बभनान	३३.२१	..	११.२७	.६२	
४३	खलीलाबाद	९.०४	.००१	११.३७	.७५	
४४	मुंडेरवा	२२.९५	..	?	२.६९	१५-२-५४ तक।
४५	बस्ती	२३.७९	..	१३.२०	.९९	
४६	वाल्टरगंज	३१.४२	..	७.७४	१.५५	
४७	जरवल	२५.१४	..	१३.४०	४.२६	
४८	सिसवाबाजार	२५.९२	..	१२.१०	२.४५	
४९	फरेंदा	३१.३१	२.४०	१५.९५	२.०७	
५०	घुघली	३६.९८	..	?	४.१७	१५-१-५४ तक।

क्रम-संख्या	मिल का नाम	१९५२–५३ सीजन पूरे गन्ने का मूल्य	शेष (३१-१-५४) तक	१९५३–५४ सीजन ३१-१-५४ तक पूरे गन्ने का मूल्य	शेष	टिप्पणी
	१	२	३	४	५	६
		लाख रु० में		लाख रु० में		
५१	पिपराइच	३२.११	..	१६.१८	४.१४	
५२	सरदारनगर	८१.१७	.२६	?	८.४२	
५३	छितौनी	२८.१२	.१०	१५.८८	५.९६	
५४	खड्डा	२४.५६	३.१६	६.५३	६.५३	
५५	कप्तानगंज	३७.८१	..	१५.५२	२.३८	
५६	लक्ष्मीगंज	२७.३०	.०६	१५.११	५.३४	
५७	पदरौना	२८.९७	..	११.०५	१०.४६	
५८	सिवराही	३३.०१	.०१	१४.७०	४.५७	
५९	रामकोला (खेतान)	२७.२२	.१०	१७.६९	५.५१	
६०	रामकोला (पंजाबी)	४५.८७	..	२४.२५	५.५१	
६१	कठकुइयां	२१.०२	३.७४	५.९८	२.२१	
६२	देवरिया (पंजाबी)	३०.२३	.०५	१३.५७	२.१८	
६३	गौराबाजार	३०.२०	..	११.४०	२.७७	
६४	बैतालपुर	३५.३५	.१८	१६.९६	५.०९	
६५	प्रतापपुर	२४.८३	.१०	३.७८	१.०७	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी ङ

(देखिये पीछे पृष्ठ पर)

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९५४

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में और अधिक संशोधन करने के लिये,

विधेयक

ऐसे प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में और अधिक संशोधन करना आवश्यक है; अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह धारा तुरन्त प्रचलित होगी और शेष धारायें ऐसे दिनांक से प्रचलित होंगी जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस संबंध में निश्चित करे और विभिन्न धाराओं के निमित्त विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

२—यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (२) में से शब्द "the Jaunsar-Bawar pargana of the Dehra Dun District and the portion of Mirzapur District, south of Kaimur Range and" निकाल दिये जायं और शब्द "Municipality" तथा "Notified area" के बीच में आये हुये 'कामा' के स्थान पर शब्द "or" रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा २ में—

(१) खंड (*b*) में शब्द और कामा "male or female," निकाल दिये जायं और शब्द "completed his or her twenty-first year" के स्थान पर शब्द "attained the age of twenty-one years" रख दिये जायं;

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २ का संशोधन।

(२) खंड (*i*) निकाल दिया जाय।

(३) वर्तमान खंड (*m*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*m*) 'revenue case' means a case under the United Povinces Land Revenue Act 1901, or the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act 1950, or any other law relating to land tenure triable by a Nyaya panchayat;"

U. P. Act III of 1901.
U. P. Act I of 1951.

(४) खंड (*m*) के बाद नये खंड (*mm*) के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*mm*) 'public property' and 'public land' mean any building, pudlic park or garden or other place to which for the time being the public have or are permitted to have access whether on payment or otherwise;"

(५) खंड (*o*) में अन्त में आये हुये सेमीकोलन के स्थान पर कामा रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"but does not include any such road, street, bridge, lane, square, court, alley or passage owned, maintained or repaired by the State Government or the Central Government or any other local authority;"

(६) खंड (*r*) निकाल दिया जाय

(७) खंड (*t*) के अन्त में आये हुये सेमीकोलन के स्थान पर कामा रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

"and includes any area which the State Government may, by general or special order, declare to be a village for the purposes of this Act;" और

(८) खंड (*n*) और (*v*) निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में शब्द "nyaya panchayat" आदि का रखा जाना।

४—मूल अधिनियम में—

(क) शब्द "Panchayati Adalat" जहां कहीं भी वह आया हो उसके स्थान पर शब्द "Nyaya Panchayat"

(ख) धारा 77-A की उपधारा (1) के अन्त में, धारा ९५ के खंड (*c*) में और धारा १०३ और १०६ में आये हुये शब्द "Proceeding" को छोड़ कर जहां कहीं भी शब्द "Proceeding" आया हो उसके स्थान पर शब्द "revenue case" और

(ग) शब्द "budget" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द "annual estimate of income and expenditure" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Membership of Gaon Sabha.

"5. (1) A Goan Sabha shall consist of all adults ordinarily resident within the area for which it is established but a person shall be disqualified for being a member of the Goan Sabha if he—

(*a*) is not a citizen of India; or

(*b*) is of unsound mind and stands so declared by a competent court.

(2) A person shall be deemed to be ordinarily resident in a village if he has been ordinarily residing in such village or owns or is in possession of a dwelling house, therein, ready for occupational".

६—मूल अधिनियम की धारा ५ के बाद निम्नलिखित नई धारायें 5-A और 5-B के रूप में बढ़ा दी जायं—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नई धारायें 5-A और 5-B का रखा जाना।

"5-A. A person shall be disqualified for being chosen, nominated or appointed to, and for holding any office in the Gaon Sabha or the Gaon Panchayat, or the Nyaya Panchayat constituted under section 42, if he—

Disqualification for holding office under Gaon Sabha or Nyaya Panchayat.

(*a*) is, for the time being, not a member of the Goan Sabha concerned,

(*b*) holds any office of profit under the State Government or the Central Government or a local authority (other than a Gaon Sabha or Nyaya Panchayat),

(*c*) is, salaried servant of the Gaon Sabha or Nyaya Panchayat,

(*d*) has been dismissed from the service of the State Government, the Central Government or a local authority or a Nyaya Panchayat for misconduct,

(*e*) is in arrears of any tax, fee or rate due by him to Gaon Sabha for such period as may be prescribed,

(*f*) is suffering from leprosy,

(*g*) is an undischarged insolvent,

(*h*) has been convicted of an offence involving moral turpitude, or

V of 1898 (*i*) has been ordered to give security for good behaviour under section 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1898,

(*j*) is convicted of an election offence:

Provided that the disqualification under clauses (*d*), (*g*), (*h*), (*i*) and (*j*) may in the manner prescribed be removed by the State Government:

Provided further that the disqualification under clause (*e*) shall cease upon payment of the arrears.

"5-B. A member of a Gaon Sabha shall not be qualified to be chosen as President unless he is not less than 30 years of age and, except where the prescribed authority may relax, knows to read and write Hindi in Devanagari Characters."

Qualifications for holding office of President.

७—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६ का संशोधन।

"6. (1) A member of a Gaon Sabha shall cease to be a member if—

Cesation of membership.

(*a*) he is disqualified under section 5, or

(*b*) the area to where he resides has been excluded from the jurisdiction of the Gaon Sabha, or

(*c*) he has ceased to be ordinarily resident within the jurisdiction of the Gaon Sabha.

(2) Where any person ceases to be a member of a Gaon Sadha under sub-section (1) he shall also cease to hold any office to which he may have been elected, nominated or appointed by reason of his being a member there of."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नई धारा 6-A का रखा जाना।

८—मूल अधिनियम की धारा ६ के बाद निम्नलिखित नई धारा 6-A के रूप में रख दिया जाय:—

"6-A. If any question arises as to whether a person has become subject to any disqualification mentioned in section 5, 5-A or sub-section (1) of section 6, the question shall be referred for the decision of the prescribed authority and his decision shall, subject to the result of any appeal as may be prescribed, be final, and the name of the person shall, if necessary, be struck off from the register of members."

Decision on question as to disqualification.

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ७ का निकाला जाना।

९—मूल अधिनियम की धारा ७ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा ९ में शब्द "permanently" के स्थान पर शब्द "ordinarily" रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ११ का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

11. (1) Every Gaon Sabha shall hold two general meetings in each year, one soon after harvesting of the *kharif* crop (hereinafter called the *kharif* meeting) and the other soon after harvesting of the *rabi* crop (hereinafter called the *rabi* meeting):

Meeting of Gaon Sabha.

Provided that the President at any time may, or upon a requisition in writing of the prescribed authority or by no less than one-fifth of the members shall, within 30 days from the receipt of such requisition, call an extraordinary general meeting. The time and place of all the meetings of the Gaon Sabha shall be published in the prescribed manner :

Provided further that where the President fails to call a meeting as aforesaid the prescribed authority may do so within a period to be prescribed.

(2) For any meeting of the Gaon Sabha one-fifth of the total number of members of the Gaon Sabha shall form the quorum: provided that no quorum shall be necessary for a meeting adjourned for want of quorum."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नई धाराओं 11-A, 11-B और 11-C का बढ़ाया जाना।

१२—मूल अधिनियम की धारा ११ के बाद निम्नलिखित नई धारायें 11-A, 11-B और 11-C बढ़ा दी जायं—

"11-A. (1) The President shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst them in such manner as may be prescribed and he shall be called Pradhan."

Election of President.

(2) The term of office of the Pradhan shall be 5 years from the date of his election : Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend the term from time to time for a period not exceeding one year at a time.

(3) The declaration under sub-section (2) may be published at any time before the expiry of 5 years aforesaid or where the period has been extended before the expiry of such extended period.

Election of Vice-President.

11-B (1) The Vice-President shall be elected annually by the Gaon Panchayat from amongst its members in such manner as may be prescribed and he shall be called Up-Pradhan.

(2) The term of office of Up-Pradhan shall be one year from the date of his election.

Prohibiton of holding office simultaneously in Gaon Panchayat Nyaya Panchayat and in more than one Gaon Sabha.

"11-C. No person shall simultaneously hold any office both—

(*a*) in the Gaon Panchayat and Nyaya Panchayat, or

(*b*) in more than one Gaon Sabha and the rules may provide for the vacation by a member who is so chosen to two such offices for the vacation of one or the other office."

१३—मूल अधिनियम की धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १२ का संशोधन

Establishment and constiution of Gaon Panchayat.

"12. (1) As soon as may be after its establishment, every Gaon Sabha shall elect from Committee amongst its members an Executive called the Gaon Panchayat.

(2) The number of members of a Gaon Panchayat shall be such as may be prescribed and the President and the Vice-President of the Gaon Sabha shall be *ex-officio* President and Vice-President of the Gaon Panchayat.

(3) The term of office of a member of Gaon Panchayat other than a President or Vice-President or a member chosen to fill a casual vacancy shall be 5 years:

Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend the term from time to time for a period not exceeding one year at a time.

(4) The declaration under sub-section (3) may be published at any time before the expiry of five years aforesaid or when the period has been extended before the expiry of such extended period.

(5) The area of a Gaon Sabha may be divided by the prescribed authority into such number of constituencies as may be convenient for the purpose of election.

(6) The election of the members of as Gaon Panchayat shall be held on joint electorate system in such manner a may be prescribed and the rules may provide for the payment of fees and the furnishing of security deposit.

(7) Seats shall be reserved for scheduled castes in the Gaon Panchayat and the number of seats so reserved shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats in the Gaon Panchayat as the population of the scheduled castes in the area of the Gaon Sabha bears to the total population of such area.

(8) Where a Gaon Sabha has failed to elect the full number of members prescribed under sub-section (2), it shall be lawful for the State Government or such authority as may be prescribed to fill in the seats so remaining vacant by nomination from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so nominated shall be deemed as if he had been duly elected in accordance with the provisions of this Act."

१४—मूल अधिनियम की धारा १२ के बाद निम्नलिखित नई धाराएं 12-A, 12-B, 12-C, 12-D, 12-E, 12-F, 12-G, 12-H, 12-I, 12-J, और 12-K के रूप में बढ़ा दी जायं—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९५७ में नई धाराएं 12-A, से 12-K, तक बढ़ाया जाना।

Number of persons to be elected for Gaon Panchayat and Nyaya Panchayat.

"12-A. For the purpose of electing members of Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from amongst its members such number as shall exceed by five the number prescribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after the District Magistrate has selected five persons under section 43 formembership of Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat.

Additional members.

12-B. (1) Notwithstanding anything in section 12, the State Government may, if it is satisfied upon the result of election of members to a Gaon Panchayat that any village included in the Gaon Sabha is not represented, appoint additional members not exceeding five as it may deem necessary, and wherever the State Government so appoints any members, the number of members prescribed under sub-section (2) of the said section shall be deemed to have been enlarged accordingly.

(2) In addition to the members prescribed under section 12 or appointed under sub-section (1) of this section the State Government may, by a general or special order, direct that one or more members of Prantiya Rakshak Dal having such qualifications as may be prescribed shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Gaon Panchayat or any committee thereof as may be specified. Such person shall not, however, by virtue of this sub-section be entitled to invoke the meetings of the Gaon Panchayat or the committees.

Appliaction for questioning the elections.

12-C. (1) The election of a person as President of a Gaon Sabha or as member of a Gaon Panchayat including the election of a person who may be appointed as a Panch of a Nyaya Panchayat under section 43 shall not be called in question except by an application presented to such authority within such time and in such manner as may be prescribed on the ground that—

(*a*) the election has not been a free election by reason that the corrupt practice of bribery or undue influence has extensively prevailed at the election, or

(*b*) that the result of the election has been materially affected—

(i) by the improper acceptance or rejection of any nomination; or

(ii) by gross failure to comply with the provisions of this Act or the rules framed thereunder.

(2) The following shall be deemed to be corrupt practices of bribery or undue influence for the purposes of this Act:

(A) (1) Bribery, that is to say, any gift, offer or promise by a candidate or by any other person with the connivance of a candidate of any gratification to any person whomsoever, with the object, directly or indirectly, of inducing—

(*a*) a person to stand or not to stand as, or to withdraw from being, a candidate at an election; or

(*b*) an elector to vote or refrain from voting at an election; or as a reward to—

(i) a person from having so stood or not stood, or for having withdrawn his candidatures; or

(ii) an elector for having voted or refrained from voting.

(B) Undue influence, that is to say, any direct or indirect interference or attempt to interfere on the part of a candidate or of any other person with the connivance of the candidate with the free exercise of any electoral right :

Provided that without prejudice to the generality of the provisions of this clause any such person as is referred to therein who—

(i) threatens any candidate, or any elector, or any person in whom a candidate or an elector is interested, with injury of any kind including social ostracism and ex-communication or expulsion from any caste or community; or

(ii) induces or attempts to induce a candidate or an elector to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure, shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or elector within the meaning of this clause.

(3) The application under sub-section (1) may be presented by any candidate at the election or any elector and shall contain such particulars as may be prescribed.

Explanation—Any person who filed a nomination paper at the election whether such nomination paper was accepted or rejected, shall be deemed to be a candidate at the election.

(4) The authority to whom the application under sub-section (1) is made shall, in the matter of—

(i) hearing of the application and the procedure to be followed at such hearing,

(ii) setting aside the election or declaring the election to be void or declaring the applicant to be duly elected or any other relief that may be granted to the petitioner,

have such powers and authority as may be prescribed.

(5) Without prejudice to the generality of the powers to be prescribed under sub-section (4) the rules may provide for the summary hearing and disposal of an application under sub-section (1).

(6) The order passed by the prescribeed authority upon an application under sub-section (1) shall be final and conclusive, and shall not be questioned in any Court.

Disputes pertaining to the election of Vice-President, Sarpanch or Sahayak Sarpanch.

12-D. Any dispute relating to the election of Vice-President of a Gaon Sabha or a Sarpanch or Sahayak Sarpanch of a Nyaya Panchayat shall be referred in the manner prescribed to the prescribed authority whose decision thereon shall be final and conclusive and shall not be questioned in any Civil Court.

Oath of office

12-E. (1) Every member of a Gaon Sabha shall, before entering upon any office referred to in sections 11-A, 11-B, 12-A, 43 or 44, make and subscribe before such authority as may be prescribed an oath or affirmation in the form to be prescribed.

(2) Any member who declines or otherwise refuses to make and subscribe an oath or affirmation as aforesaid shall be deemed to have vacated the office forthwith.

Resignation

12-F. A President, Vice-President or a member of a Gaon Panchayat may, by writing under his hand addressed to such authority as may be prescribed resign his office and his office shall thereupon become, vacant.

General Elections.

12-G. Notwithstandng anything contained in sections 11-A, 11-B, sub-section (3) of section 12 and section 45 the State Government may at any time order a general election of Presidents of Gaon Sabhas and members of Gaon Panchayats including Panches of Nyaya Panchayats in the whole State or in any specified area thereof.

Casual vacancies.

12-H. If a vacancy in the office of a member of a Gaon Panchayat arises by reason of his death, removal or resignation it shall, subject to the provisions of section 12, be filled for the

unexpired part of his term in the manner provided therein and if the member vacating the office was also a President or Vice-President then that office shall also be filled as far as may be in the manner laid down in and under section 11-A or section 11-B as the case may be.

Jurisdiction of Civil Courts in electon matter barred.

12-J. No Civil Court shall have jurisdiction to question the legality of any action taken or any decision given by an officer or authority appointed under this Act, in connection with the conduct of elections thereunder.

Power of Vice-President.

12-J. The Vice-President shall exercise such powers of the President as may be prescribed.

Tenure of office of President and Vice-President.

12-K. Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 11-A or of 11-B the President and the Vice-President shall continue in office until their respective successors are elected or appointed."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १३ का संशोधन।

१५—मूल अधिनियम की धारा १३ में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय :

"Provided that where for any reason an annual estimate of income and expenditure is not passed by a Gaon Sabha in its *kharif* meeting, it may be passed by it at any subsequent meeting before such date as may be prescribed under sub-section (4) of section 41."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १४ का संशोधन।

१६—मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Removal of President and Vice-President,

"14. The Gaon Sabha may at a meeting specially convened for the purpose and of which at least 15 days previous notice shall be given remove the President or the Vice-President by a majority of two-thirds of the members present and voting. The procedure to be followed at the meeting shall be such as may be prescribed."

यू० पी० ऐक्ट २६ १९४७ की धारा १५ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा १५ में—

(१) खंड (*h*) में शब्द "hats" और शब्द "within" के बीच शब्द "held on land vested in the Gaon Samaj established under section 113 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950" रख दिये जायं;

(२) वर्तमान खंड (t) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(t) the maintenance and control of class (1) and Kaiser-Hind forest, waste lands (benap), water channels and drinking places (panghat) in the hill patties of the Kumaon Division."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १६ का संशोधन।

१८—मूल अधिनियम की धारा १६ में—

(१) खंड (*b*) में शब्द "them" और उसके बाद पड़ने वाले सेमीकोलन के पश्चात् शब्द "including the maintenance of pedigree bulls";

(२) खंड (*l*) में शब्द "sweepings" और उसके बाद पड़ने वाले सेमीकोलन के पश्चात् शब्द "and making arrangements for the disposal of carcasses of animals";

रख दिये जायं ; और

(३) खंड (–) के बाद निम्नलिखित नया खंड (*s*) जोड़ दिया जाय—

"(*s*) making arrangements for the seizure and disposal of stray cattle."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारायें १९ और २० का संशोधन।

१९—मूल अधिनियम की धारायें १९ और २० में शब्द "Ayurvedic" जहां कहीं भी वह आया हो के बाद कामा बढ़ा दिया जाय और उसके बाद शब्द "Homoeopathic" बढ़ा दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २२ का संशोधन।

२०—मूल अधिनियम की धारा २२ में शब्द "Patwari" और "or" के बीच में कामा बढ़ा दिया जाय और उसके बाद शब्द "Chowkidar" बढ़ा दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २३ का संशोधन।

२१—मूल अधिनियम की धारा २३ में:

(१) शब्द "of" और "official" के बीच में आये हुये शब्द "their" के स्थान पर शब्द "his" रख दिया जाय।

(२) शब्द "Constable" के बाद शब्द "Chowkidar" और उसके बाद कामा बढ़ा दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २४ का संशोधन।

२२—मूल अधिनियम की धारा २४ में:

(१) खंड (*a*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*a*) with the State Government or any local authority to collect any taxes or dues payable to the State or to such local authority upon payment of such collection charges as may be prescribed; or"

(२) खंड (*b*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*b*) with the State Government or any local authority for carrying out any work on such terms as may be agreed upon."

२३—मूल अधिनियम की धारा २५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २५ का संशोधन।

"Staff 25. (1) A Gaon Panchayat may, subject to the previous approval of the prescribed authority, appoint such staff other than the Secretary as may from time to time be necessary:

Provided that in any emergency the Gaon Panchayat may appoint any person without the previous approval of the prescribed authority and every such appointment shall be liable to termination if the prescribed authority so directs.

(2) The power to appoint, punish, discharge, dismiss or control a servant of the Gaon Sabha other than a Secretary shall be vested in the Gaon Panchayat, but the Gaon Panchayat may delegate to such officer, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, the power to impose any punishment other than discharge or dismissal.

(3) An appeal from an order punishing, discharging or dismissing a servant shall lie—

(*a*) to the prescribed authority where such an order is passed by the Gaon Panchayat, and

(*b*) to the Gaon Panchayat, where such an order is passed by an officer to whom such powers have been delegated under sub-section (2).

(4) The prescribed authority may, subject to the conditions as may be prescribed, tranfer any person from the staff of one Gaon Panchayat to the staff of any other Gaon Panchayat or group of Gaon Panchayats within the same district and the State Government may similarly transfer any such person from one district to another.

(5) A Nyaya Panchayat may with the previous sanction of the prescribed authority appoint persons on its staff in the manner prescribed. Person so appointed shall be under the administrative control of the prescribed authority, who shall have power to transfer, punish, discharge or dismiss them.

(6) Appeal shall lie from an order of the prescribed authority under sub-section (5) to an authority appointed in this behalf by the State Government.

२४—मूल अधिनियम की धारा 25—A में शब्द "Secretary Gaon Sabha or Sabhas" के स्थान पर "Secretary of the Gaon Sabha or Sabhas" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २५ ए-का संशोधन।

२५—मूल अधिनियम की धारा ३१ में शब्द और संख्या "30 and 114" के स्थान पर शब्द और संख्या "30, 37-A and 41" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६ १९४७ की धार' ३१ का संशोधन॥

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ३२ का संशोधन।

२६—मूल अधिनियम की धारा ३२ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"Gaon Fund.

(1) There shall be a Gaon Fund for each Gaon Sabha and the same shall, subject to the provisions of the annual estimate of income and expenditure passed under section 41 be utilized for carrying out the duties or obligations imposed upon the Gaon Sabha or the Gaon Panchayat or any committee thereof by this or any other enactment.

(2) Section 32 of the Principal Act shall be placed under the heading of chapter V occurring immediately before section 33."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ३६ का संशोधन।

२७—मूल अधिनियम की धारा ३६ में शब्द "State Government" के बाद शब्द "or any other Gaon Sabha" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट, २६ १९४७ की धारा ३७ का संशोधन।

२८—मूल अधिनियम की धारा ३७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"Imposition of Taxes and fees.

37. (1) Subject to the rules made or directions given or restrictions imposed by the State Government, a Gaon Sabha may levy—

(*a*) in areas where the rights, titles and interests of intermediaries have been acquired under section 4 of the Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, a tax on land not exceeding one anna in a rupee on the amount of land revenue payable therefor :

Provided that where the land is in the actual cultivation of a person other than the person liable to pay land revenue therefor, the tax shall be payable by such person in actual cultivation;

(*b*) in areas other than those referred to in clause (*a*) a tax on rent not exceeding one anna in a rupee on the amount of rent payable by a tenant by whatever name called, under the law in force relating to land tenures;

(*c*) a fee subject to a maximum of Rs. 6 per annum on persons carrying on any trade, calling or profession within the jurisdiction of the Gaon Sabha :

Provided that in the case of theatre, cinema and similar entertainment temporarily stationed in the area of the Gaon Sabha, a fee not exceeding Re. 1 per diem as may be approved by the prescribed authority may be levied ;

(*d*) a tax payable by the owner thereof on animals and vehicles other than mechanically propelled

vehicles kept within the area of the Gaon Sabh and plied for hire, at the rate—

(i) in the case of animals, not exceeding Rupees 3 per animal per annum;

(ii) in the case of vehicles, not exceeding Rupees 6 per vehicle per annum;

(*e*) fees on persons, not being persons assessed to fee under clause (*c*), exposing goods for sale in markets, hats or melas belonging to or under the control of the Gaon Sabha concerned ;

(*f*) fees on the registration of animals sold in any market or place belonging to or under the control of the Gaon Sabha ;

(*g*) fees for the use of slaughter houses and encamping grounds;

(*h*) a water rate where water is supplied by the Gaon Sabha ;

(*i*) a tax for cleaning private latrines and drains payable by the owners or occupiers of the houses to which the private latrine or drain is attached, where such cleaning is done through the agency of the Gaon Sabha ;

(*j*) a lighting rate where the lighting of public streets, places of buildings is undertaken by the Gaon Sabha,

(*k*) a tax, not exceeding such rate as may be prescribed on buildings owned by person who do not pay any of the aforesaid taxes and whose annual income exceeds Rs. 300.

(2) The taxes and fees under sub-section (1) shall be imposed and assessed in such manner and realised in such manner and at such times as may be prescribed".

२९—मूल अधिनियम की धारा ३७ में निम्नलिखित धारायें "37-A, 37-B, 37-C or 37-D", और के रूप में रख दी जायं—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नई धारायें ३७—ए से ३७—डी तक का रखा जाना ।

"Imposition of compulsory physical labour.

37-A. (1) A Gaon Sabha may, by a resolution passed by a majority of two-thirds of the members present and voting, declare with reference to any work of public utility undertaken in the circle of the Gaon Sabha that every male member who is not more than 60 years of age shall, unless he is physically disabled, perform physical labour in the executon of the work ;

Provided that no member shall be compelled to perform such labour for more than four days in a month and in the aggregate for more than twenty-four days in a year.

(2) The resolution referred to in sub-section (1) shall be passed in a meeting of the Gaon Sabha specially summoned for the purpose of which such previous notice shall be given as may be prescribed.

(3) Where a resolution has been duly passed under sub-section (1), every member of the Gaon Sabha except those who may be exempted on account of physical disability or the like shall be bound to contribute physical labour in the execution of the work in accordance with the scheme to be prepared by the Gaon Panchayat.

(4) Any person who is bound under sub-section (3) to contribute physical labour and fails to do so without resonable cause to the satisfaction of the Gaon Panchayat shall in lieu thereof contribute such sum not less than Rupee one and not more than Rs. 2 per diem as may be prescribed.

(5) Any contribution payable by a member under sub-section (4) may be realised from him in the manner prescribed under sub-section (2) of section 37 for realisation of taxes.

Appeal against levy of tax or fee.

37-B. (1) An appeal against the levy of tax or fee by the Gaon Sabha shall lie to the prescribed authority.

(2) Where it is brought to the notice of the prescribed authority that a tax or fee has not been imposed on any person on whom it should have been imposed it may direct the Gaon Sabha to impose it on that person or persons and the Gaon Sabha shall thereupon act accordingly.

Taxes and dues recoverable as arrears of land revenue.

37-C. All dues on account of the taxes imposed and other sums payable to Gaon Sabha under this Act shall be recovered as arrears of land revenue if the Gaon Panchayat concerned passes a resolution to that effect within three months from the date of assessment:

Provided that where a Gaon Panchayat fails to pass such a resolution within the said period of three months the prescribed authority shall authorize recovery of the arrears of taxes as arrears of land revenue.

Remission of tax or fee.

37-D. The State Government may remit the whole or part of any tax or fee levied by a Gaon Sabha either generally or for a specified area under such circumstances as may be prescribed,"

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ३९ का संशोधन ।

३०—मूल अधिनियम की धारा ३९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"Expense of Nyaya Panchayat to be a charge on Gaon Fund.

39. (1) The expenses of a Nyaya Panchayat shall be charged to the Gaon Fund or Gaon Funds of the Gaon Sabhas comprised in the circle in such proportion as may be determined by the prescribed authority.

(2) All sums realized by way of court fees or fines in a case triable under this Act shall be credited to the State Government."

३१—मूल अधिनियम की धारा ४० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— यू० पी० ऐक्ट २६, धारा ४० का संशोधन।

"Audit

40. The accounts of every Gaon Sabha and Nyaya Panchayat shall be audited at such intervals and in such manner as may be prescribed".

३२—मूल अधिनियम की धारा ४१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४१ का संशोधन।

"Annual estimate of income and expenditure.

41. (1) (*a*) Every Gaon Panchayat shall prepare and lay before the *kharif* meeting of the Gaon Sabha an estimate of its income and expenditure for the year commencing on on the Ist day of April next following.

(*b*) Every Gaon Panchayat shall prepare and lay before the *rabi* meeting of the Gaon Sabha its report including the account of its actual and expected receipts and expenditure for the year ending on the 31st March last preceding such meeting.

(2) The Gaon Sabha may pass or refer back to the Gaon Panchayat the annual estimate submitted to it for reconsideration with such direction as it may give in the manner prescribed and may likewise pass a recommendatory resolution in respect of the report or of any other matter.

(3) If the annual estimate is referred to the Gaon Panchayat for reconsideration as aforesaid, the President shall call an extraordinary meeting of the Gaon Sabha to be held within a fortnight of the said annual meeting and the Gaon Panchayat shall resubmit the annual estimate at the said meeting with such modifications as may be necessary in the light of the directions of the Gaon Sabha, and the Gaon Sabha shall then pass the annual estimate in the manner prescribed. Subject to rules in this behalf the annual estimate shall take effect after it has been approved by the prescribed authority, and a Gaon Panchayat may incur any expenditure under any of the heads of the annual estimate in excess of the amount approved under that head without variation or alteraton of the annual estimate with the approval of the prescribed authority.

(4) If before such date as may be prescribed a Gaon Panchayat does not lay the annual estimate of income and expenditure before the Gaon Sabha or the Gaon Sabha does not pass the same, the prescribed authority may call upon the Gaon Panchayat to furnish such information as it may require

and may prepare an annual estimate of income and expenditure for the Gaon Sabha. The annual estimates so prepared shall then be sent to the Gaon Sabha which shall accept and pass the same in the manner prescribed. Where the Gaon Sabha fails to do so within such time as may in this behalf be prescribed the said annual estimate of income and expenditure shall have effect as if it had been prepared by the Gaon Panchayat and passed by the Gaon Sabha concerned :

Provided that the Gaon Sabha may at any time after the annual estimates take effect, make in the manner prescribed such modifications or changes therein as it may consider necessary.

(5) The prescribed authority may at any time whether before or after the annual estimate takes effect under sub-section (3) make such amendments, modifications or changes therein as may appear to it necessary."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४३ का संशोधन।

३३—मूल अधिनियम की धारा ४३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Constituton of Nyaya Panchayat.

43. There shall be appointed by the prescribed authority five persons of prescribed qualifications out of the persons elected in accordance with sub-section (6) of section 12 and section 12-A to be Panches of the Nyaya Panchayat and the persons so appointed shall, notwithstanding anything hereinbefore contained, not be members of Gaon Panchayat :

Provided that where suitable persons possessing the prescribed qualifications are not available for such appointment any or all of such qualifications may be relaxed by the prescribed authority."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४४ का संशोधन।

३४—मूल अधिनियम की धारा ४४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Election of Sarpanch and Sahayak Sarpanch.

44. The Panches appointed under section 43 shall in the manner and within the period to be prescribed, elect from amongst them two persons who are able to record proceedings, one as a Sarpanch and the other as a Sahayak Sarpanch :

Provided that if the Panches fail to elect the Sarpanch or Sahayak Sarpanch as aforesaid the District Magistrate may appoint the Sarpanch or the Sahayak Sarpanch."

यू० पी०ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४५ का संशोधन।

३५—मूल अधिनियम की धारा ४५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"45. (1) The term of office of every Panch shall be five years from the date of his election :

Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend the term from time to time for a period not exceeding one year at a time:

Provided further that the Sarpanch and the Sahayak Sarpanch shall continue in office until their respective successors are elected or appointed.

(2) The extension of term under sub-section (1) may be made at any time before the expiry of five years aforesaid or, when the period has been extended, before the expiry of such extended period."

३६—मूल अधिनियम की धारा ४६ निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७की धारा ४६ का निकाला जाना।

३७—मूल अधिनियम की धारा ४७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २६, धारा ४७ का संशोधन।

"Resignation of Panches.

47. . A Panch may resign his office as such by writing under his hand addressed to such authority as may be prescribed and his office shall thereupon become vacant."

३८—मूल अधिनियम की धारा ४८ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४८ का निकाला जाना।

३९—मूल अधिनियम की धारा ४९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४९ का संशोधन।

"Bench of Nyaya Panchayat.

49. (1) The Sarpanch shall form Benches consisting of five Panches each for the disposal of cases and inquiries coming up before the Nyaya Panchayat.

(2) The formation of Benches, the period for which they will work including the hearing of part heard cases, the method of distribution, transfer or re-transfer of work among the Benches and proceedings generally to be followed by them in hearing and deciding cases, shall be governed by rules.

(3) No Panch, Sarpanch or Sahayak Sarpanch shall take part in the trial of or inquiry in any case to which he or any near relation, employer, employee, debtor, creditor or partner of his is a party or in which any of them is personally interested.

(4) Notwithstanding anything contained in this section, the State Government may prescribe the constitution of special benches for the trial of any class or classes of cases :

Provided that the State Government may at any time order for the re-constitution of such a special Bench.

(5) The prescribed authority may transfer or re-transfer case or inquiry from one Bench or another Bench of the same Nyaya Panchayat.

(6) Any dispute relating to the formation of Benches or method of their working, shall be referred to the prescribed authority whose decision shall be final.

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५० का संशोधन।

४०—मूल अधिनियम की धारा ५० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Filling of causual vacancies.

50. (1) If a vacancy in the office of a Panch arises by reason of his death, removal or resignation it shall, subject to the provisions of section 45 be filled for the unexpired part of his term by the District Magistrate by appointing a person from amongst the members for the time being of the Gaon Panchayat, and if the Panch vacating the office was also Sarpanch or Sahayak Sarpanch a new Sarpanch or Sahayak Sarpanch, as the case may be, shall be elected in the manner provided in section 44.

(2) Any person appointed as Panch under sub-section (1) shall cease to be a member of the Gaon Panchayat from the date of his appointment and the vacancy so caused in the Gaon Panchayat shall be deemed to be a casual vacancy for the purpose of section 12-H."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में एक नई धारा ५०—ए का बढ़ाया जाना।

४१—मूल अधिनियम की धारा ५० के बाद निम्नलिखित नई धारा 50-A के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"Power of Sahayak Sarpanch.

50-A. The Sahayak Sarpanch shall exercise such powers of the Sarpanch as may be prescribed."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५१ का संशोधन।

४२—मूल अधिनियम की धारा ५१ में—

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Act V of 1898.

"(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898, every criminal case triable by a Nyaya Panchayat shall be instituted before the Sarpanch of the Nyaya Panchayat of the circle in which the offence is committed." and

(२) उपधारा (३) निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५२ का संशोधन।

४३—मूल अधिनियम की धारा ५२ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Offience cognizable by Nyaya Panchayats.

52. (I) The following offences as well as abetments of and attempts to commit such offences, if committed within the jurisdiction of a Nyaya Panchayat, shall be cognizable by such Nyaya Panchayat—

(*a*) offcnces under sections 140, 160, 172, 174, 179, 269 277, 283, 285, 289, 290, 294, 323, 334, 341, 352, 357, 358, 374, 379, 403, 411 (where the value of the stolen or mis-appropriated property in cases under sections 379, 403 and 411 are concerned does not exceed fifty rupees), 426, 428, 430, 431, 447, 448, 504, 506, 509 and 510 of the Indian Penal Code, 1860, — Act XLV of 1860

(*b*) offences under sections 24 and 26 of the Cattle Trespass Act, 1871, — Act 1 of 1871

(*c*) offences under sub-section (1) of section 10 of the United Provinces District Board Primary Education Act, 1926, — Act I of 1926

(*d*) offences under section. 3, 4, 7 and 13 of the Public Gambling Act, 1867, — Act III of 1867

(*e*) any other offence under aforesaid enactments, or any other enactment as may, by notification in the offical *Gazette*, be declared by the State Government to be cognmizable by a Nyaya Panchayat, and

(*f*) any offence under this Act or any rule made thereunder.

(1-A). The State Government may by order published in the official *Gazette* empower any Nyaya Panchayat to take cognizance of offences under sections 279, 286, 336 and 356 of the Indian Penal Code, 1860." — Act XLV of 1830.

४४—मूल अधिनियम की धारा ५३ निकाल दी जाय। — यू० पी० ऐक्ट, २६, १९४७ की धारा ५३ का निकाल दिया जाना।

४५—मूल अधिनियम की धारा ५४ की उपधारा (२) के अन्त में फुल-स्टाप के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में रख दिया जाय:— — यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५४ का संशोधन।

"Provided that no accused shall be tried for more than three offences in the same case and the fine that may be imposed on any one accused in a case shall not in the aggregate exceed one hundred rupees."

४६—मूल अधिनियम की धारा ५५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— — यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५५ का संशोधन।

"Cognizance of civil cases.

55. (1) After a Nyaya Panchayat has been established for any area, no court except as otherwise provided in this Act shall take cognizance of any case triable by such Nyaya Panchayat.

(2) When a Nyaya Panchayat is suspended, superseded or dissolved under section 95, or for any other reason ceases to function, all cases pending before it shall stand transferred to the court of competent jurisdiction which shall dispose them of according to law :

Provided that the trial of all such cases in court shall commence *de novo:*

Provided further that a Nyaya Panchayat shall not be deemed to cease to function merely for the reason that its panches have to be re-elected.

(3) Notwithstanding anything contained in section 52 and in sub-section (1) of this section any court may take cognizance of any offence under sections 431 and 447 of the Indian Penal Code, 1860 if it is otherwise competent to do so.

Act XLV of 1860.

(4) Notwithstanding anything contained in section 52 and sub-section (1) to (3) of this section but subject always to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898, where any court has taken cognizance of any offence referred to in the said sections and a summons or warrant, as the case may be, has issued for the appearance of the accused in such case, the offence may be enquired into and tried by such court."

Act V of 1898.

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५६ का संशोधन।

४७—मूल अधिनियम की धारा ५६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Transfer of case by courts to Nyaya Panchayats.

56. A Court, if it finds that a case is triable by a Nyaya Panchayat, shall except as provided in sub-section (4) of section 55 transfer the case to the Nyaya Panchayat of competent jurisdiction, which shall thereafter try the same *de novo.*"

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५८ का संशोधन।

४८—मूल अधिनियम की धारा ५८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Transfer of cases by Nyaya Panchayat to courts.

58. If at any time it appears to a Nyaya Panchayat—

(*a*) that it has no jurisdiction to try any case pending before it, or

(*b*) that the offence involved is one for which it cannot award adequate punishment, or

(*c*) that the case should otherwise be tried by a court; it shall transfer the same to the court of competent jurisdiction and shall give information of such transfer to the parties concerned."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५९ का संशोधन।

४९—मूल अधिनियम की धारा ५९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Certain persons not to be tried by Nyaya Panchayats.

59. No Nyaya Panchayat shall take cognizance of any criminal case against a person where such person—

(*a*) has been previously convicted of an offence punishable with imprisonment of either description for a term of three years or more, or

(*b*) has been previously fined for theft by any Nyaya Panchayat, or

(*c*) has been bound over to be of a good behaviour under section 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1898, or — Act V of 1898

(*d*) has been previously convicted under the Public Gambling Act, 1867, or — Act III of 1867

(*e*) is a public servant."

५०—मूल अधिनियम की धारा ६० में— यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६० का संशोधन।

(१) खंड (*a*) के अन्त में शब्द "and" को निकाल दिया जाय।

(२) खंड (*b*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*b*) in the payment to any person of compensation for any material loss or injury caused by the offence, or,"

(३) खंड (*b*) के बाद निम्नलिखित खंड (*c*) के रूप में रख दिया जाय—

"(*c*) in compensating any *bona fide* purchaser of stolen property for loss of the same, where property is restored to the possession of the person entitled thereof."

५१—मूल अधिनियम की धारा ६१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६१ का संशोधन।

"Compensation to the accused.

61. "(1) If in any case instituted before a Nyaya Panchayat any person is accused of any offence triable by a Nyaya Panchayat and the Nyaya Panchayat acquits the accused and is of the opinion that the accusation against him was false and either frivolous or vexatious, the Nyaya Panchayat may, call upon the complainant forthwith to show cause why he should not pay compensation to such accused.

(2) If after hearing the complainant, the Nyaya Panchayat is satisfied that the accusation was false and either frivolous or vexatious, it may direct that compensation not exceeding Rs. 25 be paid by such complainant to the accused."

५२—मूल अधिनियम की धारा ६३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६३ का संशोधन।

Act V of 1898 "Enquiry in cases forwarded by magistrates.

63. Notwithstanding anything in the Code of Criminal Procedure, 1898, a Magistrate may direct an enquiry referred to in section 202 of the Code to be made by a Nyaya Panchayat in a case in which the offence was committed within the territorial jurisdiction of such Nyaya Panchayat and the Nyaya Panchayat

shall enquire into the case and submit its report to the said Magistrate. On the receipt of the directions the Sarpanch or Sahayak Sarpanch and in their absence the Panch mentioned in section 75, shall entrust it to a Bench formed under section 49."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६४ का संशोधन।

५३—मूल अधिनियम की धारा ६४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"Extent of jurisdiction.

64. (1) Subject to the provisions of section 66 a Nyaya Panchayat may take cognizance of any suit of the following description if its value does not exceed one hundred rupees—

(*a*) a suit for money due on contract other than a contract in respect of imomovable property ;

(*b*) a suit for the recovery of movable property or for the value thereof ;

(*c*) a suit for compensation for wrongfully taking or injuring a movable property; and

(*d*) a suit for damages caused by cattle trespass.

(2) The State Government, may by notification in the official *Gazette* direct that the jurisdiction of any Nyaya Panchayat shall extend to all such suits of the value not exceeding five hundred rupees."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ का धारा ६५ का निकाला जाना।

५४—मूल अधिनियम की धारा ६५ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६६ का संशोधन।

५५—मूल अधिनियम की धारा ६६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"Exclusion of Nyaya Panchayats' jurisdiction.

66. Subject to the provisions of section 64, a Nyaya Panchayat shall have no jurisdiction to take cognizance of the following suits—

(1) a suit for a balance due on partnership account, except where the balance has been struck by the parties or their agents;

(2) a suit for a share or part of a share under an intestacy or for a legacy or part of a legacy under a will;

(3) a suit by or against the State Government or the Central Government or a public servant for acts done in his official capacity;

(4) a suit by or against a minor or a person of unsound mind;

U. P. Act VI of 1920
U. P. Act XIII of 1940.

(5) a suit the cognizance of which by a Panchayat established under the U. P. Village Panchayat Act, 1920 is barred by section 25 of the United Provinces Debt Redemption Act, 1940."

५६—मूल, अधिनियम की धारा ५६ की उपधारा (२) में शब्द "portions of it" के स्थान पर शब्द "portion of his claim" और शब्द "of the" तथा "so omitted" के बीच में आया हुआ शब्द "portions" के स्थान पर शब्द "portion" रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६७ का संशोधन।

५७—मूल अधिनियम की धारा ६८ के अंत के फुलस्टाप (full stop) के स्थान पर कोलन (colon) रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २६ १९४७ की धारा ६८ का संशोधन

"Provided that in computing the period of limitation prescribed for any suit, the time during which the plaintiff has been prosecuting with due deligence another suit against the defendant in any court, shall be excluded where the suit is found upon the same cause of action and was prosecuted in good faith in a court which from defect of jurisdiction or cause of like nature, was unable to entertain it."

५८—मूल अधिनियम की धाराएं ७०, ७१ और ७२ तक निकाल दी जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धाराए ७० से ७२ तक का निकाल जाना।

५९—मूल अधिनियम की धारा ७४ में शब्द "case, suit or proceeding" जहां कहीं वे आये हों, के स्थान पर शब्द "case, suit or revenue case" रखे जायेंगे।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ७४ का संशोधन।

६०—मूल अधिनियम की धारा ७४ के बाद निम्नांकित को धारायें ७४—ए और ७४—बी के रूप में बढ़ा दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में धाराएं ७४-ए और ७४-बी का बढ़ाया जाना।

Trial when cause of Action in a suit or revenue case arises in circles more than one.

74-A. Section 10 of the Code of Civil Procedure, 1908 shall apply to trial of revenue cases and suits pending before two or more Nyaya Panchayats having jurisdiction.

"Trial where scene of offence is uncertain or not in one circle only or where offence is continuing one or consists of several acts.

74-B. Where it is uncertain in which of several circles an offence was committed or where an offence was committed partly in one circle and partly in another or where an offence is a continuing one and continues to be committed in more circles than one or where it consists of several acts done in different circles, it may be enquired into by a Nyaya Panchayat having jurisdiction in any such circles."

६१—(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ७५ की संख्या बदल कर धारा ७५ की उपधारा (१) कर दी जाय और उसमें—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ७५ का संशोधन।

(१) शब्द "Sarpanch" और शब्द "of" के बीच में शब्द "and in his absence to the Sahayak Sarpanch" बढ़ा दिये जायं,

(२) शब्द "of" और शब्द "absence" के बीच में आये हुये शब्द "his" के स्थान पर शब्द "their" रख दिया जाय; और

(३) शब्द "he may have appointed" के स्थान पर शब्द "may have been appointed by the Sarpanch" रख दिये जायं।

(४) धारा ७५ में, इस प्रकार संख्यांतरित उपधारा (१) के बाद निम्नलिखित को उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जायगा—

"(2) Where a suit, case or revenue case is instituted orally, the Sarpanch, Sahayak Sarpanch or Panch receiving the application shall record without delay the prescribed particulars and the signature or thumb-impression of the applicant shall be taken thereon."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ७६ का संशोधन।

६२—मूल अधिनियम की धारा ७६ के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय—

"Application to be laid before the Bench.

76. The Sarpanch, Sahayak Sarpanch or in their absence the Panch mentioned in section 75, shall thereupon lay the application before a Bench of the Nyaya Panchayat formed under section 49 for disposal and shall also fix a date for the first hearing of the application before the said Bench and give notice of the date to the parties and to the members of the Bench.

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ७७ का संशोधन।

६३—मूल अधिनियम की धारा ७७ के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय—

"Chairman of a Bench.

77. The bench shall choose one of the members to be the Chairman of that Bench who shall conduct the proceedings :

Provided that where the Sarpanch or the Sahayak Sarpanch is a member of the bench he, and where both of them are members of the same bench the Sarpanch shall be the Chairman."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ७७-ए का संशोधन।

६४—"मूल अधिनियम की धारा 77A— की उपधारा (१) से शब्द 'for the trial of case suit or proceeding" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६ १९४७ की धारा ८० का संशोधन।

६५—मूल अधिनियम की धारा ८० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Legal practitioner not to appear before Nyaya Panchayat.

80. No legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of any party before a Nyaya Panchayat."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ८१ का संशोधन।

६६—मूल अधिनियम की धारा ८१ में—

(१) शब्द "authorised" के स्थान पर शब्द duly authorised in writing" रख दिये जायं और

(२) अन्त में "फुलस्टाप" के स्थान पर "कोलन" रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय:—

"Provided that no stamp duty shall be required to be paid for any power of attorney filed under this section."

६७—मूल अधिनियम की धारा ८२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ८२ का संशोधन।

"Special jurisdiction in certain matters

82. Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, it shall be lawful for a Nyaya Panchayat to decide any dispute arising in its local area and not pendng in any court in accord· ance with any settlement, compromise or oath agreed upon in writing by the parties."

६८—(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ८३ की संख्या फिर से बदल कर धारा ८३ की उपधारा (१) के रूप में रख दिया जाय। यू० पी० ऐक्ट २६ १९४७ की धारा ८३ का संशोधन।

(२) इस प्रकार बदली गयी उपधारा (१) के बाद निम्नलिखित को नई उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(2) Nothing in this sub-section shall entitle any party to compound any offence which is not compoundable under the provisoins of the Code of Criminal Procedure, 1898 or to compound an offence without the permission of the bench concerned, if it is compoundable with permission under the provisions of the said Code."

Act V of 1894

६९—मूल अधिनियम की धारा ८५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— य्०पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ८५ का संशोधन।

"Power of superior courts to transfer cases from Nyaya Panchayats.

85. (1) On the application of any of the parties and after notice to the parties and after hearing such of them as desired to be heard or on his own motion without such notice the Sub-Divisional Magistrate, the Munsif or the Sub-Divisional Officer, according as the case pending before a Nyaya Panchayat is a case, suit or revenue case may, at any stage, withdraw the same and—

(i) try or dispose of the same, or

(ii) transfer it to another bench of the Nyaya Panchayat, or

(iii) transfer the same for trial or disposal to any other Magistrate, Munsif or Assistant Collector competent to try or dispose of the case.

(2) Where any case, suit or revenue case has been withdrawn under sub-section (1) the court or officer which thereafter tries such case, suit or revenue case may either retry it or proceed from the point at which it was withdrawn.

(3) If any application under sub-section (1) is either frivolous or vexatious the applicant may be fined up to Rs. 50 by the Sub-Divisional Magistrate, the Munsif, or the Sub-Divisional Officer, as the case may be."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ८७ का संशोधन।

७०—मूल अधिनियम की धारा ८७ के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त में "फुलस्टाप" के स्थान पर "कोलन" रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित को तृतीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय:—

"Provided further that where it appears to the Nyaya Panchayat that a witness is unable to appear before it by reason of illness or physical infirmity or that his presence cannot be procured without unreasonable delay, expense or inconvenience, it may, subject to such restrictions as may be prescribed, issue a commission in the manner prescribed to take the evidence of such witness. The evidence so taken shall form part of the record of the case."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ८९ का संशोधन।

७१—मूल अधिनियम की धारा ८९ के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय—

"Revision

89. (1) A Sub-Divisional Magistrate, Munsif, or Sub-Divisional Officer, according as it is a case, suit or revenue case, may either on his own motion or on the application of any party made within 60 days from the date of the order complained of call for the record of any case which has been decided by a Nyaya Panchayat and if it appears to him that material injustice or irregularity has occurred, he may make such order in the case as he thinks fit.

Explanation—Failure to exercise a jurisdiction vested by law shall for purposes of this section be deemed to be a material irregularity.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Sub-Divisional Magistrate, Munsif or Sub-Divisional Officer, as the case may be, may—

(*a*) quash the decree or order passed by the Nyaya Panchayat,

(*b*) modify the order, or

(*c*) remand the case to the Nyaya Panchayat for retrial with such direction as he may deem fit, or

(*d*) try the case himself or transfer it to another court or Officer competent to try the same.

(3) If any application under sub-section (1) is found by the Sub-Divisional Magistrate, Munsif or Sub-Divisional Officer, as the case may be, to be frivolous or vexatious, he may, for reason to be recorded, make an order for the payment to the opposite party by the applicant on special costs not exceeding Rs. 50 by way of compensation.

(4) Except as aforesaid, a decree or order passed by a Nyaya Panchayat in any suit, case or revenue case shall not be open to appeal or revision in any court."

७२—मूल अधिनियम की धारा ९१ निकाल दी जाय। यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९१ का निकाल दिया जाना।

७३—मूल अधिनियम की धारा ९३ के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९३ का संशोधन।

"Execution of decreses.

93. (1) A decree or order passed by a Nyaya Panchayat shall be executed by it in such manner as may be prescribed. If the property of the defendant or opposite party is situated outside the jurisdiction of the Nyaya Panchayat passing the decree or order, it may, in the manner prescribed transfer the decree or order for execution to the Nyaya Panchayat, within whose jurisdiction the property may be situted, and if there be no Nyaya Panchayat then to the court of the Munsif or Sub-Divisional Officer, as the case may be, within whose jurisdiction it may be situated.

If a Nyaya Panchayat finds any difficulty in executing a decree or order, it may forward the same to the Munsif or Sub-Divisional Officer, as the case may be, who shall then execute the same as if it were decree or order passed by him..

Provided that no decree or order passed by a Nyaya Panchayat shall be executed on the expiry of two years from the date on which it was passed."

७४—मूल अधिनियम की धारा ९४ में— यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९४ का संशोधन।

(१) शब्द "The Fine imposed in a case" के स्थान पर शब्द "Any fine imposed, or compensation ordered to be paid in section 61" रख दिये जायं, और

(२) शब्द "provided in section 386 of the Code of Criminal Procedure, 1898" के स्थान पर "prescribed" रख दिये जायें।

७५—मूल अधिनियम की धारा ९४ के पश्चात् अध्याय ६ के अन्त में निम्नांकित को धारा ९४—ए के रूप में बढ़ा दिया जाय— - यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नई धारा ९४ ए का बढ़ाया जाना।

"Contempt of Nyaya Panchayat.

94-A. (1) If any person intentionally offers any insult to a Nyaya Panchayat or any member thereof, while it is sitting in any stageof judicial proceedings in its or his view or presence or refuses to take oath duly administered or sign a statement made by the said person when legally required to do so, the Nyaya Panchayat may at any time before rising on the same day take cognizance of the offence and sentence the offender to a fine not exceeding five rupees.

(2) The fine imposed under sub-section (1) by a Nyaya Panchayat shall, for the purpose of section 94, be deemed to be a fine imposed in a crimrinal case."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९५ का संशोधन।

७६—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ९५ की संख्या बदल कर धारा ९५ की उपधारा (१) कर दी जायगी।

(२) इस प्रकार संख्यांतरित उपधारा (१) के उपखंड (ए), (बी) और (सी) में शब्द " joint committee " जहां कहीं वे आये हों, के स्थान पर शब्द "or a Nyaya Panchayat" रख दिये जांय।

(३) इस प्रकार बदली गयी उपधारा (१) के वर्तमान खंड (f) के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय—

"(*f*) suspend, supersede or dissolve any Gaon Sabha, Gaon Panchayat, joint committee or Nyaya Panchayat if in the opinion of the State Government such Gaon Sabha, Gaon Panchayat, joint committee or Nyaya Panchayat has abused its position or has continuously failed to perform the duties imposed upon it by or under this Act or if its continuance is not considered desirable in public interest ;

Explanation—Suspension or supersession may be for such period as may be specified."

(४) खंड (*f*) के पश्चात् निम्नांकित को नये खंड (*g*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*g*) suspend or remove a member of a Gaon Panchayat or joint committee, an office-bearer of a Gaon Sabha or a Panch, Sahayak Sarpanch or Sarpanch of a Nyaya Panchayat, if he—

(i) absents himself without sufficient cause from more than three consecutive meetings or sittings,

(ii) refuses to act or becomes incapable of acting for any reason whatsoever or if he is accused of or charged for an offence involving moral turpitude,

(iii) has abused his position as such or has persistently failed to perform the duties imposed by this Act or rules made thereunder or his continuance as such is not desirable in public interest, or

(iv) being a Panch or a Sahayak Sarpanch or a Sarpanch of the Nyaya Panchayat takes active part in politics."

(५) इस प्रकार संख्यांतरित में बदली गयी उप-धारा (१) के पश्चात् निम्नांकित को नयी उपधारायें (२), (३) और (४) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(2) A person removed under this section shall not be entitled to be re-elected or re-appointed to any

office under this Act for a period of five years or such lesser period as the State Government may order in any case.

(3) No order made by the State Government under this section shall be called in question in any court.

(4) Where any Gaon Sabha, Gaon Panchayat or joint committee is superseded the State Government may appoint such person or persons to exercise and perform the powers and duties thereof as it may deem fit."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९८ का संशोधन।

७७—मूल अधिनियम की धारा ९८ में शब्द "may with the sanction of the prescribed authority" के स्थान पर शब्द "with the sanction of the prescribed authority, may" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १०० का संशोधन।

७८—मूल अधिनियम को धारा १०० में:—

(१) खंड (*a*) में शब्द "manner" और उसके बाद के सेमीकोलन के बीच में शब्द "as arrears of land revenue" रख दिये जायं; और

(२) खंड (*b*) में शब्द "a magistrate" के स्थान पर "the Nyaya Panchayat" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १०४ का संशोधन।

७९—मूल अधिनियम की धारा १०४ की उपधारा (२) में शब्द "Panchayats Fund" के स्थान पर शब्द "Gaon Fund" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १०५ का संशोधन।

८०—मूल अधिनियम की धारा १०५ की उपधारा (१) में शब्द "Sarpanch" के स्थान पर शब्द "President" रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १०६ का संशोधन।

८१—मूल अधिनियम की धारा १०६ की उपधारा (१) में:

(१) शब्द "a Gaon Panchayat," और शब्द "or" के बीच शब्द "or a Nyaya Panchayat" रखे जायं,

(२) शब्द "of the Gaon Panchayat" जो शब्द "servant" और "or" के बीच में आये हैं, के स्थान पर शब्द "thereof" रखा जाय,

(३) शब्द "the Panchayat" के स्थान पर शब्द "the Gaon Panchayat or the Nyaya Panchayat as the case may be" रख जायं।

(४) शब्द "Panchayat" और "deliver" के बीच में शब्द "or Nyaya Panchayat" रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १०७ का संशोधन।

८२—मूल अधिनियम की धारा १०७ की उपधारा (२) में शब्द "Panchayat" और "or" के बीच में शब्द "or a Nyaya Panchayat" रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६ १९४७ में नयी धारा १०७ एका बढ़ाया जाना ।

८३—मूल अधिनियम की धारा १०७ के पश्चात् निम्नांकित को नयी धारा १०७ ए के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"Validity of Proceedings.

107-A. Except as otherwise provided by or under this Act a Gaon Sabha, Gaon Panchayat or any committee thereof, shall have power to act, notwithstanding any vacancy in the membership or defect or irregularity in the enrolment of amember thereof land any proceedings in any Gaon Sabha, Panchayat or committee shall be valid notwithstanding that there was any defect or irregularity in the enrolment of any member or that some peson, who was not entitled so to do, sat or voted or otherwise took part in the proceedings, provided, however, that at least two-thirds of the persons, present at the time of the act being done were not disqualified to be members."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १०९ का संशोधन ।

८४—मूल अधिनियम की धारा १०९ में शब्द "arises" के बाद शब्द "as to the jurisdiction of a Nyaya Panchayat or" बढ़ा दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नई धारा १०९ए का बढ़ाया जाना

८५—धारा १०९ के बाद निम्नांकित नयी धारा 109-A बढ़ा दी जाय—

Made of proof of Gaon Sabha record

"109-A. A copy of any entry in a register in the possession of a Gaon Sabha or of any document made or executed by an officer thereof shall, if duly certified by the President of the Gaon Sabha or other person authorised by the President in writing in this behalf, be received as *prima facie* evidence of the existence of the entry or document and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded in every case, where and to the same extent as the original entry or document would, if produced, have been admissible to prove such matters."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ११० का संशोधन।

८६—मूल अधिनियम की धारा ११० की उप-धारा (२) में:—

(१) खंड (ii) के बाद निम्नलिखित को नये खंड (ii *a*), (ii *b*), (ii *c*), (ii d), (ii *e*), (ii *f*), (ii *g*), (ii *h*), और (ii *i*), के रूप में बढ़ा दिये जायं—

"(ii *a*) the qualifications for the Vice-President;

(ii *b*) distribution of assets and liabilities of Gaon Panchayats and Nyaya Panchayats consequent upon a change in their circles;

(ii *c*) presentation and disposal of election petitions;

(ii *d*) taking of oath by President, Vice-President, members of Gaon Panchayats, Panch, Sahayak Sarpanch and Sarpanch ;

(ii-*e*) filing of resignation by President, Vice-President, members of Gaon Panchayat, Panch, Sahayak Sarpanch and Sarpanch ;

(ii-*f*) holding of general elections and bye-elections;

(ii-*g*) nomination of persons as members of Gaon Panchayat ;

(ii-*h*) grant of leave for absence to office bearers of Gaon Panchayat and Nyaya Panchayat ;

(ii-*i*) the carrying out of the duties of the President and the Vice-President in their absence for any cause;

(२) खंड (vii) में शब्द "Gaon Sabhas" के स्थान पर "Gaon Panchayats" रख दिये जायं और निम्नलिखित एक नया खंड (vii-a) के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"(vii-*a*) periodical revision and amendment of Gaon Sabha and Gaon Panchayat registers";

(३) खंड (x) में शब्द "Gaon Panchayat" और शब्द "from" के बीच में शब्द "or Nyaya Panchayat" रख दिये जायं;

(४) खंड (xi) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(xi) appointment, qualifications, supervision, dismissal, discharge, removal or other punishment and other matters relating to the conditions of service, leave, transfer, pay and privileges of the servants of the Gaon Panchayat and Nyaya Panchayat and their rights of appeal";

(५) खंड (xii) में शब्द "Gaon Panchayat" और शब्द "if" के बीच में शब्द "and Nyaya Panchayat" रख दिये जायं;

(६) खंड (xv) में शब्द "water hyacinth" और शब्द "on any" के बीच में कामा बढ़ा दिया जाय और उसके बाद शब्द "grass, weed or other wild growth" बढ़ा दिये जायं।

(७) खंड (xvi) के बाद निम्नलिखित नया खंड (xvi-a) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(xvi-*a*) the carrying out of functions and duties of Gaon Panchayat as mentioned in sections 15, 16 and 17";

(८) खंड (xvii) में शब्द "ear-making" और शब्द "fund" के बीच में शब्द "of" रख दिया जाय;

(९) खंड (xix) के बाद निम्नलिखित नया खंड (xix-*a*) के रूप में रख दिया जाय—

"(xix-*a*) collection of State and other dues by Gaon Panchayats and remuneration to be paid therefor";

(१०) खंड (xxi) में शब्द "Gaon Panchayats" के बाद शब्द "and Nyaya Panchayats" रख दिये जांय;

(११) खंड (xxv) के बाद निम्नांकित को नये खंड (xxv-*a*), (xxv-*b*) और (xxv-*c*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(xxv-*a*) issue of commissions for examination of witnesses;

(xxv-*b*) institution of cases by ladies;

(xxv-*c*) institution of cases where a Sarpanch refuses to entertain;"

(१२) खंड (xxxiii) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(xxxiii) the prescribing and printing of forms and registers generally relating to any matter under this Act or rules made thereunder;"

(१३) खंड (xxxvi) में शब्द "Gaon Panchayats" और शब्द "and" के बीच में शब्द "Nyaya Panchayats" रख दिये जायं ;

(१४) खंड (xxxvii) में शब्द "Gaon Panchayat" और शब्द "and" के बीच में शब्द "and Nyaya Panchayat" रख दिये जायं ;

(१५) खंड (xxxix) में शब्द "Gaon Panchayat" के स्थान पर शब्द "Gaon Sabhas or Nyaya Panchayats" रख दिये जायं ;

(१६) खंड (xLii) के बाद निम्नाँकित को नये खंड (xliii), (xliv), (xlv), (xlvi), और (xlvii) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(xliii) assistance to be given by the Gaon Panchayat to Government servants on any matter affecting the general administration;

(xliv) powers and duties of Sahayak Sarpanch and Vice-President ;

(xlv) borrowing and lending of money by Gaon Panchayats;

(xlvi) the matters which are to be and may be prescribed; and

(xlvii) any matter in respect of which power is conferred in section 111 on the prescribed authority to frame a bye-law for a Gaon Panchayat."

५० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ११२ का संशोधन।

८७—मूल अधिनियम की धारा ११२ में—

(१) खंड (*f*) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड (*g*) के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"(*g*) to regulate any other duties or functions of the Gaon Sabha as may be directed by the prescribed authority;" and

(२) उपधारा (२) के अन्त में फुलस्टाप के स्थान पर एक कोलन रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड २ के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"Provided that the State Government may at any time rescind or modify any bye-laws so approved."

८८—मूल अधिनियम की धारा ११३ के बाद निम्नांकित को नयी धारा ११४ के रूप में बढ़ा दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नयी धारा ११४ को बढ़ाया जाना।

"Casual vacancies to be left unfilled in certain cases.

114. Where a vacancy occurs on any body constituted under this Act by reason of the death, resignation, removal or avoidance of the election of a member or other office bearer and the term of office of that member or other office bearer would in the ordinary course of events have determined within six months of the occurrence of the vacancy, the prescribed authority may direct that the vacancy be left unfilled until the next general election under this Act."

कठिनाई दूर करने का अधिकार।

८९—(१) राज्य सरकार किसी भी कठिनाई को, विशेषतः मूल अधिनियम के उपबंधों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण से सम्बद्ध किसी भी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके—

(क) आदेश दे सकती है कि उक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम इस अधिनियम के आरम्भ होने के ठीक बाद के दो वर्ष के अन्तर्गत परिष्कारों, परिवर्द्धनों अथवा अकरणों के रूप में उन अनुकलनों के अधीन जिन्हें वह उचित और आवश्यक समझे, प्रभावशाली हों,

(ख) सामान्यतया अथवा किसी विशेष गांव पंचायत अथवा मेम्बर अथवा प्रेसीडेंट या वाइस-प्रेसीडेंट अथवा किसी न्याय पंचायत के या उसके पंच, सहायक सरपंच अथवा सरपंच के कार्यकाल को मूल अधिनियम में तत्संबंधी किसी विरोधी बात के होते हुये भी दो वर्ष तक से अधिक न होने वाली कालावधि के लिये बढ़ा सकती है अथवा उसे घटा सकती है,

(ग) अन्य ऐसे स्थायी उपबन्ध, उपर्युक्त ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिये, जो निर्दिष्ट की जाय बना सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा इस अधिनियम के आरम्भ से दो वर्ष तक के लिये प्रभावी होगी।

उद्देश्य और कारण

वर्तमान य० पी० पंचायतराज ऐक्ट विधान मंडल द्वारा १९४७ में पारित हुआ था और इसके अधीन संगठित ग्राम पंचायतों तथा पंचायती अदालतों ने १५ अगस्त, १९४९ से कार्य करना आरम्भ किया। यद्यपि यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट की सामान्य योजना निर्विवाद सफल हुयी है तथापि अनुभव एवं विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी मार्गों से प्राप्त अनेक सुधारों और सुझावों के, जिसमें पंचायती अदालतों से सम्बद्ध माननीय हाई कोर्ट की बहुत सी नजीरें भी हैं, दृष्टिकोण से उक्त ऐक्ट में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतएव विधान मंडल के दोनों सदनों की एक समिति द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया गया है और इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन उसी के अनुसार हैं।

विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों से गांव पंचायत और न्याय पंचायत (जो पंचायती अदालत का अधिक अच्छा नया नाम समझा गया है) के गठन और निर्माण पर तथा उनके अधिकार एवं कृत्यों तथा कार्यकाल और न्याय पंचायत की न्यायपीठों के गठन और कार्य की रीति पर प्रभाव पड़ेगा। इनमें सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों को सम्पन्न करने के हेतु और इस प्रकार उपलब्ध महती जनसत्ता के उपयोग के निमित्त श्रमदान की भी व्यवस्था की गयी है।

पंचायतराज ऐक्ट को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, जिसके कारण उक्त ऐक्ट के कतिपय उपबंध निष्प्रभाव और असंगत हो गये हैं, के प्रवृत्ति होने से उत्पन्न स्थिति के अनुकूल करने में इस अवसर का उपयोग किया गया है।

इसी आशय से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

मोहनलाल गौतम,
स्वायत्त शासन मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१६२ एल० ए०—१९५४—८५०।